खण्ड-245, अंक-3
बुधवार, 16 माघ, शक संवत् 1885
(5 फरवरी, 1964 ई0)

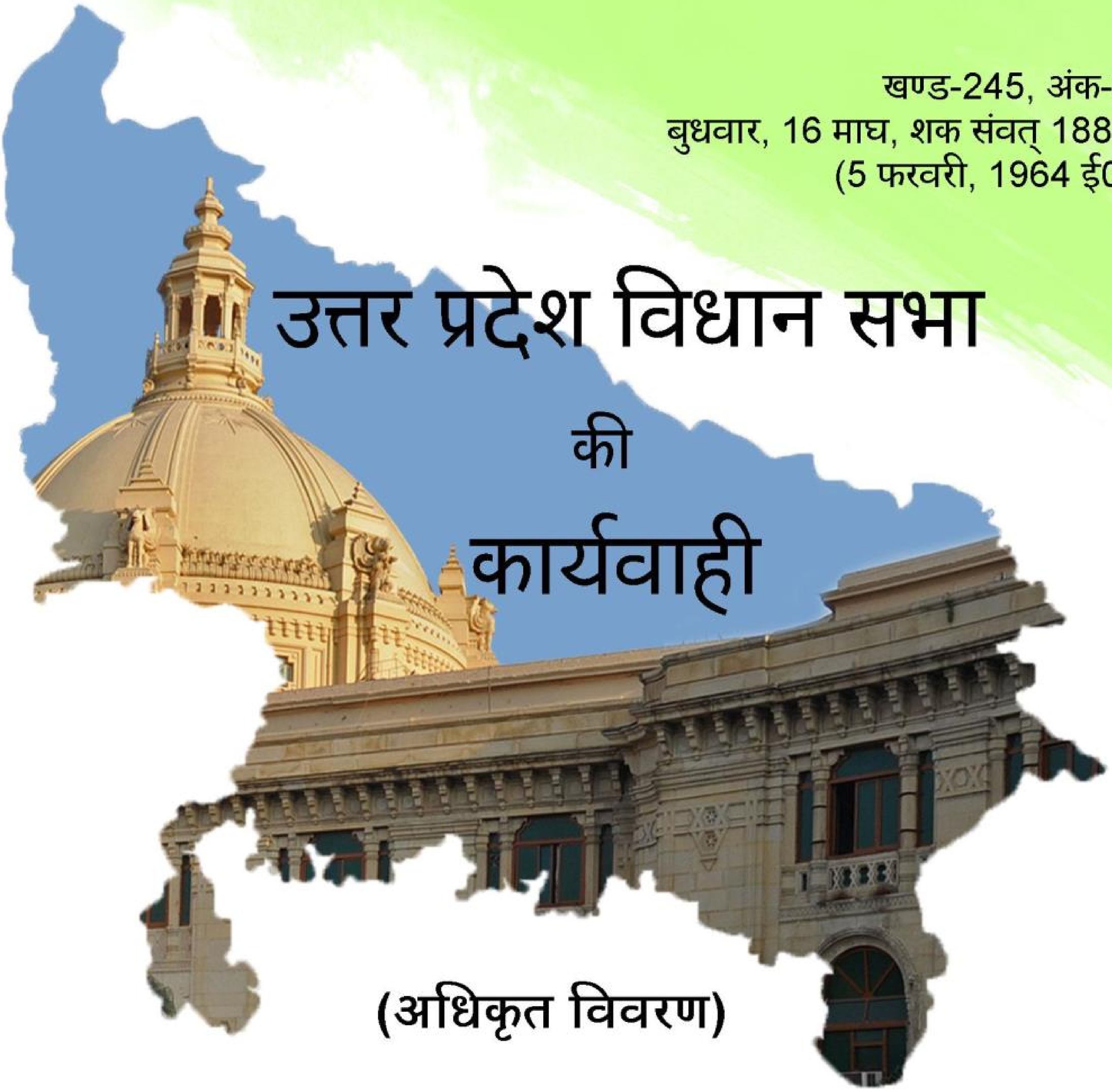

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 245 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१४५–१४९
प्रश्नोत्तर	१४९–१८६
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	१८६–१८७
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१८७
इंटरमीडिएट परीक्षा, १९६४ के कार्यक्रम में छात्राओं के लिए तीन विषयों को एक विषय के रूप में रखने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	१८७
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	१८८
लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा अन्य स्थायी समितियों के निर्वाचन-कार्यक्रम की सूचना	१८८–१८९
सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन	१८९–१९०
विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सम्बन्धित शास्ति के स्थगन पर आपत्ति	१९०–१९१
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (विवाद जारी)	१९१–२३६
नत्थियां	२३७–२४९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह , श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

सर्न्तासिह यूसुफ, श्री
सरदारसिह, श्री
सहदेवसिह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिह, श्री
हुकुमसिह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिह तथा शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार ५ फरवरी, १९६३

तारांकित प्रश्न

हिन्दी में पत्र-व्यवहार की मांग

*१—श्री चन्द्रबलीसिह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की कितनी विकास समितियों ने १ जून, १९६२ से ३० अगस्त, १९६३ तक के बीच प्रस्ताव पास कर के हिन्दी में राज्य सरकार के सभी विभागों और जिलों के सभी विभागों के कार्यालयों से परिपत्र भेजने का निवेदन किया है? क्या सरकार विकास खण्ड कार्यालयों में हिन्दी में ही परिपत्र आदि भेजने की व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कब से?

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उक्त अवधि में ४ जिलों की ५ विकास-समितियों से इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सन् १९५८ ई० से ही यह प्रयास किया जा रहा है कि विकास खण्डों के कार्यालयों में लेखा एवं वित्त सम्बन्धी कार्यों को छोड़ कर सभी कार्य हिन्दी में हों, और इस दिशा में काफी सफलता भी प्राप्त हुई है।

श्री चन्द्रबलीसिह—

क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उन चार जिलों के किन-किन विकास क्षेत्रों से प्रस्ताव पास होकर आये हैं?

श्री बंशीधर पांडेय---

चार जिलों के प्रस्तावों की प्रतिलिपि तो मेरे पास नहीं है। चार जिले हैं गोंडा, बलिया, इलाहाबाद और सुल्तानपुर। गोंडा जिले से मुजहना, बलिया से रेवती, इलाहाबाद से हंडिया और सुल्तानपुर जिले से धनपतगंज और भदैयां विकास समितियों ने प्रस्ताव भेजे हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या देवरिया जिले के किसी विकास क्षेत्र ने प्रस्ताव पास नहीं किया है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

ऐसी सूचना सरकार के पास तो है नहीं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन विकास क्षेत्रों में हिन्दी टाइप की मशीनें हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

अब विकास क्षेत्रों में हिन्दी टाइप की ही मशीनें हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

जैसा कि उत्तर में कहा गया कि सन् ५८ से ही इस दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं कि हिन्दी में काम हो, तो क्या आपके प्रयत्न से कोई सरकारी विभाग ऐसे हैं जो हिन्दी में ही काम करने लग गये हैं ? यदि हां, तो वह कौन हैं ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

यह कहना मुश्किल है।

लघु सिंचाई योजनान्तर्गत अनुदान

*२---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में सन् १९६२-६३ एवं चालू वर्ष में विभाग द्वारा लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितना-कितना अनुदान दिया गया है और उक्त अनुदानों में से कितने रुपये हरिजनों एवं कितने रुपये गैर हरिजनों को अनुदान के रूप में दिये गये ?

श्री राममूर्ति---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कानपुर में औद्योगिक संस्थानों पर बकाया

*३---श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की किन-किन मिलों ने सरकार के पास प्राविडेंट फन्ड तथा बीमा रुपये अभी तक नहीं जमा किये हैं ? उनके नाम तथा उन पर बकाया रकम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

कानपुर के जिन औद्योगिक संस्थानों ने प्राविडेन्ट फन्ड तथा स्टेट इंश्योरेन्स के रुपये जमा नहीं किये हैं उनके नाम तथा उन पर बकाया की अनुमानित रकम संलग्न तालिका (क) तथा (ख) में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३७-२३९ पर)

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

इस लिस्ट में तो करोड़ों रुपये फैक्टरीज पर बाकी हैं और एक एम्पलायर का प्रासीक्यूशन भी कानपुर में हो रहा है तो क्या सरकार इस रुपये को वसूल करने और जमा करवाने के सिलसिले में कुछ कार्यवाही कर रही है और जिन्होंने जमा नहीं किया है उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही करने के बारे में सोच रही है ?

श्री बनारसीदास—

समय पर रुपया न देने वालों पर जुर्माना होता है, प्रासीक्यूशन होता है और लैंड रेवेन्यू की तरह से एरियर्स की रिकवरी होती है। तो जो बड़े-बड़े कारखानेदार हैं उनसे रिकवरी के लिए प्राविडेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सार्टिफिकेट देते हैं। इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो रकम दी गयी है इसको जल्द से जल्द लिक्विडेट करें और अगर जल्दी जमा नहीं हुई तो उनका प्रासीक्यूशन किया जायगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

यह रकम किस अवधि से बाकी है ?

श्री बनारसीदास—

यह जो रकम शो की गयी है ऐक्चुअल, उसमें बहुत से रिटर्न्स नहीं दिये गये हैं। वैसे एक महीने का नियम है, लेकिन ३ महीन तक एरियर्स नहीं होत। तीन महीने के बाद एक माह की अवधि दी जाती है प्रेजेंट करने के लिए। जब वह बीत जाती है तब एरियर्स माने जाते हैं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

म माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो प्राविडेंट फंड का रुपया वर्कर्स की तरफ से वसूल किया गया वह सरकारी खजाने में जमा किया गया या नहीं, अगर वह जमा नहीं हुआ है तो उसके प्रति सरकार का क्या रुख है ?

श्री बनारसीदास—

इस सम्बन्ध में श्रीमन्, उत्तर दिया जा चुका है। उसका नियम यह है कि वह क्वार्टर्ली पेमेन्ट होता है। जब ३ महीने बीत जाते हैं तो एक महीने का ड्यू होता है। उसमें वर्कर्स का और मिल मालिक दोनों का रुपया जमा होता है। इसके सम्बन्ध में डैमेज क्लेम करना पड़ता है अगर मिल मालिक उसको समय पर अदा नहीं करते हैं। इसलिये जहां तक डिफाल्टर्स का सवाल है उनसे रिकवरी के सार्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिये जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और लेबर कमिश्नर आपस में मीटिंग कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि यह पैसा जमा किया जाय। कुछ के सम्बन्ध में इन्स्टालमेंट से भी पेमेन्ट लिया जायगा ताकि जल्दी हो। उनसे सूद और डैमेज सब वसूल किया जायगा।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

मैं मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि कुछ मिलों पर ३ महीने का नहीं बल्कि साल भर का प्राविडेंट फंड का और इन्श्योरेन्स दोनों का रुपया बकाया है। एक मिल मालिक को तो इसमें सजा भी हो चुकी है ३ महीने की। मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी जिन लोगों ने ३ महीने से ज्यादा दिनों का पेमेन्ट नहीं किया है उनके प्रासिक्यूशन के लिये सरकार कोई आर्डर ईश्यू करेगी और अगर नहीं तो यह रुपया कैसे वसूल होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्ट प्रश्न कीजिये। इत्तिला न दीजिये।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

पुरुषोत्तम दास सिंहानिया ने बहुत दिनों से प्राविडेंट फंड का रुपया नहीं अदा किया है और उनको ३ महीने की सजा भी हो चुकी है तो बाकी मिलमालिकों के प्रति सरकार कोई प्रासीक्यूशन का आर्डर जारी करेगी, जिन्होंने अभी तक बाकी रुपया अदा नहीं किया है ?

श्री बनारसीदास—

इस सम्बन्ध में रीजनल प्राविडेंट फंड कमिश्नर जब गवर्नमेंट के पास इस बात की रिपोर्ट करते हैं तो यहां से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश दिये जाते हैं। इस तरह के आदेश करीब-करीब आधे दर्जन को दिये जा चुके हैं और इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति, जिस पर कायदे के मुताबिक रुपया बाकी है, उससे वसूलयाबी के लिये प्रयत्न किया जायगा। अगर वसूलयाबी में दिक्कत होगी तो उनका प्रासीक्यूशन किया जायगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं ही सूचना दी है कि एक मिलमालिक का प्रासीक्यूशन किया गया और उसको ३ महीने की सजा भी हुई। इस तरह से कोई भी मिलमालिक हो अगर वह पेमेन्ट नहीं करता है और उससे पेमेन्ट में कठिनाई होती है तो उनका प्रासिक्यूशन सेंग्शन किया जायगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या यह सही है कि रिकवरी सार्टिफिकेट इस प्रश्न के करने के बाद ही ईश्यू किया गया और पहले कोई वसूलयाबी की कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री बनारसीदास—

यह सूचना तो सही नहीं मालूम होती है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

जिन मजदूरों के वेतन से प्राविडेंट फंड काटा जाता है उनमें से कितने मजदूर ऐसे हैं जिनका वेतन कटा और वह जमा नहीं हुआ मिल मालिकों के द्वारा ?

श्री बनारसीदास—

जैसा यूसुफ साहब ने बतलाया कि फैक्टरी की संख्या बहुत लम्बी है। आप यह जानते हैं कि यह सभी मिलों के वर्क्स का सवाल है। मिलों की संख्या करीब ७४ इसमें दी गई है। तो मजदूरों की संख्या बतलाने के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

कानपुर मिलों में लूम बन्द होना

*४—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या श्रम मंत्री को इस बात की जानकारी है कि कानपुर स्थित स्वदेशी काटन मिल, म्योर मिल, कानपुर और विक्टोरिया मिलों में लगभग ढाई हजार लूम बन्द हैं जिससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो यह स्थिति क्यों है और उसे दूर करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया है ?

श्री बनारसीदास—

इन चारों मिलों में २९-११-६३ को कुल लगभग १,१५९ लूम बन्द थे। इस लूम बन्दी का उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। मिल मालिकों का कहना है कि ये लूम कुछ अनिवार्य कारणों से बन्द किये गये हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

१,१०० से ज्यादा लूम्स बन्द हैं और उनके बन्द होने से कपड़ा बनता नहीं और इमर्जेंसी में कपड़े की कमी है। तो जब ६० परसेंट के आर्डर सरकार के हैं इन मिलों के पास तो, क्या सरकार उन के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी कि यह लूम्स बन्द क्यों हैं ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, पहले जो लूम्स बन्द थे उनकी संख्या थी १,७३०, और बाद में प्रयत्नों के फलस्वरूप उनकी संख्या रह गयी १,१५६ । लूम्स में कमी होने का कारण यह है कि इन फैक्टरीज को डिफेंस के बहुत से आर्डर्स मिले हैं और उन के लिये कैनवास की बुनाई होती है । उस के लिये फैक्टरीज को लूम्स में तब्दीली भी करनी पड़ी है इसलिये उनकी संख्या कम हो गयी है । इसका उत्पादन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है । जहां तक लेबर का सवाल है उनमें जो रिट्रेन्चमेंट हुआ है वह नगण्य है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह मंत्री जी का कहना है या मिल मालिकों का कि लूम्स बन्द होने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है ? सरकार का इस बारे में क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कह रहे हैं कि उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा ।

श्री बनारसीदास—

मैंने अर्ज किया कि जो मेरे पास इत्तला है उस के आधार पर मैं कह रहा हूं कि कोई असर नहीं पड़ा है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह लूम्स बन्द नहीं हुये थे तब इन मिलों का टोटल उत्पादन कितना था और लूम्स बन्द होने के बाद कितना रह गया है ?

श्री बनारसीदास—

इसके लिये तो अलग प्रश्न की आवश्यकता होगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अगर यह १,१०० लूम्स चालू हो जायं तो उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी या कमी हो जायगी ?

(मंत्री को उत्तर देने के लिये नहीं बुलाया गया ।)

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

जो लूम्स थे उनमें ८० फीसदी कटौती कर दी गयी है । तो यह जरा लाजिक के खिलाफ बात है कि ८० फीसदी की कमी हो जाय और उत्पादन पर कोई असर न पड़े । तो क्या मंत्री जी स्थिति को ध्यान में रखते हुये इसकी जांच करवायेंगे कि वास्तव में वहां उत्पादन पर असर पड़ा है या नहीं ?

श्री बनारसीदास—

इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ६ फैक्टरीज का सवाल है और इससे ९८ वर्कर्स एफेक्टेड हैं । जैसा मैंने अर्ज किया वहां कैनवास का उत्पादन हो रहा है । उसमें सूत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है । हमारे लेबर विभाग ने इस बात की जांच कर ली है कि जहां लूम्स को बन्द किया गया उसके मुख्य कारण ऐसे हैं कि जिन पर कोई अधिकार नहीं है, मजबूरियां हैं और कुछ फैक्टरीज ने फाइनर क्लाथ बनाने के लिये उन लूम्स को जो तब्दील किया है तो उसमें नाइट शिफ्ट चलाने में दिक्कत होती है । यही सब कारण हैं ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

मैं मंत्री जी को जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि एक मिल मालिक ने खुद मुझसे कहा कि हम सूत को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं और उसमें ज्यादा दाम आता है । तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि वह सूत आज बाजार में बिक रहा है ?

श्री बनारसीदास—

माननीय सन्तसिंह जी को इसकी ज्यादा इत्तला है ।

नवाबगंज ब्लाक अधिकारी को चेतावनी

*५—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार के पास यह शिकायत आई है कि ब्लाक नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के बी० डी०ओ० ब्लाक की जीप गाड़ी क्षेत्र से बाहर चलाते हैं और विशेषकर अपने घर मैनपुरी गाड़ी के द्वारा आते-जाते हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

*६—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या यह सच है कि इन्हीं बी० डी० ओ० के द्वारा माह जून सन् १९६३ में क्षेत्र से बाहर गाड़ी ले जाने पर गाड़ी पलट गयी और ड्राइवर के सख्त चोटें आयीं और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गयी और ड्राइवर के परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह सच है कि १५-६-१९६३ को विकास क्षेत्र की सीमा के पास पखना बीज भण्डार के निकट बैलगाड़ी से बचाते समय जीप कच्चे में स्लिप होकर उलट गई और ड्राइवर के सख्त चोटें आईं और अस्पताल में उसकी तीसरे दिन मृत्यु हो गई । ड्राइवर के अस्थायी कर्मचारी होने तथा विकास आयुक्त के बेनेवलेन्ट फण्ड का सदस्य भी न होने के कारण ड्राइवर के परिवार को सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकी । विकास विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगभग १०० रुपये चन्दा करके तत्काल मृतक ड्राइवर के परिवार को सहायता के रूप में दिये गये । इस दुर्घटना की मैजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी भी की जा रही है ।

*७—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जीप गाड़ी पलटने से कितना नुकसान जीप का हुआ और इस नुकसान को बी० डी० ओ० या सरकार द्वारा पूरा किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

८७ रुपये ५० नये पैसे के तखमीने पर जीप की मरम्मत करवा ली गई और तब से वह चल रही है । दुर्घटना उस समय हुई जब कि सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर थे । इस कारण मरम्मत सरकारी खर्चे पर कराई गई ।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

यह पुखना बीज भण्डार सीमा से कितनी दूर है और किस ब्लाक में है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह उस ब्लाक से जिसके बी० डी० ओ० हैं उसके पास ही लगा हुआ है और उसमें आडिटर, सहकारी समितियां गये हुये थे जांच करने के लिये, तो उस सीमा में भी थोड़ी दूर चले गये थे ।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि यह बीज भंडार किस ब्लाक में है और सीमा से कितनी दूर है और वहां जाने का क्या कारण था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह तो निवेदन किया कि आडिटर, बी० डी० ओ० की जीप से चले गये, स्पष्ट नहीं है कि कितनी दूर वह गांव है सीमा से ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

अगर आडिटर वहां सहकारी समितियों को देखने गये थे तो बी०डी० ओ० के जाने की क्या जरूरत थी जो उनके साथ गये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह अपने सम्मिलित दौरे के सिलसिले में गये हुये थे तो दोनों संयुक्त रूप से अपने-अपने कार्यों पर चले गये ।

श्री रामायणराय—

यह पखनाबीज भण्डार मुहम्मदाबाद ब्लाक में है और ये नवाबगंज के बी० डी० ओ० थे जो पखना से ५ मील दूर है । उत्तर में कहा गया है कि दुर्घटना सीमा के पास हुई और पखना बीज भण्डार के निकट हुई, तो यह असंगतपूर्ण उत्तर क्यों दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यहां प्रश्नों द्वारा क्रास-एग्जामिन नहीं करना चाहिये । आप फैक्ट्स पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं । यह साफ हो गया कि बी० डी० ओ० अपने ब्लाक के अन्दर नहीं थे और दूसरी बात यह कि आडिटर आडिट के सिलसिले में वहां गये थे, बीच में यह कांड हो गया । तो यह आप का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, वह तो स्पष्ट हो गया कि यह घटना उनके क्षेत्र के बाहर हुई। आप दूसरा प्रश्न कीजिये ।

श्री रामायणराय—

प्रश्न ५ के उत्तर में कहा गया है कि यह ब्लाक के बाहर जीप नहीं चला रहे थे, यह बात कहां तक सही है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो मान लिया कि बाहर थे ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस आडिटर्स की मीटिंग में उक्त बी० डी० ओ० साहब जा रहे थे, उनको वहां जाने के आदेश, जबानी या लिखित, किसी उच्च अधिकारी द्वारा प्राप्त हुये थे उस मीटिंग में शामिल होने के लिये ?

श्री राममूर्ति—

बी० डी० ओ० ने जो कार्यवाही की वह कायदे के खिलाफ थी और इसीलिये उसके करेक्टर रोल में एक एन्ट्री भी कर दी गई है और उनको वार्निंग भी दे दी गयी है कि वे इस तरह की कार्यवाही आइन्दा न करेंगे ।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

श्रीमन्, यह बताया गया कि जीप को ठीक कराने में जो ८७ रुपया कुछ पैसा खर्च हुआ है वह सरकार द्वारा दिया गया । यह जीप उस समय उल्टी जब कि वे मैनपुरी जाने के लिये स्टेशन जा रहे थे ? उसी के पास यह गाड़ी उल्टी, तो यह सरकारी ड्यूटी कैसे हो गयी?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह तो सरकारी ड्यूटी पर गये थे, कुछ पी० आर० डी० का काम था, कुछ खरीफ अभियान आदि को देखने का प्रश्न था । इसीलिये वे जा रहे थे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि उनका घर मैनपुरी शहर में है और मैनपुरी वे इसी स्टेशन से रेल द्वारा जाते हैं और इस स्टेशन पर वे इसी जीप पर आते जाते हैं । वह जीप उसी स्टेशन के पास उल्टी जब कि वे अपने घर जाने के लिये उस स्टेशन पर जा रहे थे ? और जांच में अगर यह बात सही हो, तो क्या उनको कोई सजा देंगे और सेवा से हटायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष जी, दो बातें अलग-अलग हैं । घर जाना अलग चीज है, आफिशियल वर्क से कहीं जाना दूसरी चीज है । आफिशियल वर्क से गये, इसलिये उस गाड़ी का आफिशियल इस्तेमाल हो गया और उसी बेसिस पर रुपया सरकार से चार्ज किया गया । अब इसमें कुछ अनियमितता हुई, उसी के लिये उनको वार्न कर दिया गया और यह भी आदेश दिये गये कि जब वे क्षेत्र से बाहर जायं तो एस० डी० ओ० के आदेश प्राप्त कर लें ।

रायबरेली जिले में तरकारी की नरसरियां

*८—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले के कितने विकास खंडों में विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार तरकारी की कितनी-कितनी नरसरी लगवायी गयी और उनमें कितने प्रतिशत बीज उगे ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूरे जिले में कितना धन इस मद में व्यय हुआ है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास आयुक्त के निर्देशानुसार रायबरेली जिले के १६ विकास खंडों में तरकारी की १,४८९ नरसरियां लगवाई गईं और सभी विकास खंडों में बीजों का जमाव ८० प्रतिशत से ऊपर हुआ । पूरे जिले में इन नरसरियों पर सरकार का कोई धन व्यय नहीं हुआ ।

श्री रतीपाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन १६ विकास खंडों में कितने विकास खंड ऐसे हैं जो अपनी भूमि पर बिल्डिंग बनाये हुये हैं, और कितने ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है और किराये के मकान में रहते हैं ?

श्री राममूर्ति—

इसमें, अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग का तो कोई सवाल है नहीं । इसमें तो तरकारी की नर्सरी का सवाल है । मैं इसे स्पष्ट कर दूं ताकि माननीय सदस्यों की समझ में अच्छी तरह यह चीज आ जाये ।

कायदा यह है कि ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज में जो ग्राम क्षेत्र में यूथ क्लब हैं उनके जरिये इस बात की कोशिश की जाती है कि वे अपने घरों में और गांव के लोगों को तरकारी बोने की आदत दिलायें, चूंकि देहात में तरकारी का इस्तेमाल जरा कम होता है । इस तरह का अभियान है और इसी का जिक्र है ।

श्री रतीपाल—

क्या मंत्री जी फिर से जांच करवायेंगे कि रायबरेली जिले में कोई नर्सरी नहीं लगी और अधिकारियों ने झूठ लिखकर भेजा है ?

श्री राममूर्ति—

हमारे पास जो इत्तला आई है वही हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी ।

थरी ग्राम सभा के प्रधान का मामला

*९—श्री रघुनाथसिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार को मालूम है कि दिनांक २४ मई, १९६३ को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रिट पिटीशन नं० १५९ आफ १९६२ के सम्बन्ध में यह आदेश जारी किया था कि जब तक उपरोक्त रिट का फैसला नहीं हो जाता उस समय तक थरी ग्राम सभा, जिला लखनऊ के प्रधान श्री रहमत उल्ला से चार्ज नहीं लिया जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं । माननीय हाई कोर्ट से ऐसे किसी आदेश की कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

*१०—श्री रघुनाथसिंह—

यदि हां, तो सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त आदेश के बावजूद बी० डी० ओ० माल, तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ विरोधी पक्ष कन्हैयालाल को क्यों प्रधान की मान्यता दिये हुये हैं और श्री रहमत उल्ला को प्रधान क्यों नहीं मानते ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्री कन्हैयालाल ने तृतीय सामान्य निर्वाचन में चुने गये गांव सभा थरी के प्रधान श्री रहमत उल्ला के चुनाव के विरुद्ध हाकिम परगना के न्यायालय में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी और न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही श्री कन्हैयालाल को प्रधान पद पर मान्यता दी जा रही है ।

*११—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सरकार उपरोक्त बी० डी० ओ० के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

हाई कोर्ट से कोई आदेश प्राप्त न होने के कारण उसके उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रघुनाथसिंह—

मेरे पास हाई कोर्ट का स्टे आर्डर है, सरकार ने रहमत उल्ला को नहीं माना, इस पर मुनासिब कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

रहमत उल्ला के सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने जो स्टे आर्डर दिया है बी० डी० ओ० ने उसके मुताबिक कार्यवाही नहीं की, तो आप उसकी जांच कराके रहमत उल्ला साहब को चार्ज दिलावेंगे ?

श्री राममूर्ति—

बी० डी० ओ० और जिलाधीश ने कहा कि आप हाई कोर्ट के स्टे आर्डर की सर्टीफाइड कापी ले आइये तो उस पर फौरन अमल किया जायगा ।

बहराइच जिले में पंचायत मंत्रियों के वेतन का भुगतान

*१२—श्री मंगल प्रसाद आर्य (जिला बहराइच) तथा श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत कार्यालय, बहराइच के १९५५ से १९५८ के एकाउन्ट का आडिट हो चुका है ? यदि हां, तो आडिटर द्वारा रिपोर्ट में किस प्रकार की आपत्तियां दर्शायी गयीं थीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां । जिला पंचायत कार्यालय, बहराइच के सन् १९५५ से१९५८ तक के लेखे का आडिट हुआ था । आडिट रिपोर्ट पर निम्न प्रकार की आपत्तियां दर्शाई गईं थीं ।

१—गत लेखा परीक्षण की आपत्तियों का पालन न किया जाना ।

२—ग्राम सभाओं को दिये गये सामान का रजिस्टर, रसीद बुक, रोकड़ बही, स्टाक रजिस्टर आदि कागजात आडिट के समय प्रस्तुत न किया जाना ।

३—वित्तीय अनियमिततायें तथा लेखा सम्बन्धी हिसाब नियमित रूप से न रखा जाना ।

४—गबन ।

*१३—श्री मंगलप्रसाद आर्य तथा श्री रामअधार कनौजिया—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत कार्यालय, बहराइच से श्री सीतासरन पांडेय के मुकद्दमें का फैसला हो जाने के पश्चात् पंचायत निरीक्षक क्षेत्र महीनपुरवा के निम्न कागजात गायब कर दिये ?

(१) कैशबुक, रसीद बुक तथा मंत्रियों के वेतन, भुगतान रजिस्टर सन् १९४९ तथा १९५४ ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र महीनपुरवा के कैशबुक, रसीद बुक तथा मंत्रियों के वेतन भुगतान रजिस्टर के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

कैश बुक—सन् १९४९ से १३ अक्तूबर, १९५२ तक पंचायत निरीक्षक कार्यालय में कोई कैश बुक नहीं रखी जाती थी। १४ अक्तूबर, १९५२ से प्रयुक्त की गयी कैश बुकें जिला पंचायत कार्यालय तथा विकास खंड कार्यालय, महीनपुरवा में उपलब्ध हैं ।

रसीद बुक—१४ अक्तूबर, १९५३ से रसीद प्रयुक्त की गयी जो उपलब्ध हैं ।

पंचायत मंत्रियों का वेतन भुगतान रजिस्टर—१७ अक्तूबर, १९५२ से वेतन भुगतान रजिस्टर जिला पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हैं। इससे पूर्व ये रजिस्टर पंचायय निरीक्षक कार्यालय में नहीं रखे जाते थे।

*१४—श्री मंगलप्रसाद आर्य तथा श्री रामअधार कनौजिया—

यदि नहीं, तो विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २७ फरवरी, १९५४ को पंचायत मंत्रियों के दिसम्बर, १९५३ व जनवरी, १९५४ के वेतन सम्बन्ध में खजाने से कितना धन निकाला गया और कितना तथा किन-किन पंचायत मंत्रियों को भुगतान किया गया और किन-किन मंत्रियों को अभी तक नहीं भुगतान हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

दिनांक २७ फरवरी, १९५४ को पंचायत मंत्रियों के वेतन के भुगतानके लिए १,७६९ रु० २ आने की धनराशि निकाली गयी थी। इसमें से निम्नांकित पंचायत मंत्रियों को भुगतान किया गया।

पंचायत मंत्रियों के नाम	भुगतान की गयी धनराशि
(१) श्री जगदीशसिंह	५०
(२) श्री रामकृपालसिंह	५०
(२) श्री रामनरेश	१००

जिन पंचायत मंत्रियों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है उनकी सूची, सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४० पर)

श्री मंगलप्रसाद आर्य—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ में जिला पंचायत अधिकारी, बहराइच ने सीतासरन नामक पंचायत मंत्री को जिस ने कभी लिपिक के पद पर काम नहीं किया था, उसे लगभग ३,००० रुपया लिपिक के पद का वेतन दिया गया जिस पर आडिटर ने आपति की ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सीतासरन पंचायत इंस्पेक्टर ने १,७६९ रुपये २ आने पंचायत मंत्रियों का वेतन बांटने के लिये खजाने से निकाले, जिसमें से उन्होंने २,३ मंत्रियों को केवल करीब ३०० रुपये अदा किया। उनके खिलाफ कार्यवाही की गई मगर शायद वह अदालत से छूट गये।

श्री रामआधार कनौजिया—

उन्होंने जो गलत लिपिक का वेतन लिया उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री मंगलप्रसाद आर्य—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन लोगों का वेतन उस समय भुगतान नहीं किया गया, केवल दो ही चार आदमियों को भुगतान हुआ। इसका कारण क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने बतलाया कि ३ मंत्रियों को उन्होंने वेतन दिया जब कि रुपया १,७६९ उन्होंने निकाला था।

क्षेत्र विकास अधिकारी, सोरों के विरुद्ध शिकायत

*१५—श्री वेदराम (जिला एटा)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिला स्थित विकास क्षेत्र सोरों के बी० डी० ओ० के विरुद्ध कितने शिकायती पत्र १५ जनवरी, १९६३ से ३० सितम्बर, १९६३ तक प्राप्त हुये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास क्षेत्र सोरों जिला एटा के क्षेत्रीय विकास अधिकारी के विरुद्ध १५ जनवरी, १९६३ से ३० सितम्बर, १९६३ तक दो शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं।

*१६—श्री बेदराम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि—

(अ) मुख्य शिकायतें क्या हैं,

(ब) उनकी जांच किस से कराई गई, और

(स) उसका क्या परिणाम निकला उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

(अ) क्षेत्र विकास अधिकारी सोरों के विरुद्ध प्राप्त एक शिकायती पत्र में सीमेंट के वितरण तथा दूसरे में फर्जी परमिट जारी होने की शिकायत थी।

(ब) उक्त प्रार्थना-पत्रों की जांच जिला कृषि अधिकारी द्वारा कराई गई।

(स) जांच में आरोप तथ्यहीन पाये गये।

श्री बेदराम—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस बात की जांच अभी तक न की गयी कि सुरक्षा कोष में जो ५ रुपया दिया गया था, उसकी रसीद नहीं दी गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह सब जांच अधिकारी द्वारा करायी गई। उसने बताया कि परमिट रामकुमार जी, सत्यप्रकाश जी, बेदराम जी, एम० एल० ए० आदि को दिये गये और यह शिकायत सच नहीं है कि सुरक्षा कोष में दिये गये रुपये की रसीद नहीं दी गयी। जितना भी रुपया उन्होंने सुरक्षा कोष में वसूल किया उसका हिसाब जमा कर दिया है।

श्री बेदराम—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि श्री रामकुमार की रसीद में सोरों काटकर खंजी नगला कर दिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

काउन्टर फाइल में ठीक है, उसमें नहीं कटा है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को सीमेंट के वितरण के बारे में और ब्लाक्स से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? अगर प्राप्त हुयी हैं तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सीमेंट की कमी होने के कारण ब्लाक कमेटियों को अधिकार दे दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये दरख्वास्तें सरकार को किन-किन व्यक्तियों की ओर से मिलीं और क्या जांच करने वाले आफिसर ने उन लोगों से पूछ-तांछ की या नहीं ? अगर नहीं की, तो किसी उच्चाधिकारी से फिर से उसकी जांच कराकर उसका निबटारा करायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जांच तो हो चुकी है, अगर कोई कमी होगी तो देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी थीं उन लोगों के बयानात लिये गये ? अगर नहीं लिये गये, तो उनको ले कर जांच करायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह स्पष्ट रूप से मेरे पास नहीं है । अगर इसके बारे में सूचित करेंगे तो देख लिया जायेगा ।

वाराणसी जिले में जन स्वास्थ्य सहायक विकास अधिकारियों का वेतन

*१७--श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को पता है वाराणसी जिला अन्तर्गत कितने ऐसे जन स्वास्थ्य सहायक विकास अधिकारी हैं जिनका ३माह से अधिक का वेतन नहीं मिला है उनके नाम और कितने महीने का वेतन नहीं मिला इस का विवरण देने की कृपा करें ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एपेडेमिक सहायक की उन्नति के लिए सिफारिश

*१८--श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने कोई सिफारिश 'एपेडेमिक' सहायक, को उनकी अति कठिन तथा महत्वपूर्ण ड्यूटी देखते हुये नान प्रैक्टसिंग भत्ता देने की की है ? यदि हां, तो उसमें सरकार बिलम्ब क्यों कर रही है जब कि चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत इन्हीं की भांति ड्यूटी वाले आयुर्वेदिक अधिकारियों को एवं प्राइमरी हेल्थ यूनिट के चिकित्सकों को नान प्रैक्टिसिंग भत्ता राजाज्ञा संख्या १७०७-बी०आई० बी०/१७१६-१६५४, दिनांक २० मार्च, १६५६ के अनुसार मिलता है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी हां, परन्तु आर्थिक संकट के कारण इस पर विचार स्थगित कर दिया गया है ।

*१६--श्री सुरेन्द्रविक्रम--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 'एपेडेमिक ' सहायक के लिये कोई पदोन्नति (प्रमोशन) के लिये पद है या नहीं ? क्या इस विषय में स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने कोई सिफारिश की है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

एपीडेमिक सहायक के पदोन्नति (प्रमोशन) के लिये कोई पद नहीं है इस विषय में स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने कोई सिफारिश नहीं की है ।

*२०--श्री सुरेन्द्रविक्रम--

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी की अध्यक्षता में निर्मित कालरा कमेटी ने एपेडेमिक सहायकों के पदोन्नति की कोई शिफारिस की ? यदि कोई सिफारिश की है, तो उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जी हां, कमेटी की सिफारिशों को आर्थिक संकट के कारण स्थगित कर दिया गया है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम---

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आर्थिक संकट के होते हुये भी कई नये पदों का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से पद हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इस समय तो मेरे पास सूचना नहीं है कि किन-किन नये पदों का सृजन हुआ है और वे कौन-कौन से पद हैं।

श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)---

क्या यह सही है कि आर्थिक संकट की वजह से पी० एम० एस०-२, का स्केल जो पहले १२०-२०० रु० था उसे २००---४०० रु० तक कर दिया गया और सन् १९६१ में फिर पी० एम० एस०-२ का ही स्केल २३५-६०० रु० कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह कौन सा आर्थिक संकट है जिसमें यह तरक्की दी गयी है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

स्टेट में डाक्टरों की कमी होने की वजह से और उस पद को रोचक बनाने के लिये सरकार ने ग्रेडेशन में कुछ परिवर्तन कर रखा है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक्टर रोहतगी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने क्या मुख्य-मुख्य सिफारिशें की हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

यह तो बड़ी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट है, अगर अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें तो मैं पढ़ना शुरू कर दूं।

श्री चन्द्रजीत यादव---

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि डाक्टर रोहतगी कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं पदोन्नति के बारें मे उनको आर्थिक कठिनाई के कारण सरकार ने लागू नहीं किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन सिफारिशों के मुताबिक कितना रुपया पदोन्नति करने से सरकार को खर्च करना पड़ेगा और इस बात को देखते हुये कि उनके लिये कमेटी बनायी गयी थी, उनका वेतनक्रम बहुत कम है, और उनके काम को देखते हुये सरकार इस बजट में उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इस वक्त इसके फीगर्स बतलाना तो मुश्किल है, लेकिन कमेटी की सिफारिशों को अगर इस वक्त सरकार स्वीकार करे तो उसकी वजह से काफी रुपया खर्च हो जायगा।

हरिजन स्टाफ नर्सें

*२१---श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्सों में कुल कितनी हरिजन नर्सें हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

६ स्टाफ नर्स हरिजन हैं।

जिला परिषदों से संबंधित पेंशन के मामले

*२२—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कर्मचारियों के पेंशन के कुछ मामले ऐसे हैं जो जिला बोर्ड अथवा जिला परिषद् से सम्बन्ध रखते थे और वे इस समय सरकार के अधीन आ गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने हैं और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। ऐसे मामले कुल ३९ हैं।

इन मामलों में जो कार्यवाही हो रही है, उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(१) १२ मामले ऐसे हैं जिनमें प्रान्तीयकरण के समय सम्बन्धित कर्मचारियों की आयु ३० वर्ष के ऊपर थी अतएव उनके पेंशन अधिकार से सम्बन्धित प्रशासकीय कठिनाइयों के विषय पर आवश्यक आदेश ९ सितम्बर, १९६३ को जारी किये गये थे। तब से ये मामले महालेखापाल के विचाराधीन हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने उनको शीघ्र कार्यवाही हेतु स्मरण कराया है।

(२) ८ और मामले महालेखापाल के ही विचाराधीन हैं।

(३) ३ मामलों में जिला परिषद् का कंट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फंड हेतु आवश्यक अंशदान अभी तक सरकारी कोष में जमा नहीं हो सका है और उस हेतु आवश्यक पत्र-व्यवहार हो रहा है।

(४) ४ मामलों में महालेखापाल ने यह आपत्ति की है कि जिला परिषद् के इम्पलायर्स शेयर प्रान्तीयकरण के पश्चात् निर्धारित समय के बाद जमा किये गये थे। ये मामले भी शासन के विचाराधीन हैं।

(५) १० मामलों में महालेखापाल ने सम्बन्धित अधिकारियों से कुछ सूचनायें एवं डाकुमेंट्स मांगे हैं जिनके सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(६) दो और मामलों में महालेखापाल ने वेतन निर्धारण एवं स्थायीकरण के विषय पर आपत्ति की है तथा उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गोंडा जिले में अस्पतालों की व्यवस्था

*२३—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में मथुरा बाजार, शिवपुरा एवं हरैया में अस्पताल होते हुये भी ५-६ वर्षों से एक में भी डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो शिवपुरा में जो कि क्षेत्र के मध्य में पड़ता है डाक्टर की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, इन अस्पतालों में कुछ वर्षों से डाक्टर नहीं हैं। शिवपुरा अस्पताल में अब डाक्टर भेजने की व्यवस्था कर दी गई है।

*२४—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त अस्पतालों में मरीजों के ठहराने की व्यवस्था कम है ही, साथ ही उनके भोजन आदि बनाने की बिलकुल व्यवस्था न होने के कारण वर्षा एवं शीतकाल में बड़ी ही कठिनाइयां पड़ती हैं ? क्या उनमें सरकार उचित व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिला गोंडा के राजकीय चिकित्सालय गुमौली में ५, शिवपुरा में ४ तथा मथुरा बाजार में ४ अंतरंग पलंगों की व्यवस्था है। साधारणतया ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में इतने ही पलंगों की व्यवस्था होती है और उनमें उन सब सुविधाओं को उपलब्ध करना सम्भव नहीं होता जो बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिवपुरा अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति किस तारीख को हुई है या किस तारीख तक हो जायगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

शिवपुरा में डाक्टर भेजने का आदेश डाइरेक्टर, मेडिकल हेल्थ ने कर दिया है। तारीख की सूचना नहीं है, उनका आदेश तो चला ही गया है।

श्री सुखदेवप्रसाद—

वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और वहां पर बहुत दूर से जो मरीज आते हैं उनके लिये भोजन बनाने के लिये किसी भवन का प्रबन्ध नहीं है जिससे बरसात के मौसम में लोगों को काफी परेशानी होती है और लोगों को अपना सब सामान छोड़ कर इधर-उधर भागना पड़ता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां पर उनके भोजन बनाने के लिये कोई भवन बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि सीमित साधनों को और उसके पैटर्न को देखते हुये सरकार उसके लिये हर सम्भव प्रयास करती है।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने डाक्टर भेजने का आदेश दिया है लेकिन वहां अभी डाक्टर पहुंचा नहीं है तो वह कितने दिन बाद पहुंच जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने कहा कि आदेश दे दिया है ....

श्री उग्रसेन—

हमारा प्रश्न है कि उनके आदेश के अनुसार डाक्टर पहुंचा या नहीं और नहीं तो कब तक पहुंच जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि पहुंच जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी कहा गया कि ५-६ साल से अस्पताल में डाक्टर नहीं है, इस तरह से सैकड़ों की संख्या में ऐसे अस्पताल हैं कि जहां डाक्टर नहीं हैं और इसको ध्यान में रखते हुये सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी जिसके सुझाव नितान्त आवश्यक थे कि जितने ऐसे अस्पताल हैं वहां डाक्टर भेजे जायं और क्या उस कमेटी ने कोई इन्टेरिम रिपोर्ट सरकार को दी है और इस कमी को दूर करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस सम्बन्ध में जो हाई पावर कमेटी बैठी है उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है और इस की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पोस्ट को आकर्षक कर दिया जाय जैसे पी० एम० एस० वन और पी० एम० एस० टू को मिलाने की बात है और कई ऐसी चीजें हैं जो अभी सरकार के विचाराधीन हैं, कुछ ऐसी चीजों के होने पर आशा की जाती है कि डाक्टरों के मिलने में आगे आसानी होगी।

शराब बन्दी हटाने से लाभ

*२५—श्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस दिनांक से कितने जिलों में ३१ दिसम्बर, १९६२ के बाद ३१ अगस्त, १९६३ तक शराबबन्दी को खोला गया और दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ तक पृथक्-पृथक् खोले गये जिलों में कितना-कितना लाभ हुआ, इसकी ब्योरेवार सूची दिये जाने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

३१ दिसम्बर, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६३ तक किसी जिले में शराबबन्दी को नहीं खोला गया, वरन् १ दिसम्बर, १९६२ से ११ जिलों बदायूं, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, जौनपूर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर एवं रायबरेली से शराबबन्दी को हटा दिया गया था।

१ दिसम्बर, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६३ तक इन जिलों को खोलने से आबकारी आय में हुये लाभ के आंकड़ों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४१ पर)

दि फाउण्डेशन फार न्यु एजूकेशन, राजघाट, वाराणसी द्वारा अध्याप्त भूमि

*२६—श्री रघुनाथसिंह—

क्या विकास मन्त्री प्रश्न संख्या ५१, तिथि २५ सितम्बर, १९६३ के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि सराय मुहाना के कुल रकबे की कितनी प्रतिशत भूमि 'दि फाउन्डेशन फार न्यू एजूकेशन', राजघाट, वाराणसी ने ली है ? इस भूमि पर इस शिक्षा संस्था का किस हैसियत का मालिकाना है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मौजा सराय मुहाना के कुल रकबे की ९८.९९ प्रतिशत भूमि दी फाउन्डेशन फार न्यू एजूकेशन, राजघाट, वाराणसी ने ली है और इस भूमि पर वहैसियत जमींदार मालिकाना आलम के हैं।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब फाउन्डेशन फार न्यू एजूकेशन, राजघाट ने उस गांव की समान्यत: सभी भूमि ले ली है तो वहां पंचायतों के निर्वाचन और ग्राम पंचायतों के सारे काम कहां तक वैधानिक हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वैधानिकता तो राय की बात है, कोई दूसरा प्रश्न आप करें।

श्री रघुनाथसिंह —

उस गांव की ९८.९९ प्रतिशत जमीन पर उस संस्था का कब्जा है और वहां गांव पंचायत भी कायम है, भुमि प्रबन्धक समिति भी कायम है, तो वहां अब यह क्यों कायम हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय —

गांव का सारा क्षेत्र उस संस्था के अन्तर्गत हो जाने से पंचायतों के संगठन में कोई अन्तर नहीं होता, वह तो काम करेंगी जितने भी वहां के प्रशासन और सामाजिक सुधार के कार्यक्रम हैं, वह रेवेन्यू विलेजेज है वह होंगे, इसीलिये वहां पंचायतें कायम हैं।

श्री रघुनाथसिंह —

यह उन के उत्तर से स्पष्ट हुआ कि भूमि प्रबन्धक समिति और गांव समाज की स्थापना वहां हुई होगी और दोनों संस्थायें वहां काम कर रही होंगी।

श्री बंशीधर पांडेय —

यह समितियां वहां पर जरूर होंगी।

श्री रघुनाथसिंह —

मैंने तो प्रश्न के सन्दर्भ में पूछा था...

श्री अध्यक्ष—

अगर आप जानते हों तो कहिये हां, यदि नोटिस की आवश्यकता है तो वैसा कहिये।

श्री बंशीधर पांडेय —

इस वक्त इस खास गांव की सूचना नहीं है लेकिन आम तौर से सब जगह वह संगठित कर दी गई है।

श्री उग्रसेन —

क्या मन्त्री जी के पास इस तरह की और भी शिकायतें आई हैं कि वहां की गांव समाज और भूमि प्रबन्धक समिति फर्जी काम कर रही हैं, क्योंकि वहां की करीब करीब पूरी जमीन उस शिक्षा संस्था के लिये निकल गई है ? यदि हां तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय —

माननीय रघुनाथसिंह ने कई प्रार्थना-पत्र दिये थे और समय-समय पर सवालों के रूप में भी यह प्रश्न सरकार के सामने आया। सरकार इसको देख रही है, उसकी जांच हो रही है।

श्री चन्द्रबलीसिंह —

मन्त्री जी बतायेंगे कि उस गांव की कितनी जमीन ली गई है और उसका मुआविजा किस रेट से दिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय —

इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रघुनाथसिंह —

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के मातहत शिक्षा संस्थाओं की गांवों पर काबिज जमींदारियां नहीं टूटीं ? यदि टूटी हैं, तो क्या कारण है इसी शिक्षा संस्था की गांव सराय मुहाना पर जमींदारी नहीं टूटी ? क्या अन्य शिक्षा संस्थाओं की भी जमीदारियां इस तरह से कायम हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय —

इस सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता है।

श्री रघुनाथसिंह —

एक सूचना में दे दूं कायस्थ पाठशाला की जमींदारी इसी गांव के पास एक गांव में टूट चुकी है। यहां केवल मिली जुली धांधली है।

शाहजहांपुर में अंग्रेजी शराब के लाइसेंसदार

*२७—श्री मुहम्मद रफी खां —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर में अंग्रेजी शराब बेचने के कितने लाइसेंसदार हैं और उन लाइसेंसदारों के नाम क्या हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

शाहजहांपुर में अंग्रेजी शराब बेचने के तीन लाइसेंसदार हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं :

(१) मेसर्स एस० एस० वर्मा एन्ड ब्रदर्स,

(२) मेसर्स मोहन लाल एन्ड कम्पनी,

(३) श्री गिरिजा किशोर, प्रोप्राइटर मान सरोवर होटल।

श्री मुहम्मद रफी खां —

क्या गिरजाकिशोर मिश्रा वही हैं जो भारत सेवक समाज के संयोजक भी हैं ? यदि हां, तो वह भारत सेवक समाज के कनवीनर कैसे बनाये गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

भारत सेवक समाज का संयोजक हमारा आबकारी विभाग नहीं बनाता है।

छाता एवं चौमुहां विकास खण्ड में जीप न होना

*२८—श्री लखीसिंह—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छाता विकास खण्ड तथा चौमुहां विकास खण्ड को कार्य करने के लिये जीप नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों, जब कि जिले के दूसरे सभी विकास खण्डों में जीपें हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास खडों की चीपें, उनके प्रथम सोपान में दी जाती थीं। आपत्कालीन परिस्थिति लागू होने पर नये विकास खंडों को जीप देना स्थगित कर दिया गया। इसी कारण चौमुहां और छाता विकास खंडों को जीपें नहीं दी जा सकी। अन्य विकास खंडों को (जहां जीपें हैं), जीपें आपत्कालीन परिस्थिति के पूर्व दी जा चुकी थीं।

*२९—श्री लखीसिंह —

क्या यह सत्य है कि साधन विहीन होने के कारन इन विकास खण्डों का कार्य पूरा नहीं होता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं। छाता एवं चौमुहां विकास खंडों के लिये उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसें (Buses) उपलब्ध हैं।

*३०—श्री लखीसिंह —

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि छाता तथा चौमुहां विकास खंडों को कार्यालय भवन के लिये कितना रुपया स्वीकार हुआ और अब तक क्या निर्माण प्रगति हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय —

छाता एवं चौमुहां विकास खंडों में निर्माण हेतु क्रमश : ८०,४०० रु० और १,०४,००० रु० का प्राविधान अधिसासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मथुरा को प्राप्त हो चुका है। भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक पत्र-व्यवहार हो रहा है। भूमि हस्तान्तरित हो जाने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

श्री लखीसिंह —

मन्त्री जी बतायेंगे कि जो मथुरा जिले में १२ विकास खंड हैं उनमें से कौन से प्रथम श्रेणी के हैं ?

श्री राममूर्ति —

इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) —

मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो नये विकास खंड हैं, उनको जब जीप की सहूलियत नहीं दे रहे हैं, तो क्या उनको घोड़ा या बेलगाड़ी की सुविधा देंगे ?

श्री राममूर्ति —

साइकिलों का इस्तेमाल किया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय —

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जिन विकास खंडों में जीपें नहीं हैं उनमें बी० डी० ओ० या अन्य कर्मचारी साइकिल से काम करते हैं और जहां जीपें हैं उनके मुकाबले में कम नहीं करते हैं। तो क्या मन्त्री जी व्यवस्था करेंगे कि बी० डी० ओ० के पास जीपें न रखी जायं और उस पैसे को दूसरे काम में इस्तेमाल किया जाय ?

श्री राममूर्ति —

अध्यक्ष जी, यह एक पालिसी का सवाल है। यह प्रश्न यहां पर कई बार उठाया गया और सरकार की तरफ से भी बताया गया कि यह एक आल इन्डिया पैटर्न है और जिसके सम्बन्ध में मैंने भी यह कहा कि यदि ये जीपे हटाई जायं तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन यह एक सिस्टम चल रहा है और प्लानिंग कमीशन भी ऐसा मुनासिब समझता है लिहाजा हम उसे हटा नहीं सकते हैं। साइकिलों से भी मेहनत से जो काम करते हैं वे भी अच्छा काम करते हैं। जिन ब्लाकों में जीपें नहीं हैं, यह नहीं कि हम उन्हें जीपें नहीं देना चाहते हैं बल्कि यह है कि इमरजेन्सी के कारण और मिलिटरी को सप्लाई होने के कारण जीपें बहुत कम मिलती हैं ?

श्री होरीलाल यादव —

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जीपें न दिये जाने के कारण विकास के काम में कोई दिक्कत नही पड़ती ? इसलिये प्रान्तीय सरकार की तरफ से क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार को लिखा जाता कि वे आल इंडिया पैटर्न को बदलने की कोशिश करें ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो जवाब उन्होंने ने दिया कि इमरजेन्सी की वजह से जीपें नहीं दी जा सकतीं।

श्री लखीसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समाजवादी व्यवस्था के अनुसार ये जीपें हर ब्लाक से छीन क्यों नहीं ली जातीं जिससे सामान्यतः का व्यवहार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

एक तरफ तो आप कहते हैं कि उनको जीपें दी जायं और दूसरी तरफ समाजवाद की दृष्टि से आप कहते हैं कि वे छीन ली जायं। यह नहीं हो सकता।

सहारनपुर में ताड़ी की दूकान पर कब्जा करने की जांच

*३१—श्री ब्रह्मदत्त मायर —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगर के मोहल्ला नवाबगंज में जिस जगह पर ताड़ी का ठेका था और जिसके किरायेदार पुराने ठेकेदार श्री पटेल थे पर ३० सितम्बर, १९६३ और १ अक्तूबर, १९६३ की रात में कुछ गुन्डों की मदद से नये ठेकेदारों ने कब्जा जबरन किया यदि हां तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

दिनांक ३० सितम्बर, १९६३ व १ अक्तूबर, १९६३ की रात्रि में नये ठेकेदार के आदमियों ने रात के १२ बजे के बाद किसी समय ताड़ीखाने में घुसकर कब्जा कर लिया। जब अधिकारियों को श्री पटेल ने सूचना दी, तुरन्त आवश्यक कानूनी कार्यवाही की गई।

*३२—श्री ब्रह्मदत्त मायर —

क्या मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उस समय मौके पर सिटी-मैजिस्ट्रेट, सी० ओ०, सिटी और एक्साइज इंस्पेक्टर नये ठेकेदार की मदद को मौके पर गये और पुलिस को यह आदेश दे कर आये कि यदि जबरन कब्जा करने पर कोई रोके तो उसे गिरफ्तार कर लिया जावे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय —

जी नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री पटेल ने तुरन्त ही अधिकारियों के पास इस बात की शिकायत की, परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

जो पुलिस में रिपोर्ट लिखवायी उस सम्बन्ध में हमारे पास जो सूचना है वह यह है कि श्री पटेल ने दूसरे ठेकेदारों से समझौता कर लिया। इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर —

मेरा प्रश्न यह नहीं कि श्री पटेल ने उनसे फैसला कर लिया या नहीं ? मेरा प्रश्न यह है कि अधिकारियों ने इस बात पर क्या कार्यवाही की उन गुन्डों के खिलाफ जिन्होंने रात्रि में जाकर मकान पर कब्जा किया ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष—

किनके विरुद्ध?

ब्रह्मदत्त मायर —

गुन्डों के विरुद्ध।

श्री दीपनारायणसिंह—

घर में घुस जाना दफा ४५२ और हमला करना, बलवा करना यह नान कम्पाउन्डेबिल आफेन्सेज हैं उन पर कम्पाउन्ड नहीं किया जा सकता, तब सुलह करके कानूनी रूप कैसे दे दिया ?

श्री अध्यक्ष—

गलती हो गयी, आप सुझाव दे दीजिये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इसी सदन में माननीय सुचेता कृपालानी जी ने आश्वासन दिया था कि इस मामले की जांच मेरठ के कमिश्नर के द्वारा कराई जा रही है उस जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जांच कर ली गई है और उस पर उचित कार्यवाही हो रही है।

हरिजन पंचायत निरीक्षक

*३३—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कुल कितने पंचायत निरीक्षक हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री राममूर्ति—

पंचायत निरीक्षकों के पदों के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत-एवं-समाज शिक्षा) के पदों में विलयन होने के पश्चात् प्रदेश में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) के कुल ९३० पद हैं जिनमें से २६ पदों पर हरिजन हैं।

*३४—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार प्रतिशत सुरक्षित स्थानों की पूर्ति करने की आज्ञा देगी ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न विचारधीन है।

कोपागंज व बरांव विकास खण्डों में कम्पाउन्डरों को वेतन न मिलना

*३५—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला के कोपागंज और बड़रांव विकास खंडों के स्वास्थ्य केन्द्र के कम्पाउन्डरों का वेतन अक्तूबर, सन् १९६२ से अब तक प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो किन कारणों से और इस विलम्ब के लिये जिम्मेदार कौन हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। यह सही है कि कथित स्वास्थ्य केन्द्रों के कम्पाउन्डरों को वेतन माह अक्तूबर, १९६२ से सितम्बर, १९६३ तक कुछ प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण नहीं दिया जा सका। इस विषय में समुचित राज्यादेश जारी कर दिये गये हैं जिनके आधार पर इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३६—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मन्त्री जी उपरोक्त प्रश्न की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

जैसा कि ऊपर कहा गया है इस सम्बन्ध में समुचित राज्यादेश जारी किये जा चुके हैं।

उझानी सहकारी बीज गोदाम में सुपरवाइजर द्वारा गबन

*३७—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के उझानी सहकारी बीज गोदाम के खाद का A. R. Cooperative, B. D. O., D. P.O., A. D. O. ने १९६२ से १९६३ तक कब-कब पिछले २ माह में मुआयना किया ?

श्री बनारसीदास —

वर्ष १९६२ से १९६३ तक उझानी सहकारी बीज गोदाम के खाद का मुआयना केवल ए० डी० ओ० ने दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६२ को किया था।

*३८—कुंवर रुकमसिंह राठौर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, उझानी से सहकारी बीज गोदाम का सुपरवाइजर कब भाग गया और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसीदास —

उझानी सहकारी बीज गोदाम का सुपरवाइजर केवल एक दिन का अवकाश लेकर दिनांक ३१ सितम्बर, १९६३ से फरार हो गया।

खाद के स्टाक की जांच कराने के बाद सुपरवाइजर के विरुद्ध ६५,७२५ रु० ३० न० पै० के गबन की रिपोर्ट पुलिस में दिनांक २६ अक्तूबर, १९६३ व दिनांक ५ अक्तूबर, १९६३ को क दी गई है। जिलाधीश बदायूं ने इस मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराने के लिये दिनांक २० नवम्बर, १९६३ को कमिश्नर, रुहेलखंड डिवीजन, बरेली को लिखा है।

सुपरवाइजर दिनांक २७ नवम्बर, १९६३ से निलम्बित कर दिया गया।

*३९—कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त बीज गोदाम की fertilizer की अब क्या स्थिति है ?

श्री बनारसीदास—

खाद के स्टाक की जांच करने पर ६१,२०० रु० ७० न० पै० के कीमत की खाद में कमी पाई गई और ४,५२४ रु० ६० न० पै०नकद बिक्री का गबन पाया गया।

उमरदा विकास क्षेत्र में कथित गबन

*४०—श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ अगस्त, सन् १९६३ से ३१ अगस्त, सन् १९६३ तक सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने उमरदा विकास क्षेत्र, फर्रुखाबाद की किन-किन अदालत पंचायतों का निरीक्षण किया और उनमें क्या किसी पंचायत में गबन भी पकड़ा गया ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति—

सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने १५ अगस्त, १९६३ से ३१ अगस्त, १९६३ तक उमरदा विकास क्षेत्र की किसी न्याय पंचायत का निरीक्षण नहीं किया । अतः गबन पकड़े जाने अथवा उस पर कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

गांव सभा लहडरा की भूमि

*४१—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिलान्तर्गत परगना रामनगर के ग्राम लहडरा में गांव सभा के पास कितनी भूमि है ? क्या गांव की भूमि पर जबरदस्ती लोगों ने नाजायज तौर से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो वह भूमि कितनी है और उसे वापस लेने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

बाराबंकी जिलान्तर्गत परगना रामनगर की गांव सभा लहडरा की भूमि का कुल क्षेत्रफल ९३७ बीघा ६ विस्वा ७ विस्वान्सी है, जिसमें से २२९ बीघा १० विस्वा १० विस्वान्सी भूमि ग्राम समाज में निहित हैं ।

गांव सभा की २ बीघा १० बिस्वा १० बिस्वान्सी भूमि पर चार व्यक्तियों ने अनधिकार कब्जा कर रखा है । इन चारों व्यक्तियों के विरुद्ध जेड० ए० एल० आर० ऐक्ट के अनुसार ११५ सी० की कार्यवाही की रिपोर्ट की जा चुकी है जो विचाराधीन है।

सहारनपुर में ताड़ीखाना हटाया जाना

*४२—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ताड़ीखाना नवाबगंज, जिला सहारनपुर के चारों तरफ काफी तादाद में नये मकान व बस्ती बस गई है और पास में ही गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भी है ? यदि हां, तो लड़कियों को स्कूल जाने के लिये ताड़ीखाने के सामने से जाना पड़ता है, जहां हर समय हंगामा रहता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । परन्तु ताड़ीखाना, वहां से हटा दिया गया है, अस्तु उसकी वजह से हंगामें का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*४३—श्री जयगोपाल—

क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि नवाबगंज, बेरीबाग व मंगलनगर के रहने वाले व जयगोपाल, एम० एल० ए०, डी० एम०, सहारनपुर से सितम्बर में मिले थे और प्रार्थना की थी की आबादी के कारण ताड़ीखाना किसी दूसरी जगह बदल दिया जाय ? यदि हां, तो डी० एम० ने क्या किया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । अगस्त, १९६३ में कथित बस्तियों के रहने वाले ताड़ीखाने के हटाने के विषय में एक प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित जिलाधीश से मिले थे । तदनन्तर जिलाधीश ने इक्साइज मैनुअल भाग १ की धारा ३८६ (ब) के अन्तर्गत ताड़ीखाने के स्थान के निर्णय के लिये मामले को इक्साइज लाइसेंसिंग बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे । बोर्ड के सुझाव पर जिलाधीश ने ताड़ीखाने को वहां से हटवा दिया है ।

प्रतापगढ़ जिले में जन-स्वास्थ्य सहायक विकास अधिकारी

*४४—श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ के उन विकास खंडों के जो द्वितीय श्रेणी में आ गये हैं, ए० डी० ओ० की सेवायें स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई हैं ? यदि हां, तो उनकी सेवायें कब स्थानान्तरित की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला प्रतापगढ़ के द्वितीय सोपान के विकास खंड कालाकंकर तथा प्रतापगढ़ के जन स्वास्थ्य सहायक विकास अधिकारियों की सेवायें १–४–६३ तथा संगीपुर विकास खंड के जन स्वास्थ्य सहायक विकास अधिकारी की सेवायें १–७–६३ से स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित हुईं ।

*४५—श्री बाबूलाल—

क्या यह सत्य है कि उन लोगों को इस परिवर्तन के बाद अभी तक वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक दे दिया जायगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वेतन दे दिया गया है ।

जिला अस्पताल, फर्रुखाबाद के हेडक्लर्क व डाक्टर के विरुद्ध शिकायत

*४६—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अस्पताल, फर्रुखाबाद के सिविल सर्जन के हेड क्लर्क के विरुद्ध यह शिकायत की गयी है कि वह अस्पताल के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं व रिश्वत लेते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

*४७—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन्हीं हेड क्लर्क का तबादला किया गया और फिर रोक दिया गया ? ऐसा क्यों ?

*४८—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अस्पताल, फर्रुखाबाद में कितने डाक्टर हैं और सर्जरी का काम कौन करता है ? क्या यह ठीक है कि इन डाक्टरों में से जो डाक्टर सर्जरी का कार्य करते हैं उनका हाथ कांपता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ग्राम सभा, दादूपुर के प्रधान, श्री भगवानदास के विरुद्ध जांच

*४९—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम प्रधान भगवानदास दादूपुर, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी के खिलाफ पंचायतराज ऐक्ट की किस धारा के मातहत परगना हाकिम उत्तरी वाराणसी कुछ लोगों की ३१–५–६३ की दरख्वास्त पर विभागीय जांच कर रहे थे ? उस जांच की कार्यवाही पूरी नहीं की गयी ?

श्री राममूर्ति--

ग्राम सभा दादूपुर के प्रधान श्री भगवानदास के विरुद्ध उक्त ग्राम सभा के कुछ सदस्यों ने एक शिकायती पत्र दिनांक २८ जून, १९६१ को एस० डी० एम०, वाराणसी को दिया था। जिसकी जांच तहसीलदार से कराने के पश्चात् प्रधान के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा ९५ (१) (जी) के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की गई। इसी बीच उसी गांव के एक निवासी श्री राम खेलावन मिश्र ने उक्त प्रधान के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दिनांक २३ मई, १९६३ अतिरिक्त जिलाधीश को भारतीय दण्ड विधान की धारा ४०९ के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराने के हेतु दिया था। अब स्थिति यह है कि श्री भगवानदास के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा ४०९/४२० के अन्तर्गत मुकदमा, थाना बड़ागांव में दर्ज कर लिया गया है। इस कारण प्रधान के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

खुर्जा में सड़ा अनाज पकड़ा जाना

*५०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला बुलन्दशहर के खुर्जा नामक स्थान पर सितम्बर, १९६३ में ३०० मन सड़े अनाज से लदी ट्रकें पकड़ी गयी हैं और बाद में वह सड़ा अनाज जमीन में गड़वा दिया गया और क्या यह भी सच है कि वहीं पर ७०० मन और सड़ा अनाज सील करके भी रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है और अब तक इस सम्बन्ध में कितने व्यापारियों का चालान हुआ है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

२३ सितम्बर, सन् १९६३ को ९५० मन सड़ा अनाज जो कि बुलन्दशहर से खुर्जा लाया जा रहा था, नगर स्वास्थ्य अधिकारी खुर्जा ने नगर पालिका ऐक्ट की धारा २४४ के अन्तर्गत पकड़ा था। इसमें ३३० मन जो न तो मनुष्यों के खाने योग्य था न जानवरों के, जमीन में गड़वा दिया गया। ६२० मन जो सहायक पशु चिकित्सक खुर्जा के कहने के अनुसार पशुओं के खाने योग्य था, चारे के लिये दे दिया गया।

नगरपालिका ऐक्ट की धारा २४४ के अनुसार पकड़ा हुआ अनाज केवल नष्ट ही किया जा सकता है। अतः अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

सिकन्दराबाद चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण

*५१--श्री जसरामसिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कस्बा सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के चिकित्सालय को जिसकी दशा अत्यन्त शोचनीय है और जहां मरीजों के पलंग टूटे हुये हैं और इमारत की छतें चूती हुई हैं, उसे राजकीय चिकित्सालय घोषित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। इस चिकित्सालय के १ फरवरी, १९६४ से प्रान्तीयकरण किये जाने के आदेश जारी हो चुके हैं।

*५२--श्री जसरामसिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका सिकन्दराबाद ने एक लाख रुपया इस चिकित्सालय को देने के लिये एक प्रस्ताव स्वीकृत करके सरकार के पास हाल में भेजा है और निवेदन किया है कि श्री मुकुन्दस्वरूप जनाना अस्पताल भी इसी के साथ बनाया जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

नगरपालिका सिकन्दराबाद ने इस शर्त पर एक लाख रुपये देना स्वीकार किया है कि उसके द्वारा संचालित सिकन्दराबाद के महिला चिकित्सालय का भी पुरुष चिकित्सालय के साथ ही प्रान्तीयकरण किया जावे तथा वह पुरुष चिकित्सालय का एक विंग श्री मुकुन्दस्वरूप के नाम से हो । यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*५३—श्री जसरामसिंह—

यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्सालय बनाने के लिये जिलाधीश महोदय की प्रधानता में एक कमेटी बनाने की कृपा करेंगी जिसमें कि अस्पताल का निर्माण कार्य जल्दी और सुगमता से हो जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जब तक महिला चिकित्सालय सिकन्दराबाद के प्रान्तीयकरण का प्रश्न पूर्णतया तय नहीं हो जाता तब तक भवन निर्माण कमेटी बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मझौली-मैरवा सड़क

*५४—श्री कैलाशसिंह कुशवाहा (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत मझौली-मैरवा रोड स्वीकृत है ? यदि हां, तो वह सड़क कब तक बन जाने की सम्भावना है और इसका प्राक्कलन क्या है ?

श्री राममूर्ति—

अभी तक कथित सड़क का केवल ५ मील का भाग भाटपार रानी ब्लाक में २,४७ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत है । अनुमानतः अगले वित्तीय वर्ष तक यह कार्य समाप्त हो जायगा । इस सड़क के अन्य ६ मील के भाग के निर्माण के लिये योजना-आयोग की स्वीकृति ली जा रही है ।

बांदा जिले में सहकारी सुपरवाइजरों का तबादला

*५५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में सुपरवाइजरों के तबादिले ७० प्रतिशत गत सितम्बर से दिसम्बर के अन्दर किये गये ? यदि हां, तो क्यों और अच्छे कार्यकर्त्ता सुपरवाइजर का तबादला जिले से बाहर क्यों किया गया ?

श्री बनारसीदास—

बांदा जिले में कार्यरत ९८ सहकारी सुपरवाइजरों में से ३८ सुपरवाइजरों के स्थानान्तरण गत सितम्बर, १९६३ में जिले के अन्दर ही एक सर्किल से दूसरे सर्किल में किये गये थे । किसी सुपरवाइजर का स्थानान्तरण जिले के बाहर नहीं था ।

गोंडा जिले में निर्माण कार्य

*५६—श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में बेलसर उमरी, बेगम गंज सड़क तथा डेकिया नाले के पुल मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत ले लिये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं ।

*५७—श्री शीतलप्रसाद—

यदि हां, तो उक्त सड़क को पक्की तथा पुल के निर्माण का क्या एस्टीमेट है और कब तक कार्य प्रारम्भ हो जाने की आशा है ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न नहीं उठता ।

फूलपुर सहकारी समिति का सुपरवाइजर

*५८—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फूलपुर सहकारी समिति जिला वाराणसी में एक सुपरवाइजर अर्सा १४ वर्ष से उसी पिंडरा ब्लाक में रह रहे हैं और उनका घर वहां से जौनपुर जिले में ३ मील पर है ? यदि हां, तो इतने दिनों तक एक स्थान में रखने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

सम्बन्धित सुपरवाइजर की पत्नी टी० बी० की मरीज है और सुपरवाइजर उनकी चिकित्सा गवर्नमेंट अस्पताल में करा रहा है अतः दिसम्बर, १९५९ में पहली बार स्थानान्तरण आदेश होने पर उक्त कारणों पर रोक दिया गया था और दुबारा जुलाई, १९६१ में फिर उक्त स्थानान्तरण आदेश लागू किये जाने पर सुपरवाइजर की पत्नी की बीमारी के कारण तथा जनहित में अभी तक उसे कार्य मुक्त नहीं किया जा सका है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मैनपुरी की इमारत

*५९—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी में जो आई० टी० आई० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र सरकार ने खोला है वह किराये की इमारत में चल रहा है और विद्यार्थियों को रहने को होस्टल भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त दोनों चीजों का उचित प्रबन्ध कब तक हो जायगा ?

श्री बनारसीदास—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मैनपुरी फिलहाल किराये की इमारत में चल रही है तथा विद्यार्थियों के छात्रावास के लिये भी किराये के भवन में प्रबन्ध है । ऐसी आशा की जाती है कि उपरोक्त दोनों चीजों के लिये सरकारी भवन का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हो जायगा ।

अतारांकित प्रश्न

भुवाली सेनीटोरियम

१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल के भुवाली टी० बी० सेंटर में सन् १९६० से २० सितम्बर, सन् १९६३ तक कितने मरीजों को इलाज के हेतु भर्ती किया गया व जो मरीज भर्ती किये गये, उनमें से कितने क्षय रोग से अच्छे हो गये व कितनों की मृत्यु हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

किंग एडवर्ड सप्तम क्षयरोगाश्रम भुवाली, जिला नैनीताल में १ जनवरी, सन् १९६० से २० सितम्बर, सन् १९६३ तक कुल २१७७ रोगी उपचार हेतु भर्ती किये गये। इन रोगियों में से ३७ की मृत्यु हुई, २९० रोगी २० सितम्बर, सन् १९६३ को इलाज करा रहे थे, और शेष रोगी निम्नलिखित शारीरिक अवस्थाओं में डिस्चार्ज कर दिये गये—

अरेस्टेड	(Arrested)	२५८
क्यूसेन्ट	(Quiescent)	३५५
इम्प्रूव्ड	(Improved)	१,१०५
अदरवाइज	(Otherwise)	१०७
वर्स	(Worse)	२५

क्षयरोग से अच्छे होने का प्रमाण-पत्र अरेस्टेड श्रेणी के अन्तर्गत आ जाने वाले रोगी को २ वर्ष की निगरानी (observation) के बाद दिया जाता है, यदि इस अवधि में उसे क्षयरोग की फिर कोई शिकायत नहीं रही है।

फतेहपुर जिले की औषधियां

२—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के अन्तर्गत प्रत्येक चिकित्सालय को वित्तीय वर्ष १९६१–६२, १९६२–६३ में कितने मूल्य की औषधियां प्रदत्त की गईं तथा वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में कितने मूल्य की औषधियां प्रदत्त करने का निश्चय है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४२–२४३ पर)

टी० बी० अस्पताल, इलाहाबाद की भूमि

३—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के टी० बी० हास्पिटल तिलियर गंज के अधीन कितनी एकड़ जमीन है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

टी० बी० हास्पिटल, तिलियरगंज, इलाहाबाद के अधीन १४७ बीघा १८ विस्वा तथा ८ विस्वांसी अर्थात् करीब ९१ एकड़ ६ विस्वा तथा ८ विस्वांसी जमीन है।

४—श्री बंशीलाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त टी० बी० अस्पताल की जमीन किस प्रकार से उपयोग में लाई जा रही है तथा उससे क्या आमदनी है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उक्त टी० बी० अस्पताल की जमीन पर (अस्पताल की इमारत के अतिरिक्त) इस समय एक स्त्री कक्ष तथा एक पुलिस कक्ष जन निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, शेष जमीन, जो खाली है, चरागाह के लिये उठा दी जाती है जिससे ४५० रुपये से ६५० रुपये तक वार्षिक आय होती है जो सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती है।

रधौली ग्राम में कूप के लिए ऋण

५—श्री कैलाश तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रधौली, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ वित्तीय वर्ष, १९५५–५६ में सरकारी सहायता एवं ऋण से कितने कुंये किन-किन व्यक्तियों द्वारा बनवाये गये ?

श्री राममूर्ति —

वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में ग्राम रधौली, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में केवल एक ही व्यक्ति श्री डोमा ने कुंआ बनवाने के लिये सरकारी ऋण लिया और कुंआ बनवाया।

फर्रुखाबाद जिले में विकास भवन तथा विकास अधिकारियों के विरुद्ध जांच

६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) —

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में किस-किस विकास क्षेत्र में कौन-कौन विकास अधिकारी की शिकायतें इस समय चल रही हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति —

इस समय फर्रुखाबाद जिले में सर्वश्री आर० एस० बालियान व जे० के० त्रिपाठी, क्षेत्र विकास अधिकारी बढ़पुर व कायमगंज के विरुद्ध शिकायतें चल रही हैं, जिनकी जांच सम्बन्धित जिला नियोजन अधिकारी द्वारा की जा रही है।

७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया —

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में, तालग्राम सौरिख तथा हसेरन ब्लाक की इमारत कब और किस जगह बनेगी ? क्या इन ब्लाकों में किसी ब्लाक की इमारत बनने के स्थान पर कोई झगड़ा चल रहा है ? यदि हां, तो उस पर क्या आखिरी निर्णय हुआ है ?

श्री राममूर्ति —

फर्रुखाबाद जिले के तालग्राम विकास खंड की इमारत जी० टी० रोड के निकट तेराजाबट स्थान पर तथा सौरिख विकास खंड की इमारत ग्राम सभा सौरिख के अन्तर्गत ही बनेगी।

हसेरन विकास क्षेत्र की इमारत कहां बनेगी इस विषय में अभी सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति ने कुछ भी निर्णय नहीं किया है।

तालग्राम विकास क्षेत्र के लिये जो भूमि उपलब्ध की गई है उसकी मिट्टी की जांच भी विशेषज्ञ द्वारा करवाने के लिये भेज दी गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

सौरिख तथा हसेरन विकास क्षेत्र चालू वित्तीय वर्ष में ही प्रथम सोपान स्थिति में आये हैं। इनके भवन निर्माण का कार्य लगभग दो साल में सम्भव हो सकेगा। इन ब्लाक की इमारतों के बनने के स्थान पर कोई झगड़ा नहीं चल रहा है।

बाराबंकी जिले में विकास अधिकारी व नियोजन अधिकारी का दौरा

८—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड अधिकारी, रामनगर, जिला बाराबंकी ने १ जनवरी, १९६३ से ३० सितम्बर, १९६३ ई० तक क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में कब-कब दौरा किया, कहां-कहां रात्रि में विश्राम किया तथा कितना-कितना भत्ता प्राप्त किया ?

श्री राममूर्ति—

†सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

९—श्री गिरजाप्रसाद —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन अधिकारी, बाराबंकी ने १ जनवरी, १९६३ ई० से ३० सितम्बर, १९६३ तक जिले के किन-किन ग्रामों में कब-कब दौरा किया, कहां-कहां रात्रि विश्राम किया तथा कितना भत्ता प्राप्त किया ?

श्री राममूर्ति —

†सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

बस्ती जिले में अंग्रेजी शराब के लाइसेंसदार

१०—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष (६३) में बस्ती जिले में अंग्रेजी शराब की दूकान खोलने का लाइसेंस किसको दिया गया ? अगर हां, तो कब और किसको ?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

जी नहीं।

११—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी —

क्या बस्ती जिले में अंग्रेजी शराब की दूकान खोलने का लाइसेंस देने के लिये कलेक्टर महोदय बस्ती के बंगले पर लाइसेंस कमेटी की कोई बैठक इस वर्ष हुई थी ? यदि हां, तो कब और उस बैठक का क्या नतीजा था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

जी नहीं। लेकिन दिनांक ६ जुलाई, १९६३ को जिला सोलजर्स बोर्ड बस्ती में जिला आबकारी सलाहकार समिति की एक बैठक हुई थी जिसमें अंग्रेजी शराब की दूकान किसको दी जाय इस मामले पर विचार किया गया और समिति ने तीन व्यक्तियों के नाम जिलाधीश को संस्तुत किये हैं जो विचाराधीन हैं।

औद्योगिक झगड़ों का फैसला

१२—श्री रघुनाथसिंह —

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ ई० में मजदूरों को कानून सम्बन्धी विशेष सुविधा देने के लिये जो इलाहाबाद में तीन ट्रिब्यूनल और चार श्रम न्यायालय खोले गये हैं इनमें विगत १९६२-६३ के वर्ष में कितने औद्योगिक झगड़े आये और उनमें कितनों का फैसला अब तक हो गया है ?

श्री बनारसीदास —

ट्रिब्यूनल और श्रम न्यायालयों के सामने १९६२ में कुल १,७४८ मामले आये जिनमें १,०४४ मामलों में फैसला हुआ। १९६३ में कुल १९४८ मामले हुये जिनमें १,२३३ मामलों में फैसला दिया गया।

---

†छापी नहीं गई।

१३—श्री रघुनाथसिंह—

'ये देश की दौलत है' पुस्तिका में जो यह कहा गया है कि मालिक और मजदूर के झगड़े के निपटारे की व्यवस्था ने प्रदेश में औद्योगिक शान्ति पैदा की तो क्या १९५६ के बाद से मजदूर हड़तालों में क्रमशः ह्रास होता आया है और उद्योगपतियों की ओर से किस-किस सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

श्री बनारसीदास —

श्रम कानूनों में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था का प्रबन्ध है जो साधारणतया उद्योगपति अधिकतर देते हैं।

हड़तालों से इन सुविधाओं के देने या न देने के बारे में कोई सही अनुमान नहीं निकाला जा सकता क्योंकि सभी हड़तालें इन सुविधाओं को न देने के कारण ही नहीं की जातीं।

न्याय पंचायत कोटवा धाम

१४—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) —

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अदालत पंचायत, श्री कोटवाधाम (कोटवाजगजीवनदास) ब्लाक दरियाबाद, जिला बाराबंकी में कौन-कौन सदस्य हैं तथा उनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें एवं प्रत्येक की आयु क्या-क्या है ?

श्री राममूर्ति —

न्याय पंचायत कोटवाधाम (कोटवाजगजीवनदास) के पंचों के नाम, उनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता तथा आयु की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २४४ पर)

बुलन्दशहर जिले में विकास खण्डों की जीपें

१५—श्री जसरामसिंह —

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर के विकास क्षेत्रों में कितनी जीप गाड़ियां हैं और वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में इन जीप गाड़ियों की मरम्मत तथा पैट्रोल में कितना-कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति —

जिला बुलन्दशहर के विकास क्षेत्रों में १९६१–६२ में १३ जीप गाड़ियां थीं। प्रत्येक विकास खण्ड में वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में प्रत्येक गाड़ी पर मरम्मत तथा पैट्रोल पर जितना जितना रुपया व्यय हुआ उसका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २४५ पर)

हरैया सतधरवा विकास खंड

१६—श्री सुखदेवप्रसाद —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के हरैया सतधरवा विकास क्षेत्र कब खोला गया ?

श्री राममूर्ति —

१ जुलाई, १९५७ को।

१७—श्री सुखदेव प्रसाद —

क्या यह सत्य है कि गोंडा के अन्दर बहुत से विकास क्षेत्र जो बाद में खुले उनकी बिल्डिग बन गयी है पर उक्त विकास क्षेत्र में पिछड़ा होने के कारण बिल्डिग नहीं बनी है और कर्मचारियों के रहने की बड़ी कठिनाइयां होती हैं ?

श्री राममूर्ति —

जी नहीं, १ जुलाई, १९५७ को गोंडा जिले में ३ ब्लाक खुले थे गौर उक्त तिथि के बाद १७ ब्लाक और खुल चुके हैं। इनमें से केवल दो ब्लाकों में भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया है।

१८—श्री सुखदेवप्रसाद —

क्या उक्त विकास क्षेत्र के बिल्डिग के बनाने के लिये धन की स्वीकृति कई वर्ष पूर्व हो जाने पर भी बिल्डिग नहीं बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक भवन बनना प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री राममूर्ति —

हां, भवन निर्माण के लिये १,५६,०००–०० रुपये की स्वीकृतिविकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या सी–९३/बड (बी)—७००/७१६० दिनांक ५ अक्तूबर, १९६१ के द्वारा हो चुकी है।

भवन निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपुर्द है। अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण, विभाग, गोंडा ने सूचित किया है कि भवन निर्माण न होने के निम्नलिखित कारण हैं —

(१) बहराइच बलरामपुर रोड से इसकी दूरी १८ मील है जो कच्ची है और राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती नदी, खैरवा नाला तथा झाड़ानाला होते हुये कच्ची सड़क जाती है। इस सड़क पर बरसात के दिनों में अधिकांश पानी भरा रहता है और सड़क दलदल का रूप ले लेती है।

(२) इस ब्लाक पर तुलसीपुर, हरैया-चौधरीडीह सड़क से भी पहुंचा जाता है। जिसमें इस ब्लाक पर पहुंचने के लिये २५ मील कच्चा रास्ता तै करना होता है। जिसमें ६–७ मील केवल बैलागाड़ी का ही रास्ता है और बरसात में पानी तथा दलदल होने के कारण एवं पुल न होने के कारण कोई सवारी नहीं जा सकती है।

(३) इन कठिनाइयों के कारण कार्य सेडूल्ड रेट पर न हो सकने से तथा ब्लाक की सीलिंग से दाम बढ़ जाने के कारण से कार्य रुक गया था और अब बिल्डिग में काट छांट करके फिर से एस्टीमेट बनाया गया है। यह पता चला है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवास भवनों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। टेन्डर दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ को मांगे गये थे। पर वे ठीक न मिलने के कारण १२–१२–६३ को फिर मांगे गये थे। और अब उनकी स्वीकृति भी हो चुकी है।

कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, बाजपुर के श्रमिकों का प्रार्थना-पत्र

१९—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) —

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर (नैनीताल) के मैनेजमेंट ने सन् १९६१–६२ में बोनस कमेटी के चेयरमैन के समक्ष जो बैलेंस शीट उपस्थित की थी उसमें कितना घाटा दिखलाया था ?

श्री बनारसीदास—

बाजपुर शुगर फैक्टरी के मैनेजमेंट ने जो प्रावीजनल बैलेन्स शीट बोनस कमेटी के समक्ष बोनस निश्चय (Determine) करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की थी उसमें रु० २,१३,४४५.३८ न० पै० घाटा दिखलाया था।

२०—श्री मैनेजरसिंह —

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई अथवा अगस्त, सन् १९६३ में कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर के श्रमिकों द्वारा प्रेषित इस आशय का प्रार्थना-पत्र लेबर कमिश्नर को प्राप्त हुआ है कि चूंकि सन् १९६१–६२ की रिवाइज्ड बैलेंस शीट में साढ़े चार लाख रुपया मुनाफा दिखाया गया है अतएव उन्हें बोनस दिया जाना चाहिये। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसीदास —

जी हां, तराई चीनी मिल मजदूर यूनियन के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। १९६१–६२ के सीजन के बोनस का फैसला बोनस कमेटी ने शुगर वेज बोर्ड के फारमूला में कुछ संशोधन कर के किया था। उक्त फारमूले के आधार में मुनाफा ही कोई विशेष महत्व नहीं रखता अत: इन प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।

मेडिकल आफिसरडिवाई के खिलाफ शिकायत

२१—श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि वर्तमान मेडिकल आफीसर, डिवाई, जिला बुलन्दशहर कहां के रहने वाले हैं ? यदि वे वहीं के रहने वाले हैं, तो उनकी पोस्टिंग डिवाई में ही क्यों किया गया ?

श्री राममूर्ति —

डा० एस० सी० सिंह, चिकित्सा अधिकारी डिवाई, के रहने वाले हैं और सिविल सर्जन की संस्तुति के अनुसार उनकी नियुक्ति डिवाई अस्पताल में की गई थी। जिला परिषदों में स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति उसी स्थान पर न हो, ऐसा कोई नियम नहीं है।

२२—श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल आफीसर, डिवाई, जिला बुलन्दशहर, के खिलाफ सरकार व सरकारी अधिकारियों को दिनांक १, ८, २२, २४ मई तथा १, जून, २७ जून, २, २२, ३० अगस्त व २० व २२ सितम्बर, १९६३ को शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति —

दिनांक १, ८, २२, २४ मई तथा १, जून और २२ अगस्त, के शिकायती-पत्र स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुये थे तथा अन्य तारीखों के शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं। मुख्य शिकायतें इस प्रकार हैं:

(१) अस्पताल के सामने श्री मागेश्वर दयाल की दूकान से डाक्टर साहब मरीजों को दवाइयां खरीदने को कहते हैं और उसमें दिलचस्पी रखते हैं।

(२) लाला बाबू एक्सीडेन्ट की मामूली चोट से डाक्टर साहब की लापरवाही से मर गया,

(३) डाक्टर साहब की जबसे नियुक्ति हुई है सरकारी भवन (official residence) को छोड़कर घर पर ही रहते हैं और मरीजों को असुविधा होती है।

सिविल सर्जन ने इन शिकायतों की जांच की और केवल शिकायत संख्या (३) में तथ्य पाया गया। सिविल सर्जन ने चिकित्सा अधिकारी को सरकारी भवन (official residence) में रहने का आदेश सितम्बर, १९६३ में जारी कर दिया है।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद के सुपरवाइजर व फोरमैन के विरुद्ध शिकायत

२३—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़) —

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद के प्रशिक्षणार्थियों ने दिनांक १८ सितम्बर, १९६३ को वहां के सुपरवाइजर तथा फोरमैन के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास —

जी नहीं।

२४—श्री छांगुर—

क्या श्रम मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि उक्त सुपरवाइजर तथा फोरमैन के कार्य से विवश होकर वहां के सभी छात्रों ने अपनी असन्तोष प्रकट करने के लिये दिनांक १९ और २० सितम्बर, १९६३ को पूरे दो दिन केन्द्र में हड़ताल की थी ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त सुपरवाइजर और फोरमैन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसीदास —

दिनांक १९ सितम्बर, १९६३ को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इलाहाबाद में छात्रों ने हड़ताल की। जहां तक सरकार को ज्ञात है यह हड़ताल सुपरवाइजर और फोरमैन के कार्य से विवश होने के कारण नहीं की गई। अतएव उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

विकास क्षेत्र महोबा के लिए भवन

२५—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र महोबा, जिला हमीरपुर के भवन निर्माण के लिये कौन सा स्थान निर्णय किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अविलम्ब निर्णय करने के लिये उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

शासन के आदेशों के अनुसार यदि दो या दो से अधिक ब्लाक एक तहसील में स्थित हों तो उनमें से एक का मुख्यालय उस स्थान में होना वांछनीय है जहां पर तहसील का मुख्यालय हो। इन आदेशों के अनुसार विकास क्षेत्र कबरई की क्षेत्रीय समिति ने प्रस्ताव दिनांक १४ मई, १९६३ के द्वारा महोबा तहसील मुख्यालय पर विकास क्षेत्र का मुख्यालय बनाना निश्चित किया है, क्योंकि महोबा तहसील का दूसरा ब्लाक तहसील मुख्यालय से अलग जैतपुर में पहले से ही स्थित है। अतः विकास क्षेत्र के भवन महोबा में ही बनेंगे, परन्तु भवन निर्माण का प्रश्न आपत्तिकाल के कारण अनिश्चित समय के लिये स्थगित हैं।

सहारनपुर जिले के विकास क्षेत्रों में कृषि सहायता

२६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिला में जुदा-जुदा ब्लाकों में क्या-क्या खेती के औजार किसानों में १ सितम्बर, १९६२ से ३१ अक्तूबर, १९६३ तक तकावी लेकर बांटे गये और किस-किस कम्पनी से किस-किस भाव पर खरीदे गये ?

[श्री ब्रह्मदत्त मायर—]

२७—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि यह ऊपर कहे खेती के औजार सरकार ने कब-कब Approved किये ?

२८—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इन ब्लाकों में पानी के पम्प लगाने के लिये कितने Oil Engine किस-किस भाव पर और कहां-कहां से खरीद कर तकावी के रूप में १ सितम्बर, १९६२ से ३१ अक्तूबर, १९६३ तक बांटे गये ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला अस्पताल, पीलीभीत के खिलाफ शिकायतें

२९—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को श्री कृष्णलाल वैश्य सामाजिक कार्यकर्त्ता निवासी ग्राम परेवा वैश्य, जिला पीलीभीत का १४ सितम्बर, १९६३ का रजिस्ट्री द्वारा भेजा कोई पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने जिला अस्पताल पीलीभीत के इंचार्ज डाक्टर टंडन तथा सहायक डाक्टर तारासिंह तलवाड़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार व पक्षपात के द्वारा चोटों के लिखने में गड़बड़ी करने के भीषण आरोप लगाये गये हैं और जिसके प्रमाण स्वरूप बरेली व पीलीभीत अस्पताल की विरोधी रिपोर्ट भी संलग्न है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, प्रतिलिपि संलग्न है चूंकि पुलिस इस सम्बन्ध में न्यायालय में मुकदमा दायर कर रही है अतः न्यायालय के निर्णय के बाद ही , चिकित्साधिकारी के विरुद्ध यदि आवश्यक हुआ तब कोई भी कार्यवाही की जा सकेगी ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २४६–२४७ पर)

ग्राम सभा, ओदार के प्रधान के विरुद्ध शिकायत

३०—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा ओदार, परगना कुर्सी, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर, १९६३ को जिलाधीश हकीम तहसील फतेहपुर व मुख्य मंत्री को गांव सभा के सदस्यों ने कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र में मुख्य-मुख्य क्या शिकायतें हैं ? क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

गांव सभा ओदार परगना कुर्सी—तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के सदस्यों ने उक्त गांव सभा के प्रधान के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र नहीं दिया है केवल उक्त गांव सभा के एक सदस्य श्री मैकूलाल ने प्रधान के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक १७ सितम्बर, १९६३ हाकिम परगना फतेहपुर, जिलाधीश तथा मुख्य मंत्री को दिया था । उक्त शिकायती पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्नलिखित हैं—

(१) प्रधान ने कच्चे १२ बीघे भूमि के लिये प्रार्थी मैकूलाल से १,१०० रु० लिये थे परन्तु भूमि केवल ६ बीघे दी गयी । प्रार्थी को या तो कच्चे ६ बीघा भूमि और दी जाय या उसी हिसाब से आधा रुपया वापस कराया जाय ।

(२) प्रार्थी द्वारा दिये गये रुपयों की रसीद, प्रधान द्वारा नहीं दी गई ।

(३) प्रधान से १,१०० रु० का हिसाब लिया जाय ।

(४) अगर प्रधान हिसाब न दें तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

श्री मैकूलाल के दिनांक १७ सितम्बर, १९६३ के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २४८–२४९ पर)

अध्यक्ष गांव समाज, रहवां के विरुद्ध शिकायत

३१—श्री रतीपाल तथा श्री जयगोपाल—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष रायबरेली जिले के अन्तर्गत ग्राम समाज रहवा के अध्यक्ष के विरुद्ध वहां के सदस्यों ने भ्रष्टाचार का एक शिकायती-पत्र सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू के पास भेजा है ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । गांव समाज रहवा के अध्यक्ष के विरुद्ध एक हस्ताक्षर रहित पत्र राजस्व परिषद् के कार्यालय में अगस्त, १९६३ में प्राप्त हुआ था । यद्यपि प्रार्थना-पत्र हस्ताक्षर रहित था फिर भी शिकायतों की जांच कराई गई । जांच से सभी शिकायतें गलत पाई गईं और मौके पर सदस्यों ने न तो किसी शिकायत की पुष्टी की न प्रार्थना-पत्र का देना ही स्वीकार किया । ऐसी दशा में शिकायती-पत्र पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

कुमायूं जिला परिषद् का अनुदान

३२—श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमाऊं के जिला परिषदों के घाटे को मुख्य मंत्री ने अनुदान देकर पूरा करने की जो योजना बनाई है उसमें १९६३-६४ वर्ष में कितना अनुदान देने का विचार है ?

श्री राममूर्ति—

सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है ।

३३–३५—श्री जसरामसिंह—

[१ले सोमवार के लिये प्रश्न संख्या २५—२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये] ।

जेवर ब्लाक में डाक्टर न होना एवं श्री फूलसिंह वर्मा के विरुद्ध जांच

३६—श्री जसरामसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान जौनचाना, ब्लाक जेवर, जिला बुलन्दशहर में जहां राजकीय चिकित्सालय अनुमानित २ वर्ष से बना हुआ है, वहां पर डाक्टर नहीं हैं ? क्या वहां पर शीघ्रातिशीघ्र डाक्टर भेजने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, इस चिकित्सालय में दिनांक १६ जनवरी, १९६१ से डाक्टर नहीं हैं । उचित संख्या में डाक्टर उपलब्ध होने पर वहां डाक्टर भेजने की व्यवस्था की जायेगी ।

३७—श्री जसराम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री फूलसिंह वर्मा जो जेवर ब्लाक में बी० डी० ओ० थे और वह आज कल अनूपशहर में बी० डी० ओ० पद पर कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यकाल में ३०,४६३ रुपया तकावी आदि में गबन सन् १९५७–५८ में हुआ है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति—

इस मामले की जांच उप निदेशक, कृषि मेरठ मंडल द्वारा किये जाने के आदेश हुये थे। जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है जब तक जांच पूरी न हो जाये और यह न मालूम हो जाये कि श्री फूल सिंह वर्मा तथा कोई ब्लाक का अन्य कर्मचारी इस मामले में दोषी है तब तक उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

३८—श्री जसरामसिंह—

क्या अनूपशहर ब्लाक में भी उनके खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें जिला नियोजन अधिकारी महोदय से की गई हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

बी० डी० ओ० अनूपशहर के व्यवहार के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं थीं जिन पर जिला नियोजन अधिकारी ने आवश्यक जांच तथा कार्यवाही की। किसी वित्तीय अनियमितता की शिकायत नहीं मिली।

सिकन्दराबाद महिला चिकित्सालय में लेडी डाक्टर न होना

३९—श्री जसरामसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकन्दस्वरूप नगरपालिका सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में महिला चिकित्सालय में कितने दिनों से महिला डाक्टर नहीं है ? क्या वहां पर महिला डाक्टर भेजने की सरकार के द्वारा कोई विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस अस्पताल में १८ फरवरी, १९६२ से कोई लेडी डाक्टर नहीं है। वहां एक डाक्टर भेजने का विचार है किन्तु प्रदेश में डाक्टरों की अत्यधिक कमी के कारण यह बताना कठिन है कि कब तक वहां लेडी डाक्टर भेजी जा सकेगी।

४०—श्री जसरामसिंह—

उपरोक्त सन् १९६१–६२ तथा ६२–६३ के दो वर्षों में सरकार द्वारा इस चिकित्सालय को दवाओं का कोई अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो कितना ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सन् १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में इस अस्पताल को क्रमशः १०० रु० तथा ५० रु० का अनुदान दिया गया।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, अगर आज का एजेंन्डा आप देखने की कृपा करेंगे तो ज्ञात होगा कि ५ अतारांकित प्रश्न मेरे नाम में हैं। अतारांकित प्रश्न उस समय होते हैं जब ३ से अधिक

प्रश्न हों। मेरे नाम से कोई तारांकित अथवा अल्पसूचित प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अतारांकित कर दिया गया है। तो इस प्रकार की नयी व्यवस्था आपके कार्यालय में बनाई जा रही है, यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में आप मुझसे बातचीत कर लें। मैं इसे देखूंगा।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १९ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २४ दिसम्बर, १९६३ को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २५ जनवरी, १९६४ को प्राप्त हो गई है और वह १९६४ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

इंटरमीडिएट परीक्षा, १९६४ के कार्य-क्रम में छात्राओं के लिए तीन विषयों को एक विषय के रूप में रखने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत कई सूचनायें आई हैं। उनमें से मैंने माननीय शुखदेवप्रसाद तथा माननीय रक्षपाल सिंह की सूचना को स्वीकार किया है जिसे मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं:

"यू० पी० बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा, १९६४ के लिये गृह विज्ञान, मनोविज्ञान तथा शिक्षाशास्त्र पृथक विषय घोषित किये गये थे। परिणाम स्वरूप छात्राओं ने ऐच्छिक रूप में तीनों विषय ग्रहण किये। अनेक विद्यालयों में इसी के अनुसार पढ़ाई होती रही। परन्तु १९६४ की जो परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है उसके अनुसार उपरोक्त तीनों विषय एक ही में रखे गये हैं तथा तीनों की परीक्षा एक ही समय है। इस घोषणा से सैकड़ों छात्राओं के सामने संकट पैदा हो गया है। परीक्षा फार्म में भी अलग-अलग विषय रखे गये हैं परन्तु बोर्ड द्वारा अभी तक कोई आपत्ति नहीं भेजी गई है। बोर्ड का ध्यान भी कई बार आकृष्ट किया गया परन्तु अभी तक कोई मूल सुधार अथवा अन्य विज्ञप्ति नहीं निकाली गयी है।

परीक्षा अति समीप आ गई है। छात्राओं के सामने २ वर्ष नष्ट होने का संकट पैदा है। क्योंकि बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। अस्तु सरकार के प्रति असंतोष तथा अविश्वास की भावना जनता में व्याप्त हो रही है।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस सम्बन्ध में आप अभी वक्तव्य दीजियेगा।

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

मैं इसको परसों दूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, लैंड एक्वीजीशन के सिलसिले में एक मेरा दफा ५२ का था। उसमें यह था कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों में, उत्तर प्रदेश में हर जगह लैंड ऐक्वीजीशन बहुत कम रेट से किया जा रहा है जब कि समीपवर्ती प्रान्तों में बहुत ज्यादा रुपया दिया जा रहा है। तो इसके बारे में कम से कम माननीय मंत्री जी से कोई वक्तव्य दिला दें ताकि यह सूचना हो जाय कि पहले जो नियमों में परिवर्तन करने को कहा था वह हुआ या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस आदरणीय सदन के समक्ष पहले भी निवेदन किया कि मेरा ऐसा मत है कि नियम ५२ या कामरोको प्रस्ताव, अगर नियमों के अन्तर्गत किसी कारण से नहीं आ सकते, तो उसके सम्बन्ध में अल्पसूचित प्रश्न किये जा सकते हैं। कल माननीय झारखंडे राय जी ने एक नियम ५२ की सूचना दी थी उसकी अस्वीकृति पर बाद में अल्पसूचित प्रश्न किये जो मैंने स्वीकार कर लिये। अगर आप समझते हैं कि कोई अत्यन्त अविलम्बनीय विषय है तो आप अल्पसूचित प्रश्न के रूप में दे सकते हैं और दो, तीन दिन में वह आ जायेंगे। नियम ५२ में अगर एक विषय स्वीकार हो जाता है तो अन्य स्वीकार नहीं हो सकते। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आदरणीय सदस्यगण इस बात को ध्यान में रखें कि एक विषय स्वीकार कर लेने पर अन्य के बारे में चर्चा यहां न करके मुझसे मिल लें और अल्पसूचित प्रश्न दे दें, तो मैं यथाशक्ति उनकी सहायता करने का प्रयास करूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

इसी सिलसिले में एक निवेदन करना चाहता हूं कि नियम ५२ की हर नोटिस आपके पास जाती है और आपका यह दृष्टिकोण होता है कि आप जिस सूचना को लोक महत्व की, निश्चित और उचित समझें उसको एक आप स्वीकार कर लें। बाकी जैसी आपकी व्यवस्था हो रही है कि अल्पसूचित प्रश्न उस सिलसिले में पूछे जा सकते हैं और माननीय झारखंडे राय जी का उदाहरण आपने पेश किया, तो मेरा निवेदन यह है कि हर सूचना आपके सामने रहती है। आप उसको अल्प सूचना में उत्तर दिलाने के लिये स्वीकार करके अगर सीधे सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दें तो माननीय सदस्यों का यह भ्रम दूर हो जायगा और आप या उपाध्यक्ष महोदय के पास जाने की, डुपलीकेशन होने की और समय लगने की, ये सारी दिक्कतें दूर हो जायंगी।

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर मैं विचार करूंगा, लेकिन इस समय जो मेरा मत है वह मैंने निवेदन कर दिया।

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा अन्य स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्य-क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये लोक लेखा समिति के २१ सदस्य, प्राक्कलन समिति के २५ सदस्य और मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६-१६ सदस्यों के निर्वाचनों के हेतु जो तिथियां मैं निश्चित कर कर रहा हूं वह घोषित करता हूं :

(१) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की तिथि तथा समय	२१ फरवरी, १९६४ के सायंकाल ५ बजे तक।
(२) नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ..	२५ फरवरी, १९६४ को २ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।

(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय — ६ मार्च, १९६४ को सायंकाल ५ बजे तक ।

(४) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो .. दिनांक १२ मार्च, १९६४ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आपने कमेटियों के चुनाव की जो तिथियां घोषित की हैं और १२ मार्च को मत लेने की तिथि रखी है तो १३ मार्च को सोशलिस्ट पार्टी की ओर से दिल्ली में जनवाणी के सिलसिले में मार्च होने जा रहा है इसलिये वोट के लिये १२ मार्च मत रखिये ।

श्री अध्यक्ष—

उसके ऊपर बातचीत कर लेंगे ।

सदन के कार्य-क्रम में परिवर्तन

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये मैंने आपके सामने जो सदन का कार्य-क्रम था उसमें थोड़ा-सा संशोधन पेश करना चाहता हूं । आम सदस्यों की मांग थी कि ईद की छुट्टी पांच दिन की की जाय, इसलिये इस तरह से रखा गया है कि १३ तारीख को बजट पेश होगा और १४, १५, १६, १७ तथा १८ को छुट्टी रहेगी । इसके बजाय जैसा कि तय हुआ है कि १३ मार्च को जो गैर सरकारी दिवस है, उसको ले कर, उसे बाद में दे दिया जायगा । इस तरह से एक दिन और ले लेंगे ताकि ग्रांटों के २३ दिनों में कोई कमी न हो ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, ग्रांटों के लिये जो दिन नियत हैं उनमें कमी न हो ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैंने यही कहा है, २३ दिन ही रखे हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि २६ तारीख को होलिका दहन है और उस दिन हमारी छुट्टी नहीं रखी गई है । इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि २६ तारीख का दिन भी इसमें शामिल कर लें क्योंकि इस दिन बहुत से माननीय सदस्य अपने यहां पहुंचना चाहते हैं । जरा इस बात पर ध्यान रखा जाय ।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, पहले इसको देख लिया जाय क्योंकि होली पर ५ दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई है । इसको फिर देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

अगर २६ तारीख को होलिका दहन है तो.....

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं सुझाव दे दूं कि मंत्री जी किसी काशी के पंडित से कंसल्ट कर लें ।

श्री बनारसीदास—

इस पर विचार किया जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

श्रीमन्, होली बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, इसकी छुट्टी बढ़ सके तो बहुत अच्छा है।

श्री उग्रसेन—

माननीय सदस्य बुड्ढे हैं क्या होली खेलेंगे ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अध्यक्ष महोदय, यह जो इंफारमेशन डिपार्टमेंट से डायरी प्रकाशित हुई है उसमें लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि उसको वह कर देंगे, उसमें गल्ती हो सकती है।

श्री उग्रसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुम्भ का मेला किस तारीख को पड़ेगा ? कई सम्मेलन हो रहे हैं, इसके लिये भी एक सेमिनार बुला लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

सोशलिस्टों का उससे सम्बन्ध नहीं है।

विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सम्बन्धित शास्ति के स्थगन पर आपत्ति

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं और आप से निवेदन करूंगा कि आप उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें और अपनी व्यवस्था दें। श्रीमन्, कल इस सदन में आपने एक अनाउन्समेंट किया कि आज २ बजे सोशलिस्ट सदस्यों के खिलाफ प्रिविलेज का मोशन था उनकी शास्ति की जायगी—मेरा निवेदन यह है कि यह सदन जब किसी सदस्य को रेप्रीमेंड करता है तो उस समय उस सदन की स्थिति हाई कोर्ट आफ पार्लियामेंट की हो जाती है और आप प्रेसाइडिंग आफिसर की हैसियत से इस कुर्सी पर पीठासीन होते हैं। आपने कहा था कि २ बजे सोशलिस्ट सदस्यों की शास्ति की जायगी। यकायक इंटरवेल के बाद जब हम दो बजे आये तो उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने उनकी दरख्वास्त पर समय दे दिया है, इसलिये उनके आदेश के विरुद्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया कि कौन-सी परिस्थिति हो गई जब कि शास्ति के लिये एक समय निश्चित कर दिया आपने एक प्रेसाइडिंग आफीसर की हैसियत से और उसकी घोषणा कर दी।

यह घोषणा इस सदन के सम्मुख की गयी थी, फिर कौन परिस्थिति विद्यमान हो गयी जिसके कारण माननीय अध्यक्ष को उस शास्ति को दूसरी तारीख के लिये स्थगित करना पड़ा ? इस सदन के निर्णय के एग्जिक्यूशन का अधिकार आपको है और इस सदन को है कि वह अपने निर्णय का एग्जिक्यूशन करवाये। यह पहली घटना है रेप्रीमेंड के इतिहास में, विश्व में अगर कोई अथारिटी हो तो कोट की जाय, कि माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि दो बजे रेप्रीमेंड किया जायगा, उसके बाद रेप्रीमेंड नहीं किया गया। लेकिन पता नहीं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी कि अध्यक्ष महोदय, आपने अपने कमरे से सदन के उस निर्णय को बदल दिया और सदन से स्वीकृति नहीं प्राप्त की। मेरा कहना यह है कि सदन ही अपने निर्णय को बदल सकता

है । आपको स्वीकृति इस सदन से लेनी चाहिये थी । आपने अब उस निर्णय के बारे में स्वीकृति नहीं ली । इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि या तो आप स्वीकृति प्राप्त करें या स्पष्ट व्यवस्था दें कि आपने किस नियम के मुताबिक और किस परिस्थिति में इस तरह की प्रक्रिया की कि जो इस सदन का निर्णय था उसको बदल दिया ।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि कभी भी मैं यह धृष्टता नहीं करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि भविष्य में कभी ऐसा अवसर नहीं आयेगा कि इस सदन के आदेशों का पालन न करूं। जिस रोज ऐसी बात होगी उस रोज मैं इस आसन को छोड़ देना पसन्द करूंगा ।

कल मैंने शास्ति के संबंध में समाचारपत्रों में देखा, लेकिन जब मेरे पास प्रोग्राम आया तो उसमें उसका उल्लेख नहीं था । जब मैं यहां आया, मैंने पूछा आफिस से कि जो बात अखबारों में है वह कार्यक्रम में नहीं है, क्या सही बात है ? तो उन्होंने कहा कि दो बजे शास्ति के लिये हमने बुलाया है । तो मैंने जानना चाहा कि किस फार्म में, किस तरह से शास्ति होगी । आफिस से जो मेरे सामने रिपोर्ट रखी गयी थी वह मुझे पसन्द नहीं आयी । मैं समझता हूं कि बहुत ही मोटे तरीके से रिपोर्ट लिखी गयी थी । मैंने उसे अस्वीकार किया । जब मैं यहां १२ बजे सदन में बैठा हुआ था तब मेरे सामने एक फार्म रखा गया । वह भी मुझे पसन्द नहीं आया । एक बजे जब मैं गया और मैंने माननीय उपाध्यक्ष को बुलाया कि दोनों बैठ कर ड्राफ्ट कर लें। जाने के पहले मैंने निवेदन कर दिया था कि मैं शास्ति दूंगा । मेरा सौभाग्य कि श्री उग्रसेन आये । उन्होंने दरख्वास्त दी और प्रार्थना की कि १९ तक शास्ति मुल्तवी कीजिये । मैं चूंकि शास्ति के लिये तैयार नहीं था और सोचता था कि उसे इस सदन की मान मर्यादा के अनुरूप गम्भीरता-पूर्ण होनी चाहिये तथा अध्ययन करना चाहता था, इसलिये मैंने दरख्वास्त मान ली, मैं समझता हूं कि मैंने तिथि निश्चित की है, इस आदरणीय सदन ने तिथि निश्चित नहीं की है, यह समझ कर कि मैंने तिथि निश्चित की थी, मैं बदल भी सकता हूं, मैंने उसे बदल दिया । आदरणीय सदन से मैं कहूंगा कि अगर गलती हुई है तो वह इस स्थगन को स्वीकार कर ले और १९ तारीख के लिये मुल्तवी मान ले ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब श्रीमती सुशीला रोहतगी के प्रस्ताव पर कि "यह सदन महामहिम राज्यपाल महोदय का उनके भाषण के लिये आभारी है", विचार जारी होगा ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह कहा था कि बड़े उद्योग और कृषि के ऊपर विशेष मेरी सरकार ने ध्यान दिया है । मैं कल इस विषय में यह कह रहा था कि जो सीमेंट विकास क्षेत्रों को भेजा जाता है और गन्ना सोसाइटियों को भेजा जाता है वह किस तरह से वितरित होता है । मुझे विधान सभा में नियोजन मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि हमारे यहां से कोई ऐसे आदेश नहीं दिये गये हैं कि सीमेंट तकावी लेने वाले लोगों को ही दिया जायगा, बल्कि उन लोगों को भी दिया जायगा जो तकावी नहीं लेंगे । लेकिन दुख है कि इस उत्तर के बाद भी जब मैं अपने जिले में गया तो देखा कि नोट लिखे गये लोगों की दरख्वास्तों पर विकास अधिकारियों द्वारा कि जो लोग तकावी लेंगे उन्हीं को सीमेंट दिया जायगा । साथ ही मैं सरकार को यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरे जिले में हजारों कूप खुदे हुये पड़े हैं । लोग अपने रुपये से कूप बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको सीमेंट नहीं मिलता, न ईंट मिलती है और

†४ फरवरी, १९६४ की कार्यवाही से ।

[श्री श्रीराम]

ग्रामसेवक गांवों में जाते हैं उन लोगों से कहते हैं कि जो हमें ५० रुपये देगा उसे सीमेंट दिया जायगा। मैंने एक कूप के लिये लिखा कि अमुक आदमी को सीमेंट दिया जाय, उसकी ईंटें मौके पर तैयार रखी हैं और वह कुआं बनवाना चाहता है तो वहां के ग्राम सेवक ने यह कहा कि एम० एल० ए० साहब से सीमेंट जाकर ले लो जिनकी सिफारिश करायी है । यह हाल है आपके सरकारी कर्मचारियों का ।

इसके बाद जो सरकार के कुयें काम कर रहे हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं । अंग्रेज के राज्य में और उसके बाद भी आपके सरकारी कुयें चलते थे उनमें अगस्त के महीने में जनरल ओवर हालिंग हो जाती थी नालियां ठीक हो जाती थीं । आज न नालियां ठीक हैं न जनरल ओवर हालिंग होती है, बल्कि आपने जो दो विभागों का एक विभाग किया है, इंजीनियरिंग विभाग को उसमें जोड़ा है, उसके मिस्त्री, उसके सुपरवाइजर रोज रोज कुओं को और खराब करते हैं और आपरेटरों द्वारा किसानों से रुपया लेते हैं इस कारण से कृषि की आबपाशी नहीं हो रही है । यह तो मैंने आबपाशी के बारे में बतलाया ।

अब मैं पुलिस के बारे में जिसकी बड़ी सराहना की गई है राज्यपाल महोदय के भाषण में, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मेरे जिले में लगभग १८–१९ तारीख को फतनपुर गांव की जैतून नामक युवा लड़की को बदमाश उठाकर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया गया । वह लड़की मर गई और जब थाने में रिपोर्ट करने के लिये गये तो उनके वारिसों की ठीक से रिपोर्ट नहीं लिखी गई जिस तरह से लिखी जानी चाहिये थी । यह आपकी पुलिस का नमूना है । इसके बाद १८–१९ की रात में ही छज्जूपुरागांव, थाना नूरपुर में बन्दूक की नाल पति के सीने पर रखकर माया नाम की स्त्री को बदमाश उठा ले गये । १५ मील की दूरी पर वह स्त्री किसी प्रकार उनके चंगुल से छूटकर ग्राम प्रधान के पास पहुंची और अपनी जान बचायी। जब रिपोर्ट लिखाने के लिये उसके पति और परिवार के लोग गये तो उनकी रिपोर्ट ठीक से नहीं लिखी गई और उन आदमियों का नाम नहीं लिखा गया जिनको वह लिखाना चाहते थे । मैंने चौधरी गिरधारीलाल को पत्र लिखा कि ऐसी घटना आपके क्षेत्र में हुई है और उसकी रिपोर्ट उस तरह से नहीं लिखी गई जैसी कि लिखी जानी चाहिये थी और पुलिस कुछ नहीं कर रही है । पुलिस मंत्री को भी मैंने पत्र लिखा कि आपके शासन में यह अन्धेर हो रहा है कि उसके पति के सीने पर बन्दूक की नाल रखकर उसी गांव के व अन्य गांव के २ आदमी माया नाम की स्त्री को उठाकर ले गये हैं । इसके अलावा बिजनौर जिले में सड़कों पर चलते हुये जो किसान अपने गुड़ को बेचकर जाते हैं उनकी कई कई घटनायें एक दिन में लूटमार की हो रही हैं और उनका रुपया लूट लिया जाता है। जब पुलिस में रिपोर्ट करने के लिये जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती।

इसके बाद मैं एक नयी बात कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के भाषण में जरा भी इस बात का संकेत नहीं है । वे समझते हैं कि उनकी सरकार निष्पक्षता से पूरे प्रान्त में शासन चला रही है । मैं समझता हूं उल्टे यह हो रहा है कि दो साल से कांग्रेस के एम० एल० ए० जिस बात के लिये अपने मंत्रियों से कहते हैं वे काम उनके हलके में हो जाते हैं । दूसरी पार्टी के लोग जो उचित मांग भी लेकर जैसे कूप बनाने के लिये, सड़क बनाने के लिये, बिजली देने के लिये या अन्य काम के लिये मंत्री जी से कहते हैं कि अमुक गांव बाढ़ से बह रहा है या नदी की बाढ़ में जा रहा है। तो उनकी जरा भी परवाह नहीं की जाती है । मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी मुख्य मंत्राणी जी जब यहां पर मुख्य मंत्राणी नहीं थीं तो उन्होंने कहा था कि अपोजीशन भी सरकार का एक अंग है। यदि यह बात है और वह यह मानती हैं कि जो बात उन्होंने पहले कही थी उसे आज मुख्य मंत्री होने पर उनको वह बात पूरी करनी चाहिये और अपनी कैबिनेट की मीटिंग में अपने मंत्रियों में रखनी चाहिये कि अपोजीशन पार्टी के लोगों की उचित मांगों का ध्यान रखा जावे सड़क बनाने के बारे में या कूप निर्माण के बारे में या दूसरे कामों बिजली वगैरह के लिये उनकी बात भी मानी जाय । यदि अपोजीशन पार्टी के लोग उचित मांग लेकर भी आते हैं फिर भी उनका काम नहीं होता है । कांग्रेस के वर्कर्स उनके हलके में जाकर यह कहते हैं कि वहां के लोगों से कि करवा न

लिया काम । मालन बान्ध पर १।। लाख रुपया खर्च हुआ है । जब मैं यहां पर चुनकर आया तो कहा गया कि नहर इसलिये बननी बन्द की गई है कि वहां से जनसंघ का विधायक चुनकर आया है । मैं इसलिये अपनी सरकार की मुख्य मंत्राणी जी से कहना चाहता हूं कि वह कैबिनेट मीटिंग में यह कहें कि इस बात का ध्यान न रखा जाय कि वह किस पार्टी का आदमी है, बल्कि यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रान्त का शासन ठीक तरह से चले और जनता के हित को सामने रखना चाहिये और सब लोगों के हलके में और पूरे प्रान्तों में सरकार द्वारा निष्पक्षता से काम होना चाहिये । बस यही मुझे कहना था । अन्त में मैं श्रीमती सुशीला रोहतगी जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं एक निवेदन कर दूं । डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने मुझसे पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि वह हास्पिटल जाना चाहते हैं । अब मैं उनको मौका देना चाहता हूं ।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरी तबियत खराब है इसलिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इसी वक्त मौका दिया ।

कल मैंने बहन सुशीला जी का भाषण बहुत गौर और संजीदगी के साथ सुना । वैसे तो वह बहुत काबिल और समझदार बोलने वाली हैं और कभी-कभी उनके अलफाज में जादू होता है लेकिन कल उनका रंग कुछ फीका था । यह उनका कसूर नहीं है । मैं समझता हूं कि जिस मस्विदे का वह समर्थन कर रही थीं वही कुछ खोखला और फीका था । गवर्नर महोदय के भाषण का महत्व हम सब जानते हैं यह कहने की जरूरत नहीं है । सरकार की नीति अगले एक साल में क्या होगी, क्या दृष्टिकोण होगा, क्या पुराने तरीकों में तब्दीलीयां होने वाली हैं, किस पटरी पर सरकार चलेगी यह मोटे तौर पर उस भाषण में दिया जाता है । यह सही चीज है । उसको लेकर हम सरकार की आलोचना भी करते हैं और सरकार का समर्थन भी करते हैं । सही बातों का समर्थन करते हैं और गलत चीजों की हम आलोचना करते हैं, लेकिन अगर राज्यपाल महोदय का भाषण ऐसा हो कि जो आज १९६४ में जो दिया गया वह २ साल पहले दिया जाता तो भी वह ठीक समझा जाता तो ज्यादा सही था । जिसके अन्दर कोई नया नजरिया नहीं है, नई नीतियां नहीं हैं तो फिर सुशीला जी क्या कहें और दूसरा कोई क्या कहेगा । मैं समझता हूं आज फरवरी, १९६४ में भुवनेश्वर का प्रस्ताव पास होने के बाद, जिस प्रस्ताव में समाजवादी समाज का लक्ष्य पूरे तौर पर रख दिया गया है, उस सरकार की तरफ से, जो समाजवाद के लिये कमिटेड है, उसका फर्ज है कि आनेवाले वर्षों में हम क्या कदम उठायेंगे जिन कदमों के जरिये हम समाजवाद की तरफ आगे बढ़ेंगे, सरकार का फर्ज है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में उसका कुछ इशारा हो । लेकिन अगर यह कहा गया कि ला ऐंड आर्डर अच्छा है, सब चीजें अच्छी चल रही हैं, हम प्रोडक्शन बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, जो बातें पिछले १२ साल से कही जा रही हैं वही बातें आयें और कोई नया मोड़, नया डिपार्चर सामने न लाया जाय तो मैं कहूंगा कि भुवनेश्वर कांग्रेस के प्रस्तावों का कोई कंपैक्ट हमारी सरकार पर नहीं हुआ है ।

मैं भुवनेश्वर कांग्रेस के प्रस्तावों का स्वागत करता हूं । हमारे बहुत से ज्यादा उग्रवादी क्रान्तिकारी भाई हैं जो मजाक उड़ाते हैं । कहते हैं कि यह ढकोसला है, जनता को धोखे में डालने की बात है । मैं समझता हूं कि यह हकीकत है । एक अंडरडेवलप्ड कंट्री के लिये कोई रास्ता नहीं है सिवाय समाजवाद के । जैसे बरतानिया पूंजीवादी प्रथा से निकल कर साम्राज्य-वादी प्रथा पर बंध गया, आज वह हमारे लिए संभव नहीं है । हमको अपने अंदर के साधनों को जमा कर, जोड़ कर समाजवादी तरीकों को पकड़ कर अपने लिये नये मार्ग का निर्माण करना है और इसलिये अगर आज देश की सब से बड़ी संस्था इंडियन नेशनल कांग्रेस इस तरह के प्रस्ताव

[श्री जेड ए० अहमद]

पास करती है तो मैं उसे धन्यवाद देता हूं । मैं इस बात को मानता हूं कि आज कोई दूसरा रास्त हमारे पास नहीं है । पूंजीवादी का रास्ता हमारे लिये खुला नहीं है । कांग्रेस में आज विचारों का मंथन हो रहा है और इतनी बड़ी संस्था में आडियलाजिकल मामलों पर बहस हो, यह एक अच्छी बात है । मैं इसको सीरियसली लेना चाहता हूं और मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से अपील करूंगा कि समाजवाद को वे केवल स्लोगन की शकल में ही न रखें । उसे जिन्दा, जीती जागती हकीकत के रूप में रख कर कार्य करें । उसे अपनी नीति में वे अपनायें, उस के लिये रास्ते बनायें तभी जनता को विश्वास होगा कि भुवनेश्वर कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास हुये हैं वे हमारी जिन्दगी के लिये एक नया रास्ता खोलते हैं । आज वही पिटी पिटायी बात कही जाय यह अच्छा नहीं लगता । हमारे दोस्त टोटैलिटेरियन समाजवादी हैं और हम अपने को डेमोक्रेटिक समाजवादी मानते हैं । इसके अलावा और मैं कुछ कह नहीं सकता । मैं कहता हूं कि कोई बात हो, लेकिन समाजवाद समाजवाद है । उसके कुछ बेसिक सिद्धान्त हैं । किसी तरीके से समाजवाद आये, लेकिन आप उन सिद्धान्तों को छोड़ नहीं सकते । बुनियादी सिद्धांन्तों को आप छोड़ नहीं सकते । जैसे पूंजीवाद के मौलिक सिद्धान्त हैं, वैसे ही समाजवाद के भी मौलिक सिद्धान्त हैं और उनको हम को पकड़ना है । अपने देश की परिस्थितियों में, हमारे देश की ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों में समाजवाद आयेगा । अब यह किस तरह से आयेगा यह कोई नहीं कह सकता । हम किन किन मंजिलों से गुजरेंगे, यह हम नहीं कह सकते, लेकिन हम उन सिद्धान्तों को पकड़ सकते हैं, वह सिद्धान्त कि दुनिया में कहीं भी किसी तरह से भी समाजवाद आये, उसमें वह सिद्धान्त लागू होंगे और उनको पकड़ कर हम अमल में ला सकते हैं । यही मेरी आप से दरख्वास्त है ।

क्या सिद्धान्त हैं यह एक सवाल है । कुछ फंडामेंटल्स हैं । पहली बात, जो शोषण करने वाला वर्ग है उसकी ताकत को कम करो । उनकी ताकत को कम कर के उनकी आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता को कम करो और किस तरह से कम करो ? जो पैदावार के साधन, जो धन, जो पूंजी उनके हाथ में है, जिस को ले कर वह समाज के मालिक बनते हैं, उस पर नियंत्रण करो । उस पूंजी को ज्यादा से ज्यादा राज्य के हाथ में लो । उस पूंजी को कोआपरेटिव सेक्टर में लो । उस पूंजी को स्टेट सेक्टर में लो । उस पूंजी के ऊपर अधिकार जनता का हो । यह एक बुनियादी और मौलिक सवाल है समाजवाद का । इसलिये राष्ट्रीयकरण का सवाल आज एक प्रमुख सवाल है । मुझे खुशी है कि भुवनेश्वर कांग्रेस में बैंक्स के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर बड़े पैमाने पर बहस हुई । हम लोग बहुत चिल्लाते रहे हैं । हम को लोग कहते हैं कि पागल हैं । बैंकों के राष्ट्रीयकरण करो, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करो, यह हम लोग चिल्लाते रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है और हमारा सीना फूल जाता है जब चन्द पागल ही नहीं, बड़े बड़े इकोनामिस्ट बड़े बड़े प्रोफेसर्स बड़े बड़े पालीटिशियन्स और लीडर्स इस सवाल को उठा रहे हैं और वे राष्ट्रीयकरण का सवाल उठाते हैं इसलिये कि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है । अगर शोषण करने वाले वर्गों को खत्म करना है तो राष्ट्रीयकरण की नीति सीधी और सच्ची नीति है । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गो आल इंडिया पैमाने पर कुछ हो रहा है और उसमें खामियां हैं, लेकिन हमारे सूबे में हमने कुछ भी नहीं किया है । कितना स्टेट सेक्टर हमारा बढ़ा ? जो बड़े बड़े इजारेदार पूंजीपति हैं उनको कितना कंट्रोल में लाये ? यह मेरे सूबे के लिये बहुत बड़ी परेशानी है । मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि १२ साल में केवल ४ ही चीजें स्टेट सेक्टर में आ पायीं । वही ले देके एक चुर्क सीमेंट फैक्टरी, एक प्रिसीशन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी, एक आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी और एक डिजाइन सेंटर । दुनिया कहां जा रही है ? वक्त दौड़ रहा है, वक्त कम है, लेकिन यहां साल पर साल गुजर जाते हैं । कहां है स्टेट सेक्टर और कोआपरेटिव सेक्टर यू० पी० के अन्दर ? मैं कहता हूं कि सबसे कमजोर स्टेट सेक्टर और कोआपरेटिव सेक्टर यू० पी० में है । मद्रास में, मैसूर में, केरल में, बम्बई में देखिये कि हैंडलूम कोआपरेटिव बेसिस पर कितने बड़े पैमाने पर आ गये हैं । इसके विपरीत आज बड़ा पूंजीपति, बड़ा उद्योगपति, मोनोपोलिस्ट जिसको हम कहते हैं, वह औद्योगिक क्षेत्र पर हावी हैं यह हकीकत है ।

टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है उसके सम्बन्ध में हमने कुछ नहीं किया । उद्योगपति आपको रुपया दें या न दें । १३ करोड़ रुपिया एरियर्स हैं । हम शोर मचाते हैं कि बाबा उनसे वसूल करो, लेकिन कुछ नहीं । शुगर मिल के उद्योगपति दें या न दें, किसानों का रुपया उनको अदा करें या न करें । जरवल की मिलों पर किसानों का ३० लाख रुपया बकाया है, सरकार, नहीं दिलवाती । कानपुर के अन्दर ढाई करोड़ रुपया प्राविडेंट फंड और इंश्योरेंस का मजदूरों का मिल-मालिक पर ड्यू है, लेकिन वह नहीं देता और न हम दिलवा पाये । क्यों ? क्योंकि वह ब्लैकमेल करता है । आपने पूरी ताकत उसके हाथ में छोड़ दी है । आपका स्टेट सेक्टर कोआपरेटिव सेक्टर नहीं है, सरकार मजबूर है कि न अपना रुपया ले सके और न मजदूर-किसानों का दिलवा सके । इसके अलावा साहू जैन को और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को और किस-किस को फाइनेंन्स कारपोरेशन रुपया देता है । अगर दरअसल आपको समाजवाद की तरफ बढ़ना है तो इन तथ्यों पर आपको कंट्रोल करना होगा ।

शुगर इंडस्ट्री जो प्रदेश की मुख्य इंडस्ट्री है उसके नेशनलाइजेशन की तरफ कितना आप जाने को तैयार हैं ? आज विरोधी पक्ष में नहीं, कांग्रेस के अन्दर यह आवाज उठने लगी है कि शुगर इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन होना चाहिये । आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री वह है जिसको करोड़ों का मुनाफा मिल सकता है । आप उनको मुआवजा दीजिये, फिर देखिये इससे आपको कितना रुपया मिलता है । १५–२० करोड़ रुपये इससे आपको मिल जायेंगे ।

टैक्सेशन की भी एक लिमिट होती है । यह वह वक्त आ गया है जब कि टैक्सेशन अपनी लिमिट पर पहुंच गया है । अब और टैक्सेशन की गुंजायश नहीं रह गयी है । आप शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे नहीं, फिर यह सब रुपया कहां से लायेंगे ? यही एक कसौटी है जिस पर कस कर हमको देखना है कि आप उत्तर प्रदेश को कितना आगे ले जा पाये । आज आप देख रहे हैं कि कीमतें कितनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं । आज आपके बड़े उद्योगपति कीमतें तय करते हैं । छोटे दूकानदार अगर प्राइस लिस्ट नहीं टांगते हैं तो उनको तो पकड़ लिया जाता है मगर बड़े-बड़े दूकानदारों को, होलसेलरों को कोई नहीं पकड़ता, उनके लिये बयानात निकल जाते हैं, अपीलें निकल जाती हैं । मैं कहना चाहता हूं कि खाली अपील निकल जाने से कुछ नहीं होता ।

अब समाजवाद की तरफ जाने के लिये क्या चीज निहायत जरूरी है ? उसके लिये जरूरी है कि हमारा बेसिक प्रोडक्शन बढ़े । राष्ट्रीयकरण करके पैदावार के स्तर को ऊंचा किया जाय । सन् १९५०–५१ से १९६०–६१ तक सारे हिन्दुस्तान में कितनी औद्योगिक पैदावार बढ़ी है और यू० पी० में कितनी बढ़ी इसके आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं । पूरे हिन्दुस्तान में औद्योगिक, आऊटपुट ४८.७८ परसेंट बढा है और आपके यू० पी० में केवल ४.३ बढ़ा है । आप इससे अन्दाजा लगाइये कि यू० पी० औद्योगिक प्रोडक्शन में कहां है ?

यही नहीं व्यापार में, ट्रान्सपोर्ट, और कम्युनिकेशन आदि से जो इनकम बढ़ी है वह सारे हिन्दुस्तान की ५२.४७ परसेंट बढ़ी है और आपके यहां यू० पी० में केवल २३ फीसदी ही बढ़ी है । इसमें भी हम पीछे हैं।

अब पैदावार बढ़ाने के लिए जो रकम लगायी जाती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसको देखिये । वह भी बड़ी विचित्र सी है । पिछले दो प्लान में हिन्दुस्तान में पर कैपिटा एक्स-पेंडिचर ५२ रुपये ४८ नये पैसे हुआ है जब कि यू० पी० में ३० रुपये कुछ नये पैसे ही है । अब देखिये परकैपिटा इनकम । फी व्यक्ति आमदनी सारे हिन्दुस्तान में बढ़ी है २१.६४ फीसदी और यू० पी० में इन्क्रीज हुई है ४.६७ फीसदी । अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कहने को तो बहुत सी चीजें हैं लेकिन खासतौर से इनकी ओर हमें देखना है ।

तीसरी चीज समाजवाद है। समाजवाद क्या है ? गरीबों की कमर को मजबूत करना। यू० पी० में ७३ फीसदी आदमी एग्रीकल्चर पर रहते हैं। पूर्वी जिलों में खासतौर से देखिये क्या हो रहा है। ६० फीसदी होल्डिंग्स ऐसी हैं जो ५ एकड़ से कम हैं। सीलिंग हमने लगायी, लेकिन इससे क्या तमाशा हुआ,कितनी जमीन उसमें हमें मिली ? आज भी बड़े-

[श्री जेड० ए० अहमद]

बड़े जमीदारों के पास बड़े-बड़े फार्म हैं १–१ हजार बीघा के जो अलहदा-अलहदा घर वालों के नामों से किये हुये हैं।

चौथी चीज यह है कि समाजवाद बनाने के लिये हमें शासन के अन्दर मौलिक तब्दीली करनी होगी। पुरानी नौकरशाही का पुराना तरीका है। जिसका नजरिया पुराना है वह समाजवाद की रचना नहीं कर सकती। इसलिये हमें नये अधिकारियों को लाना होगा। आज वे पुराना तरीका अपनाकर आपके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। आप समाजवाद के लिये स्कीम बनाते हैं वे उसको मोड़ तोड़ कर फेंक देते हैं। फाइलों में आपको उलझा देते हैं। इस लिये टाप टू बाटम आपको नये अधिकारियों को लाना होगा। यह समाजवाद की रचना के लिये लाजिमी चीज है।

विजिलेन्स कमेटी की बात कही गयी। क्या इस तरह से करप्शन दूर होगा? किसी अधिकारी के पास किसी करप्ट अधिकारी की शिकायत जाती है तो उसका तबादला यहां वहां कर दिया जाता है। बस करप्शन करने के लिये उसको दूसरी नयी जगह मिल जाती है। किसी को तो पकड़ो। किसी को तो दबाओ। एक हाई कोर्ट का जज बना दिया और उसके नीचे सुपरिन्टेंडेंट पुलिस और एक दरोगा रख दिया, उससे काम नही चलेगा। आप २५–५० आदमी, जो इन्टीग्रिटी के हों, उनकी एक कौंसिल बना दीजिये। वह कौंसिल तय करे कि कौन आदमी निकम्मा है। २५–३० आदमी इन्टीग्रिटी के मिल जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके सुपुर्द इस काम को करना गलत होगा। इस तरह से करप्शन खत्म नहीं हो सकता।

मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि यह झगड़े का सवाल नहीं है। हमको इतने बड़े राज्य को संभालना है, इतने बड़े मुल्क को बनाना है, मैं चाहता हूं कि सच्चे समाजवाद के दृष्टिकोण को रखने वाले लोगों को एक दूसरे के नजदीक आना चाहिये और हमारा फर्क उन लोगों से तो रहेगा ही जो प्लानिंग और समाजवाद के दुश्मन हैं। हमें अपने सूबे को शानदार बनाना है, यह सूबा जो सरताज था उसको फिर से चमकता हुआ सितारा बनाना है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती सुशीला रोहतगी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आपके सामने खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल का सम्बोधन या तो माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने पढ़ा नहीं या उस पर विचार नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि इससे स्पष्ट नीति और क्या सम्भव है? मैं केवल एक पैराग्राफ आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। "लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई समस्या का, जो जनता की प्रगति तथा समृद्धि के मार्ग में बाधक है, काफी सख्ती के साथ रोक-थाम तथा सामना करना आवश्यक है"। इसके अलावा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये क्या मशीन गन लगायी जा सकती है। गवर्नर की तरफ से १९६४–६५ की नीति के लिये जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह इससे स्पष्ट है। आन्तरिक शान्ति की बहुत नुक्ताचीनी की गयी। मैं कहना चाहता हूं कि खुलना, नारायणगंज और कलकत्ता में साम्प्रदायिक उपद्रव से काफी उथल पुथल मची, लेकिन हमारे इस उत्तर प्रदेश में महान शान्ति रही, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा एक बात और कही गयी उस तरफ से चोरी, कत्ल व डकैती की। आपको अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि हर साल इस सिलसिले में पुलिस के १००-५० जवानों की जानें जाती हैं। मानसिंह जैसे डाकू के दल का सफाया इसी सरकार ने किया है। इस सम्बोधन में जो मतलब की बात है उसको तो आपने पढ़ा नहीं। समाजवाद के प्रति जो आपने आलोचना की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के खिलाफ आप क्या चार्ज लगा सकते हैं? क्या

कांग्रेस ने प्रजातान्त्रिक समाजवाद के लिये कदम नहीं उठाया है। इस देश की साढ़े ६ सौ रियासतें एक कानून से खत्म हुईं, २४ लाख ताल्लुकेदार व जमींदार एक कानून से खत्म हो गये। आखिर समाजवाद से आपका क्या मकसद है अभी भुवनेश्वर कांग्रेस ने प्रजातान्त्रिक समाजवाद का एक लक्ष्य तय किया है। उसके मुताबिक भी इस सम्बोधन में स्पष्ट है। इस सम्बोधन को पढ़ कर मैंने यह समझा कि हमारी सरकार का अन्तिम ध्येय इस देश में समाजवादी राज्य की स्थापना करना और जनता का कल्याण करना है। भ्रष्टाचार का लोग अपना अलग-अलग इन्टरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना इन्टरप्रिटेशन यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश की सरकार को एक सीधा आदेश दिया है। उसकी रोकथाम और उसका सामना करने के लिये, रोकथाम और सामना आप करेंगे कैसे, यह तो आपकी सरकार तय करेगी, लेकिन एक व्यक्तिगत सदस्य के नाते इस सम्बन्ध में मैं अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। श्रीमन्, किसी को भाषा अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन मेरा इन्टरप्रिटेशन यह है कि अगर भ्रष्टाचार न होता तो महामहिम राज्यपाल महोदय इतनी सख्ती की बात अपने सम्बोधन में न कहते। इसलिये भ्रष्टाचार तो है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन सोचना यह है कि उसके अन्त के लिये क्या किया जाय। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में जिस भाषा का प्रयोग किया है, उतनी ही सख्ती आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे विजिलेंस कमीशन बना लें और इस तरह से दो साल गाड़ी खींचने का इन्तजाम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार खतम करने के लिये आपको एक, दो या तीन महीने की मियाद मुकर्रर करनी पड़ेगी और उसके लिये ४३० सदस्यों का विजिलेंस कमीशन बनाना होगा। फिर हम आपको बतलायेंगे कि कौन-कौन सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। हम आपको बतलायेंगे कि किसके खिलाफ आपको क्या कदम उठाना है। यह तो न नौकरशाही बतलायेगी और न सरकार ही बतलायेगी। यह ४३० जन प्रतिनिधि बतायेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केवल १ मास में भ्रष्टाचार का अन्त होगा अगर आप इन ४३० की राय को सुनना स्वीकार करें। जिस वक्त आप यह निश्चिय कर लेंगे तो एक मास के अन्दर रिश्वतखोरी, ब्लैकमार्केटिंग और हर तरह का भ्रष्टाचार खत्म हो जायगा। इसलिये आप इस मेरी बात को स्वीकार करने की कृपा करें।

दूसरी बात मुझे बहुत सफाई से यह कहना है कि जिस तरह से १५ अगस्त, सन् १९४७ को देश में स्वतन्त्रता की लहर जागी थी, उसी तरह से भुवनेश्वर प्रस्ताव की लहर को आप को देश में जगाना है, उस के लिये आप को अपने यहां एक मास साइकोलाजी को तैयार करना होगा और तभी आप के यहां प्लानिंग और कृषि का कार्य सफल हो सकता है। अभी कुछ दिनों में हम २०० करोड़ का बजट यहां वोट करेंगे, लेकिन हम से आज तक यह नहीं पूछा गया कि कहां कहां नाली बनना चाहिये, कहां गूल हो, किधर से पानी जाय, कहां नलकूप और कुयें बनें, यह सब सरकार भले ही जानती हो लेकिन ४३० में से किसी से इस के बारे में नहीं पूछा गया। बजट के लिये हम से किसी ने नहीं पूछा कि कहां किस चीज की जरूरत है, कैसे पानी का प्रबन्ध हो सकता है और पैदावार बढ़ सकती है। मेरा शुबहा है कि इस के लिये हम जन प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया गया और हमारी राय को बजट के पास करते समय केवल वोट के लिये ही रखा गया है, यह ठीक है कि हम आपके साथ हैं लेकिन अगर आप हमारी राय लेकर काम करना आरम्भ करेंगे तो साल भर के अन्दर आप की प्लानिंग सफल होगी और कृषि की उन्नति दिखाई देने लगेगी और हर तरह से देश समृद्धिशाली होगा। आर्थिक दासता से मुक्ति का तरीका भुवनेश्वर प्रस्ताव में दिया है। आज यहां किस का बहुमत है यह स्पष्ट है और उस बहुमत का लाभ इसी में है कि आप भुवनेश्वर प्रस्ताव को यहां लागू करें। हम ने अपने यहां प्रजातान्त्रिक समाजवाद के रास्ते को स्वीकार किया है और उसको बेहतरी के लिये जो यहां किसान, मजदूर हैं, जिस का बहुमत है आप को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। राज्य की नौकरशाही उस के बहुमत द्वारा ही पली पोसी होना है, उसी बहुमत का उसमें हाथ होना चाहिये। उस के स्वीकार करने पर आप को मालूम होगा कि यहां कैसे परिवर्तन होता है इसलिये सीधे सादे तौर पर उस प्रस्ताव को आप यहां स्वीकार कर लें।

[श्री जे० पी० मिश्र]

हमारे सोशलिस्ट पार्टी के एक नौजवान मित्र हैं, उम्र भी उन की अभी कम है अनुभव भी कम है, वह कुछ कह गये। इस प्रदेश की सरकार को फौज में भर्ती करने का अधिकार नहीं, हवाई बेड़ा खड़ा करने का अधिकार नहीं, समुद्री बेड़ा भी बनाने का अधिकार नहीं। वह मित्र बड़े तेज हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, कहने लगे १८ दिन में फौजें भागीं ? मैं कहता हूं कि भारतीय फौजों का इतिहास वह है जिस की आज संसार में धाक है। पहली दूसरी लड़ाई में जिस तरह भारत की फौजों ने बहादुरी का परिचय दिया है मुझे शरम आती है कि इस सदन के सदस्य ऐसी बात करते हैं जिसकी उनको जानकारी नहीं है। "क्यों मरता गरीब है अभी उम्र नाबालिग है", बस इसके आगे नहीं कहूंगा।

दूसरी बात और मुझे बुरी लगी जो मैं कहना चाहता हूं। मास्टर साहब उंगली उठा रहे हैं, कहा गया सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हिन्दी में राज्यपाल सम्बोधन करें, अगर नहीं जानते तो उड़िया में, उड़िया नहीं तो संस्कृत में और संस्कृत नहीं तो फारसी में। सब बातें स्वीकार हैं, लेकिन तमाम इंडियन स्टेट्स का एक तीन लैंगुएज फारमूला बन गया है, तो क्या सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश की लैंगुएज पालिसी के खिलाफ जा सकती है ? नहीं जा सकती है। जब कोई आदमी जानता नहीं, पढ़ने की कोशिश की आपके सामने और कुछ पढ़ा भी, मैं पूछना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी में हिन्दी के कितने ग्रेजुएट्स हैं ? कोई चौथा, छठां पास या मिडिल पास और ज्यादा से ज्यादा मास्टर और उस पर एलान का अन्दाज यह, कि हिन्दी। हिन्दी के प्रोटेगोनिस्ट्स हिंदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह से आप हिन्दी के शत्रु बन रहे हैं, मित्र नहीं और आपको वाक आउट करने का मर्ज है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा) —

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

वह अपना भाषण समाप्त कर लें तब व्यवस्था हो जायगी।

श्री जे० पी० मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मैं २, १ बातें कृषि की उन्नति के बारे में कहना चाहता हूं। जिस तरह सरकार की नहरें हैं, ट्यूब वैल्स हैं उसी तरह से मैसोनरी वैल्स अपनी कास्ट पर सारे प्रदेश में बनवा दें और जिन गांव सभाओं में या काश्तकारों को उनसे पानी मिले उनसे आप उसका पैसा ले लें तो अच्छा रहे, बजाय इसके कि आप लोगों को बनवाने के लिये पैसा दें। जो आप करोड़ों रुपया किसानों को ब्लाक्स में दे रहे हैं वह मिस युटिलाइज होता है। उसका इस्तेमाल सरकार ही करे।

एक बात मुझे माननीय उप नेता सदन से करनी है और जिसका मैं चुटहल हूं, दुखी हूं कि ३० जुलाई, १९६३ से बराबर ४ फरवरी, सन् १९६४ तक पी० डब्ल्यू० डी० के खिलाफ रिप्रजेन्टेशन कर रहा हूं, तार दे रहा हूं पर स्टेट पी० डब्ल्यू० डी० इतनी ऐडामेंन्ट हैं कि ६ महीने में भी करप्शन की जांच नहीं करा सकी, मुझे अफसोस है कि अगर १५ दिन के अन्दर कार्यवाही न हुई तो अदर पीसफुल मीन्स का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे आशा है उपनेता सदन इस मामले में बीच में पड़ कर इस करप्शन का इलाज करेंगे। भुवनेश्वर कांग्रेस प्रस्ताव की लाइट में सरकार बजट में जो परिवर्तन कर सकती है। करे, और अगर नहीं कर सकती तो अगले साल के बजट में आपको पूरा भुवनेश्वर उत्तार देना पड़ेगा तभी कल्याण है अन्यथा नहीं....

श्री राधेश्याम शर्मा —

श्रीमन्, मैंने कल क्या कहा था मैं मिश्रा जी को बता दूं। कल जब हमने भाषण किया था तो फौज का जिक्र नहीं किया था बल्कि यह कहा था कि आपने पी० ए० सी० रखी है उसकी क्या वीरता है अगर एक भिड़न्त हो तो मालूम पड़े।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राधेश्याम जी, एक बात सुनें। अभी तो बहस चल रही है कोई न कोई खड़ा होगा आपकी तरफ से, वह उसका जवाब दे देगा।

श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री राधे श्याम जी कल बोल चुके और दुबारा फिर उन्होंने बोलने की कोशिश की है। यदि वे बोले तो फिर मैं भी दुबारा कोशिश करूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—

पागलपन यह ही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) —

अध्यक्ष महोदय, कुछ कहने के पूर्व मैं माननीय सुशीला रोहतगी जी को उनके भाषण पर, विशेषत: उनके बोलने के ढंग पर और शब्दों के सृजन पर बधाई देना चाहता हूं। परन्तु जैसा श्रीमन्, को याद होगा कि एक बार राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में बोलते हुये मैंने कहा था कि "A good advocate but advocating an unarguable case." श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में स्वयं जनतन्त्र की परम्पराओं की सुरक्षा की बात कही है। इस सदन को और इस सदन के माननीय सदस्यों को उन्होंने आह्वान किया कि हम अपने विचारों में, कृतियों में और कर्मों में जनतन्त्र की परम्पराओं को पुष्ट करेंगे। श्रीमन्, जनतन्त्र की परम्पराओं को पुष्ट करने के लिये जहां उचित वातावरण की आवश्यकता है वहां जिन के हाथ में सत्ता हो जिनके द्वारा सत्ता का सूत्र संचालित हो, उनके कर्मों का एबव बोर्ड (above board) होना भी आवश्यक है जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है "It is not sufficient to be just, but you must appear to be just" केवल न्याय करना ही पूर्ण नहीं है। जिन के लिये, जिन के द्वारा और जिन के हाथों में जनतन्त्र है उनके मन में यह विश्वास होना चाहिये कि राज्य के सूत्रों का संचालन न्याय के आधार पर, और प्रमाणता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर, हो रहा है। परन्तु मेरा आरोप, इस सरकार पर, दूसरा है और मुझे आशा है माननीय उपनेता सदन जो यहां बैठे हैं मेरे आरोप को सुनकर माननीया मुख्य मन्त्री जी तक जो इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, पहुंचाकर कार्यवाही करेंगे।

श्रीमन्, जहांतक जनतन्त्र में न्याय का प्रश्न है उस न्याय की हत्या हो रही है। उस न्याय का मुंह बन्द किया जाना राजनीतिक हितों में जनतन्त्र पर प्रबल कुठाराघात है। मैं जौनपुर का एक उदाहरण आपके द्वारा श्रीमन्, माननीय नेता सदन के सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे बड़े ध्यान से सुनेंगे। अभी कुछ दिनपूर्व जनवरी के महीने में ग्राम धरमपुर में एक घटना हुई। उस घटना में जिस व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले गयी उसकी मृत्यु हवालात में हो गयी। श्रीमन्, उसमें सेक्शन ३०२, ३०७ और १४७ आई० पी० सी० लगे थे। इस घटना की रिपोर्ट स्वयं जौनपुर के डी० एस० पी० ने अपने हाथ से लिखी। क्योंकि हवालात में आदमी की मृत्यु हुई तो मैजिस्ट्रियल इन्क्वायरी हुई। जो लोग पकड़े गये इस घटना से सम्बन्धित, उनकी बेल ऐप्लिकेशन्स हुई। ३ जनवरी, १९६४ को बेल एप्लिकेशन हुई और वह रिजेक्ट हुई। रिजेक्शन में ए० पी० पी० ने तथा पुलिस ने विरोध किया और कहा कि उन लोगों को बेल न दी जाय। उससे पहले भी रिजेक्ट हो चुकी थी। उसके बाद २६ जनवरी को गणतन्त्र दिवस आता है। हमारे माननीय गृह मन्त्री जौनपुर में थे। २७ को छुट्टी थी। जो ग्राम प्रधान थे वे भी इस घटना में अरेस्टेड थे। जो लोग मारे गये उन सबका बयान है कि ग्राम प्रधान ने सब को ललकारा कि मारो। मोहन नाम का आदमी मर गया। लेकिन डी० एस० पी० महोदय २८ को १६९ की रिपोर्ट उस ग्राम प्रधान के लिये दे देते हैं जिसको फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। जो लोग मारे गये हैं उनकी एप्लिकेशन में, एविडेन्स में, बयान में उस ग्राम प्रधान का नाम है और उसकी बेल एप्लिकेशन पहले पुलिस दो बार अपोज करती है और सारी घटना की एफ० आई० आर० डी० एस० पी० द्वारा लिखी गयी है, फिर मैजिस्ट्रियल

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

इन्क्वायरी हुई उसमें भी वह बात आई और फिर वही डी० एस० पी० १६९ में फाइनल रिपोर्ट फार्वर्ड करते हैं। २६ और २७ को कौन सी विशेष घटना हुई कि एक जुर्म में जब १२ आदमी बन्द थे तो एक आदमी को छुड़वाने के लिये फाइनल रिपोर्ट लिखी गयी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) —

गृह मन्त्री के रिश्तेदार थे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

इस घटना का इतना तहलका है कि लोगों के मन में सन्देह हो रहा है कि इस प्रदेश में न्याय नहीं हो सकेगा। भीषण अविश्वास लोगों के मन में घुस गया है। लोगों के मन में यह भावना आ गयी है कि प्रशासन और पुलिस केवल राजनीतिक पार्टी बाजी में उपयोग होगी। गृह मन्त्री वहां उपस्थित हों और सहसा यह घटना हो। या तो डी० एस० पी० ने पहले एफ० आई० आर० लिखाई है वह झूठी है या १६९ की रिपोर्ट बाद की झूठी है। डी० एस० पी० दरोगा से प्रोमोट हो कर आये हैं और अपने प्रोमोशन के लिये वह कुछ भी कर सकते हैं। यह वही डी० एस० पी० हैं जिन्होंने २१ जनवरी को रोडवेज के ड्राइवर को मारा था और जिसकी सूचना मिलते ही सारी रोडवेज में हड़ताल हुई और बसेज बन्द हो गयीं। जब डी० एम० को खबर मिली तो देखा कि ड्राइवर ३०७ सेक्शन के अन्दर बन्द था। और डी० एम० ने खुद उसके रिलीज के लिये आर्डर दिये। डी० एम० इसे जानता था कि डी० एस० पी० का आर्डर गलत था। इस प्रकार के ऐक्शन्स विध इम्प्युनिटी हों और एक वरिष्ठ मन्त्री का उन पर हाथ हो तो यह हमारा और प्रदेश का दुर्भाग्य है। हमारे गृह मन्त्री यहां हैं, वे क्या अपनी स्थिति को सदन के सामन स्पष्ट करेंगे? श्रीमन्, मैं एक दूसरे उदाहरण की ओर माननीय उपनेता सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। जौनपुर में जो चकबन्दी के एस० ओ० सी० हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, परन्तु दुर्भाग्य है कि पोलिटिकल प्रेशर के कारण उस आदमी को ईमानदारी से काम नहीं करने दिया जा रहा है। गृह मन्त्रीजी के सुपुत्र जौनपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। आज पिता गृह मन्त्री और सुपुत्र सेक्रेटरी, सारे अफसर थर थर कांपते हैं। और जौनपुर जिला परिषद् के चेयरमैन, मैं क्या कहूं? वे तो सब परिभाषा के परे हैं। उनकी वकालत की हालत यह थी कि गृह मन्त्री के मन्त्रि पद से हटते ही वकालत शून्य हो गयी और जिस दिन फिर मन्त्री हो गये तो सारी कचेहरियों में मानो उनसे बड़ा कोई वकील ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत पसर्नल है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

तो मैं उपनेता सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज चकबन्दी में जिला परिषद् के अध्यक्ष की वकालत की लिस्ट मंगा ली जाय कि जब गृह मन्त्री नहीं थे तब उनके पास चकबन्दी के कितने केसेज थे और आज कितने हैं। स्पष्ट है कि आज जिले भर में यह विश्वास हो गया है कि उनको वकील करो, गृह मन्त्री के सुपुत्र से पैरवी करवाओ। आज जो करप्शन का इतना हल्ला मचा हुआ है तो केवल पैसा ही लेना करप्शन नहीं है। पोलिटिक्ल पोजीशन का दुरुपयोग भी करप्शन है। विजिलेन्स कमेटी बनेगी, बड़ी अच्छी बात है। परन्तु यह विजिलेन्स कमेटी जरा ऊपर से शुरू करे। मक्का में कुफ्र उठा हुआ है। उस कुफ्र को रोकिये फिर मुरीद और पुजारी अपने आप ठीक हो जायेंगे।

फिर, श्रीमन्, परिवहन विभाग है। आज यह आपके लिये चुनौती है। आप कहते हैं कि करप्शन है, उसे रोकना चाहते हैं। तो मैं उदाहरण देता हूं, रोकिये अगर इस सरकार में साहस हो। और यह भी स्पष्ट है कि अगर आप ऊपर के करप्शन को नहीं रोकते हैं, केवल दो

चपरासी और दो पेशकार को फांसी लटका देते हैं तो यह करप्शन आपको खा जायगा। श्रीमन्, परिवहन विभाग के मन्त्री के रिश्तेदार और रिश्तेदार कौन? उनकी सास। उनको कई परमिट्स दिये गये वाराणसी से जबलपुर तक जो नेशनलाइज्ड रूट है और यह याद रखिये कि नेशनलाइज्ड रूट में यह नियम है कि आप किसी व्यक्ति को परमिट नहीं देते, लेकिन वाराणसी से जबलपुर तक का उनको परमिट दिया गया और उनके वेहिकिल्स का नम्बर यू० एस० एस० ४५४। अक्तूबर, १९६३ में यह परमिट दिया गया। कौन प्रोप्राइटर है इस बस का? हमारे परिवहन बिभाग के मन्त्री की सास और उनकी बहन प्रोप्राइटर हैं यह क्या हो रहा है इस प्रदेश के अन्दर? आप बड़े जोर का भाषण देते हैं, बड़े जोर से समाजवाद का हल्ला मचाते हैं, कामराज प्लान, कामराज प्लान का नारा लगाते हैं। यह क्या कामराज प्लान है? मैं एक प्रार्थना करूंगा कि अगर इस मंत्रिमंडल में यह साहस नहीं है कि ऊपर के करप्शन को रोक सके, तो इनको ईमानदारी से आज प्रदेश और देश के हित में हट जाना चाहिये। जनता का विश्वास आपके अन्दर होगा, आप को जनता ने बहुमत दिया होगा, लेकिन उस विश्वास के लिये यह आवश्यक है कि अगर आप के ऊपर चार्जेज लगें तो आप हटिये और अगर ऊपर के आदमी कभी करप्शन के अन्दर आते हैं तो आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। लेट हेड्स ग्रो विदाउट फियर आर फ़ेवर। देश और प्रदेश पार्टी पालिटिक्स से ऊंचे हैं। हमारे और आपके इस असेम्बली में बैठने से भी ऊंचे हैं।

और आज अगर आप ईमानदारी से प्रदेश की भलाई चाहते हैं (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे दस मिनट और दे दें, तो बड़ा आभारी होऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

५ मिनट दिये देता हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज सबसे बड़ी भलाई यह होगी कि जो आप विजिलेंस कमेटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसके शुभारम्भ में यह एक पर्व होगा। और हम यह भी कह सकेंगे कि हमने करप्शन में बड़े से बड़े को भी नहीं छोड़ा। जब यह कह सकेंगे तो ब्राड करप्शन जिनके लिये अधिकारियों को गालियां दी जाती हैं, वह भी रुकेगा। मैं जानना चाहता हूं कि मैं मंत्री हूं और मैंने अपने लड़के और बीबी के नाम परमिट लिया तो क्या सेक्रेटरी इस बात को जानता नहीं है, सब जानते हैं और जब वह बेईमानी करेगा तो मेरा मुंह नहीं है कि मैं उसको रोक सकूं। अगर करप्शन रोकना है, अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो पहले ऊपर से रोकिये और मैं आशा करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब बोलें तो मेरी सूचनाओं का, जो मैंने इस आदरणीय सदन के समक्ष रखी हैं, उचित उत्तर दे देंगी।

श्रीमन्, आज कल कागजात की बड़ी भारी गड़बड़ी है। आज जो वकील हैं वे जानते होंगे कि मर्डर केसेज में पर्चियां कटती हैं। लेकिन इस केस में अभी तक कोई पर्ची नहीं कटी है। मैं चाहूंगा कि अगर इसकी जांच करना है तो सारे कागजात शीघ्र जौनपुर से मंगा लिये जायं जिससे उनको बनाने का अवसर न मिल सके और आप देखें कि क्या मामला है? जनतंत्र की जड़ उस समय मजबूत होगी जब उसके अनुरूप प्रेक्टिकल व्यवहार होगा, "Rule of the people, rule for the people, rule by the people." अगर "Rule of the Minister, rule for the Minister, Rule by the Minister" होगा तो जनतंत्र डूब जायगा।

श्रीमन्, समाजवाद का बड़ा गाना गाया गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि इन चार शब्दों के क्या मानी हैं। समाजवाद तो एक जीवन दर्शन है। इसकी एथिक्स अलग है, मोरैलिटी अलग है और इसका सोशल स्ट्रक्चर अलग है। यह कहा जाता है कि अगर समाजवाद होगा तो उसमें सारी गड़बड़ियां मिट जायंगी और भ्रष्टाचार मिट जायगा। समाचारपत्रों

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

में देखता हूं कि आज १८ आदमी रूस में निकाले गये। इसलिये निकाले गये कि उन्होंने फाल्स रिटर्न्स सबमिट किये थे, फलां जगह जनरल सेक्रेटरी निकाले गये और बड़े-बड़े आफिसर्स निकाले गये। किसलिये? इसलिये कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिये पब्लिक प्रापरटी का मिसयूज किया था और उन पर चार्जेज लगाये गये। यह किसी की बपौती नहीं होती है, यह तो इंडिविजुअल कैरेक्टर है और इसका निर्माण देखा देखी से तथा परस्पर के व्यवहार से होता है। मंत्री अगर ईमानदार होगा तो उसके भय से उसका सेक्रेटरी भी ईमानदार होगा और उसका व्यवहार कड़ाई का होगा और अपने स्टाफ को दबाकर रखेगा। यह कोई वाद विवाद की बात नहीं है। यह तो पोलिटिकल मोरैलिटी, सोशल मोरैलिटी और इकोनोमिकल मोरैलिटी की बात है। मैं इकोनोमिकल मोरैलिटी का उदाहरण देता हूं। समाजवाद की व्याख्या माननीय श्री जेड० ए० अहमद साहब ने की। उनकी व्याख्या अपने ढंग पर सही हो सकती है, रिसोर्सेज और डिस्ट्रिब्यूशन दोनों स्टेट के अधीन होने चाहिए। उसी आधार पर स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन है। (व्यवधान) वह दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन चाहे दिल्ली की सरकार हो या यहां की सरकार हो दोनों एक ही हैं। सुपारी एक ऐसी चीज है जो इस देश में धनी से लेकर इक्का रिक्शा चलाने वाले तक पान में खाते हैं। वही सुपारी ७७ रुपये फी क्विंटल स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन खरीदती है। जिस कामन मैन के लिए चीख पुकार मची हुई है उसीको वह बेंचती है ८१० रुपये फी क्विंटल। यह समाजवाद है या लूटवाद है, या चोरवाद है, कौन वाद है? (व्यवधान) मैं समझा कि बीबी के साथ भी समाजवाद होता है। जिस राज्य को समाजवाद के नाम से प्रेरणा मिलती है वह राज्य कंज्यूमर्स को इस तरह से लूटे, इसको हम क्या कहें? स्पष्ट है कि अगर राज्य चलाना है तो मानववाद चाहिए, जिसके लिए हम राज्य कर रहे हैं उसके हित में राज्य होना चाहिए। यह नहीं कि स्टेट को रिसोर्सेज मिलेंगे इसलिए दाम बढ़ा दो या टैक्स लगा दो, और कन्ज्यूमर को मार डालो, फिर कहते हैं कि तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ायेंगे। समाजवाद कुछ नहीं है, स्टेट कैपिटलिज्म है। कैपिटलिस्ट शोषण करता है, घोर ब्लैक मार्केटियर है, मेरी समझ में नहीं आता--दु सब्सिटचुट वन ग्रुप आफ कैपिटलिस्ट्स ऐन अदर ग्रुप आफ कैपिटलिस्ट्स। बात एक ही है। यह समाजवाद नहीं है केवल राज्य पूंजीवाद है। यही कारण है कि इनकी कृषि की सारी योजनाएं असफल रहीं।

मुझे आश्चर्य है कि अब इस सरकार को बुद्धि आयी है कि कृषि के ऊपर जोर देना चाहिए। फर्स्ट प्लान एग्रीकल्चर ओरिएंटेड था या नहीं? १५ वर्ष पहले जो चीज करनी चाहिए थी वह आज कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? थर्ड फाइव इयर प्लान की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसका एक आंकड़ा दे दूं। फूडग्रेंस का टार्गेट ८.७२ मिलियन टन था थर्ड फाइव इयर प्लान का और अचीव हुआ ४.८२ यानी आधा। जब कृषि गड़बड़ाई तब यह चिल्लाए कृषि, कृषि। पहला प्लान किस लिए बनाया था? कहा जाता है कि हम प्लान के दुश्मन हैं। हम प्लान के दुश्मन नहीं हैं। हम तुम्हारे इल्युजरी प्लान के दुश्मन हैं जिससे समाज की हानि होती है। हम उस चीज के दुश्मन हैं जिसके परिणामस्वरूप गरीब अधिकाधिक गरीब हो गया है और धनी अधिकाधिक धनी हो गया है। मेरा चार्ज तो इस सरकार के ऊपर यह है कि इसके प्लान कैपिटलिस्ट ओरियेंटेड हैं, कामन मैन ओरियेंटेटेड नहीं हैं, यह बात भले ही उसकी करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका विरोध करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अभी जो भाषण सुन रहा था भूतपूर्व नेता विरोधी दल का भाषण तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वह जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बोले थे उनके भाषण से वह खीझे हुए थे और उस खीझ में आकर उसका जवाब वह उनकी भाषा में न देकर समाजवाद की ऐसी परिभाषा में पड़ गये जो समाजवाद की परिभाषा मेरी तो समझ

में आयी नहीं। मैंने तो देखा कि समाजवाद के नाम को वह घसीटकर अपने जिले की दलबन्दी और अपनी व्यक्तिगत राजनीति की तरफ ले गये। मैं समझता हूं कि समाजवाद की जिस तरह की परिभाषा और जिन उपमाओं के साथ उन्होंने की है वह समाजवाद की परिभाषा से तो मेल खाती नहीं। अगर उन्होंने देखने की कोशिश की होगी तो इन दस बारह पन्द्रह सालों के अन्दर जो कार्य हुए हैं और जो पंचवर्षीय योजनायें चलायी गई हैं उन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा समाजवाद की तरफ जाने के लिए एक-एक कदम बढ़ने की कोशिश की गई है। और जनतंत्र प्रणाली में जहां वैधानिक ढंग से समाज को बदलना हो, तमाम आर्थिक ढांचे को बदलना हो, तरीकों को बदलना हो, सारी चीजों को बदलना हो और वह सब वैधानिक ढंग से करना हो वहां पर यह आवश्यक है कि हम धीरे-धीरे शान्ति के साथ प्रगति करें।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुरलीधर कुरील--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि वैधानिक तरीके से समाजवाद लाने के लिये पंचवर्षीय योजनायें बनाई गईं और अगर देखा जाय तो शनैः शनैः प्रत्येक दिशा में हमने तरक्की की है चाहे वह औद्योगिक रही हो, चाहे वह कृषि की रही हो, चाहे सामाजिक रही हो और चाहे आर्थिक रही हो। अब यह प्रश्न जरूरी है कि जितनी प्रगति होनी चाहिये थी उतनी हो पाई या नहीं। उसके लिये यह कहा भी नहीं गया है कि हमने पूरी प्रगति कर ली है और आगे आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी मैंने देखा कि जिन बातों का समाजवाद से कोई मेल नहीं था उन बातों को यहां पर कहा गया। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जौनपुर में मंत्री जी के लड़के जिला परिषद् के सेक्रेटरी हैं और वह उनके बताये रास्ते पर चलते हैं। मैं समझता हूं इस बात का समाजवाद से क्या सम्बन्ध था। क्या समाजवाद के अन्दर इस तरह की व्यवस्था हो जायगी कि किसी अधिकारी का कोई लड़का या रिश्तेदार कोई रोजगार नहीं कर सकेगा और कोई धन्धा नहीं कर सकेगा? क्या उस समय सब अपने हाथ पर हाथ रख कर बैठ जायंगे? अगर ऐसा समाजवाद माना जायगा तो मैं समझता हूं कि उत्पादन में बहुत रुकावट पैदा होगी और उससे समाजवाद के आने में बड़ी कठिनाई पैदा हो जायगी और हम और अधिक पीछे हट जायेंगे। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को कर्मशील होना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। देखना यह चाहिये कि आदमी ईमानदार है या नहीं। अगर आदमी ईमानदार नहीं है तो शिकायत की जा सकती है लेकिन अगर ईमानदार है तो फिर शिकायत करने की बात नहीं उठती है। जो बात उनके सम्बन्ध में कही गई उनमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिससे यह मालूम होता कि उनकी कार्यशैली गलत है या वह बेईमान हैं। इस तरह से ईमान्दारी के साथ काम करने की हर आदमी से उम्मीद की जाती है और अगर वह इस तरह से काम करता है तो उसकी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार से यह भी कहा गया कि परिवहन मंत्री के कोई रिश्तेदार हैं जो उनके नाम पर मोटर का परमिट लिये हुये हैं। मैं यह समझता हूं कि इस बात का भी क्या पता है कि जब वह मंत्री हुये थे तो उस समय वह परमिट दिया गया था या उनके मंत्री होने से पहले ही उनको मिला था। अगर उसके पास पहले से था तो क्या वह वैधानिक तरीके से रुकावट है कि अगर कोई व्यक्ति कोई धन्धा करता हो और उसका रिश्तेदार कोई मंत्री हो जाता है तो उसके हाथ से वह धन्धा चला जायगा। जब वह पहले से करते चले आ रहे हैं तो उनके लिये शिकायत की बात मेरी समझ में नहीं आती जो समाजवाद के साथ जोड़ी गई।

एक तरफ तो यह कहा गया कि जौनपुर में जो चकबन्दी के कर्मचारी हैं वे बड़े ईमानदार हैं, और अच्छा काम करते हैं उनके प्रति उनको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि रूस में इतने लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मैं समझता हूं कि यह उदाहरण मौके के लिये है जो इसलिये दिया जाता है कि वह कर्मचारी उनके पक्ष के हैं। अगर वे उनके कहने के अनुसार कार्यवाही नहीं करते तो उनको यह बात कहने का कोई अवसर नहीं रहता।

[श्री मुरलीधर कुरील]

ऐसा लगता है कि जौनपुर में मंत्री जी की ज्यादा चलती नहीं, बल्कि उन्हीं की चलती है और मंत्री जी कुछ आगे भी न हों इसलिये पहले ही से हल्ला किया जा रहा है।

जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय नेता की बात है, कम से कम उन्होंने यह तो मान लिया है कि कांग्रेस और सरकार जिस रास्ते पर जा रही है वह समाजवाद का है। इस बात को सिद्धान्ततः उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर अन्तर है तो इस बात में कि वह किस रास्ते से समाजवाद लाना चाहते हैं और हम किसी और रास्ते से समाजवाद लाना चाहते हैं। लेकिन इस बात का कोई स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया कि कौन सा रास्ता होना चाहिये समाजवाद के लाने के लिये। इससे पता चलता है कि वह सिद्धान्ततः हमारी कार्यशैली को भी सही मानते हैं लेकिन दबी जबान से। साथ ही उन्होंने प्रगति के आंकड़े और आय के आंकड़े दिये लेकिन उनका मुकाबिला किसी अन्य प्रान्त के आंकड़ों से नहीं किया, किया देश की प्रगति और आय के आंकड़ों से। अन्य प्रान्तों के आंकड़ों से मुकाबला करने पर पता चलता कि हम कितना बढ़े हैं, लेकिन कुछ न कुछ बढ़े हैं ही, इस बात से उन्हें खुशी होनी चाहिये।

इसके साथ ही मुझे एक बात और कहनी है। कानपुर में काफी दस्तकारी की संस्थायें और कालेज हैं लेकिन जिस प्रकार वहां की जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए वहां एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह इस बात पर विचार करे। विश्वविद्यालय आयोग ने इस सिद्धान्त को मान लिया है कि कानपुर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिये। राज्यपाल महोदय ने मेरठ में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की बात कही है। अगर उसी के साथ कानपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात शामिल करली जाती तो अच्छा होता। और इससे कानपुर का बड़ा उपकार होता। वहां के कालेज आगरा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और उसके कारण आगरा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इसके कारण वहां के व्यवस्थापकों को भी कठिनाई होती है और शिक्षा का स्तर भी गिर जाता है। अगर उस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाय और कानपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाय तो वह स्तर उठ सकता है। इससे कानपुर का भी हित होगा। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अब भी संकटकाल बढ़ाये जाने की नीति जब हमारी सरकार की है तब माननीय राज्यपाल के संभाषण में हमें यह चीज मिलनी चाहिए थी कि इस संकटकाल का सदुपयोग देश की समृद्धि में और चीनी आक्रमण का सही मुकाबला करने की तैयारी में कितना किया गया है? लेकिन इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हमारे समाजवादी कहलाने वाले राज्यपाल महोदय की यह सरकार जो माननीया सुचेता कृपालानी के नेतृत्व में कुछ दिनों से चल रही है हमारी इस आशा की पूर्ति नहीं कर सकी। आप देखें कि राष्ट्र का विकास व सुदृढ़ीकरण किन आधारों पर होता है। किसान, मजदूर उसको दृढ़ करने वाले हैं जो कृषि, उद्योग और उत्पादन को बढ़ाने वाले हैं। फौज में लड़ने वाले जवान जो पहाड़ की ठंडक में भी सीमाओं पर लड़ते हैं वह कहां से आते हैं? तीनों दिशाओं में किसान, मजदूर वर्ग ही सेना, सामग्री और जवान देता है।

कृषि के विषय में देखें कि खुद आप की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट क्या कहती है। पृष्ठ ६ पर लिखा है "राज्य में कृषि वस्तुओं का प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन नाम-मात्र को ही बढ़ा है जब कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन घटा है।"

राजस्व मंत्री जी, मैंने आपके जिले के गजेटियर को गौर से पढ़ा जो कि १९२१ का है। गजेटियर के लेखक अंग्रेज ने लिखा है कि बहराइच जिले की आबादी में आप की कौम की आबादी

से पांच गुना अहीर किसान जाति की संख्या है और साढ़े चार गुना हमारी कुर्मी जाति की है जिनका कि यहां पर कोई भी मिनिस्टर नहीं है। उक्त गजेटियर के ३६वें पृष्ठ पर पढ़िये, लिखा है :—

"Cultivation of this district is not of an advance type. The holdings vary according to the caste of the tenants....Rajputs have on an average as much as 12 acres a piece, Kurmis and Muslims 9 acres, Brahmins 8 acres. The most promising feature is the large are a held by Kurmis amount to 1!6th of the whole tenant area; although they are the most industrious, efficient and prosperous of the whole cultivatory body.....

"The main point of weakness on the other hand is the large area, about 15th of the whole in the hands of Brahmins and Rajputs in very large holdings. Tenants of these castes are usually inferior cultivtors and work their lands mainly through hard labour, especially in the case of ploughing, so that their fields are generally sloven and exhibit the results of inattention and sackness."

यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि "चोर की दाढ़ी में तिनका" राजस्व मंत्री के जिले में ही कृषि-उत्पादन की यह दशा है जो हाथ धरती के पेट को चीर कर अन्न पैदा करते हैं जमीन उनके हाथ में नहीं रखी गयी है। बनारस और सारे यू० पी० में यही हालत है। पश्चिम में कृषक जाति जाट हैं। एक जाट मंत्री है, वह किसान नेता है, लेकिन उसका विभाग जो कृषि का है उसको बहुत ही कम धन-बल दिया गया है, उसको नेगलेक्ट किया गया है। उन जातियों को जिनके बाप-दादाओं ने मय औरतों के खेती की है उनसे आपने जमीन छीनी और जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट कहती है कि उनसे लगान भी ज्यादा लिया है और आज भी लेते जा रहे हैं। जमीन को रबड़ की तरह बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिये अगर कृषि की पैदावार को बढ़ाना है तो आप जमीन उन लोगों को दीजिये जो मेहनतकश लोग हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कृषि की पैदावार में किसी प्रकार की उन्नति आप नहीं कर सकते। आप तो विदेशी हैं, आप तो किसानों को लूटने के लिये ही सरकार में पीठासीन हैं।

श्रीमन्, हिन्दुस्तान में आज ५० फीसदी से ज्यादा लोग पिछड़े हुये वर्ग के हैं। आज जो २० फी सदी सत्तारूढ़ जातियों के लोग हैं वे ही शोषक हैं और उन्हीं के प्रतिनिधि सरकार चला रहे हैं। जब तक ऐसे लोगों के हाथों में प्रशासन होगा, तब तक देश की कैसे उन्नति होगी और कैसे कृषि कार्य दक्ष इन पिछड़े हुये लोगों के साथ न्याय होगा? यह देश का दुर्भाग्य है, चाहे डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब कम्युनिस्ट होकर बोलें, चाहे कोई और बोले, उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, उससे किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री हुकुमसिंह जी यहां हैं, माननीय हरगोविन्दसिंह जी तथा माननीय पंडित बंशीधर पांडेय जी भी देख लें, वे अपने बनारस जिले के गजेटियर को पढ़ लें : उसमें भी लिखा है—"Purely agricultural castes, Kurmis, Koeris and Ahirs have but small possessioos." आज पिछड़े वर्ग की जो दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। आज उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। आज तो जो सब से ज्यादा चिल्लाता है वही देशभक्त कहा जाता है। आप जरा देशभक्ति की परिभाषा तो जबान पर लाइये। उन लोगों की तरफ आप ध्यान दीजिये। उ० प्र० में उक्त २० प्रतिशत वाली सत्तारूढ़ जातियों के गजेटेड अफसर सन् १९४६ से १२०० से बढ़ कर ८५०० हो गए, जबकि इसी अवधि में पिछड़ी जातियों के केवल २५ से बढ़ कर ३७ ही हो पाये जो कि इनकी आबादी कुल आबादी का ५० भाग है।

आज पार्टी की बागडोर भी उन लोगों के हाथों में है जिनके पास पैसा है। आपने जिला परिषदों और ब्लाकों के चुनाव में जो इन्डाइरेक्ट चुनाव की पद्धति को अपनाया है उससे किसान मजदूरों का एक भी प्रतिनिधि नहीं आ पाया है। मैं आप से अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि आप बतायें, ५४ जिलों में कितने ब्लाक प्रमुख अछूतों के हैं? आपने ऐसा कायदा बना दिया है कि लुटेरे ही इस हुकमत में बैठ सकें। यहां की सरकार की बागडोर आज १८ फीसदी लुटेरों

[श्री दीपनारायणसिंह]

के हाथों में है, उनकी परिभाषा आपने बदल दी है। संविधान में अनुच्छेद ३४० में भी सोशियली एन्ड एजूकेशनली बैकवर्ड शब्दों का प्रयोग किया गया है। सोशियली और एकोनामिकली शब्दों का प्रयोग नहीं है। इसलिये आपने तो आज बैकवर्ड की परिभाषा को ही बदल दिया है। पारसाल तक लोगों को वजीफे नहीं मिल सके। वजीफा किनको मिलता है? जो झूठे तरीके से २०-२५ रुपये आमदनी दिखा देते हैं, जिनको झूठा सर्टिफिकेट मिल जाता है वे वजीफा पा जाते हैं। जो सहीतौर पर बैकवर्ड हैं, जिनको मिलना चाहिये उनको नहीं मिल पाता, फर्जी लोगों को मिल जाता है।

अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप दंड उठावें। अंग्रेज हिन्दुस्तान से गया क्योंकि वह लुटेरों का साथी था। किसानों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई चूंकि वे चाहते थे कि वे ऊंची जगह पहुंचें। भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। अब आप किसानों के हाथ में जमीन दे, विभाग दे, सत्ता दे, मजदूर के हाथ में दे। हर जाती का प्रतिभाशाली आदमी आगे आना चाहिये, ऊपर उठना चाहिये। आपके राज्य में, नौकरशाही में जो ईमानदार हैं वे नीचे पड़े हैं और जो बेईमान हैं वे ऊंचे उठ रहे हैं। अब आपने विजीलैंस कमेटी की आवश्यकता महसूस की चूंकि आपका शासन बहुत बेईमान है। अगर एक एम० एल० ए० या मिनिस्टर कलेक्टर से एक नाजायज काम कराता है तो ४ नाजायज काम वह अपनी तरफ से करता है। हमारे जिले में अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिये, जिस सीताराम के खिलाफ ३ सितम्बर, सन् १९६३ का अविश्वास का वोट पास हो गया था नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में उस से वोट १० दिसम्बर, १९६३ ई० को दिलवाया है। बोलिये, यह सही है या नहीं? आप कायदे कानून को तोड़ कर जिन्दा रहना चाहते हैं। आप त्रिशंकू बन कर रह जावेंगे। पंडित जी की बीमारी की हालत में लोग तरह-तरह के अनुमान लगाने लगे हैं कि वही स्थिति हो आई है जिसमें हिटलर आया था। लोग खुल्लम-खुल्ला कहते हैं कचहरियों में, पढ़े लिखे आदमी कहते हैं, कि डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है। अब फलां राज्य होना चाहिये। आपकी टोपियां देखने में सफेद अवश्य हैं, लेकिन जब आपने उसे गन्दा कर दिया तो मैंने दूसरे रंग की टोपी पहननी शुरू कर दी। जब अध्यक्ष ने कहा कि उसे उतारो, तो मैंने वह भी किया। मेरी आत्मा कहती है कि ईमानदारी के साथ आप सोचें। मदरास का सी० आई० डी० अफसर आप यहां रखें और यहां का बम्बई में रखें। अपनी पार्टी के हित के लिये भी आप भ्रष्टाचार नहीं फैला सकते हैं। एक गन्दगी दूसरी गन्दगी को पैदा करती है। जहां गन्दगी होगी वहीं हैजा और तरह-तरह की बीमारियां को जन्म मिलेगा और वे पनपेंगी। इसलिये अभी भी इस सरकार के संभल ने का समय है, सरकार भ्रष्टाचार को निकाले।

मेरा जिला फतेहपुर उद्योग, ऐग्रीकल्चर और यातायात की दृष्टि से सबमें पिछड़ा हुआ है। आपने पूर्वी जिलों के लिये कमीशन बैठाया। लेकिन फतेहपुर के लिये आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। उनके वोट खरीद कर आप अपनी पार्टी की मदद करना चाहते हैं, उसे मजबूत बनाना चाहते हैं। यह नहीं होना चाहिये। आप पिछड़ी जातियों को, पिछड़े जिलों को, ऊपर उठाइये, तभी देश और प्रदेश ऊपर उठेंगे। मैंने एम० ए० तक वजीफ़ा पाया है। मैं अपने पिछड़ेपन के लिये नहीं मर रहा हूं। मैं पिछड़ी जातियों को पिछड़े नहीं रहने देना चाहता हूं। मैं उनके पिछड़ेपन को दूर करने की स्कीम बता रहा हूं। इससे हिन्दुस्तान ऊपर उठेगा आप पिछड़ी जाति के अच्छे लोगों को इनाम दीजिये, उन्हें प्रोत्साहित कीजिये। माननीय राज्यपाल ने इस दिशा में कुछ भी नहीं कहा। चूंकि पोलखाता है। देखिये, अगर दुश्मन मजबूत है तो आप उस से तगड़ा बनने की कोशिश कीजिये। जंजीर की कोई भी कड़ी कमजोर नहीं रहनी चाहिये, वरना सारी जंजीर कमजोर रह जायगी और दुश्मन हावी हो जायगा। आप अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश कीजिये। अगर डींग हांकोगे कि हम शेर हैं, तो कागज का शेर नहीं जीतता है। असली शेर बनिये। इस समय भ्रष्ट नौकरशाही, भ्रष्ट नेतागीरी और भ्रष्ट पूंजीशाही का गुट बना हुआ है जो देश को आगे नहीं बढ़ने देता है। आप इन से छुटकारा पाइये।

इंगलैंड ने क्वीन एलिजाबेथ और क्वीन विक्टोरिया के जमाने में कितनी तरक्की की आपके यहां सुचेता जी हैं जो किसी जाति विशेष की नहीं हैं। उनके नेतृत्व में आप अलग-अलग क्यों हैं ? आप महिला के नेतृत्व में भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे इंगलैंड बढ़ा। लेकिन उन बेचारी को हरगोविन्द सिंह जी एक तरफ ढकेल रहे हैं और बनारसीदास जी दूसरी ओर ढकेल रहे हैं। वह बेचारी नाच रही हैं नागनाथ और सांपनाथ के बीच में। ईमानदार आदमियों के लिये आपके यहां कोई गुंजाइश नहीं है। फूलसिंह जी एलीमिनेट हो गये। मुख्य मंत्राणी ने आश्वासन दिया कि फतेहपुर में बिशुनदेई पर जो बलात्कार, अत्याचार हुआ उसके लिये दोषी पुलिस वालों को सजा मिलेगी, लेकिन हरगोविन्दसिंह ने पुलिस वालों को कुछ दण्ड नहीं दिया। इस तरह हरगोविन्दसिंह का डंडा ऊपर है, मुख्य मंत्री जी का नीचे है।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के लिये आभार प्रकट करने का जो प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

आये साल महामहिम राज्यपाल सत्र के आरम्भ में अपना अभिभाषण देते हैं। यह केवल कोई रस्मी चीज नहीं है, या प्रथा को पूरा करने के लिये नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य है। मेरा ऐसा विचार है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने जो पिछले वर्ष में कार्य किये, जो आर्थिक और सामाजिक तरक्की की, सुरक्षा के सम्बन्ध में जो कार्य किये, और उसने जो अपना उद्देश्य रखा है, उसे कैसे पूरा करेगी, उसका एक दिग्दर्शन होना, चित्र होना, उचित है। साथ ही भविष्य में सरकार कैसे अपने वायदों को और लक्ष्यों को पूरा करेगी और क्या कार्यक्रम होगा, उसका भी दिग्दर्शन होना जरूरी होता है। मैं इन्हीं दो बातों को सामने रखकर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को इस कसौटी पर कस कर देखना चाहता हूं।

संसार को मालूम है, तमाम भारतवर्ष को मालूम है, कि भुवनेश्वर में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद साफतौर से जाहिर किया है। हमने ऐलान किया कि यह हमारा क्रीड है, यह हमारा धर्म है, हम इस पर पहुंचने के लिये हिन्दुस्तान को इस ओर ले जाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को हमारी सरकार कैसे पूरा करने जा रही है, इस पर महामहिम राज्यपाल ने चुप्पी साधी है, इसका मुझे थोड़ा दुख है। मैं चाहता था कि उनके अभिभाषण में यह भी संकेत होना चाहिये था कि हमारी सरकार इसके बारे में भविष्य में क्या साधन जुटाने जा रही है समाजवाद क्या है ? शोषण को मिटाना, उत्पादन के साधनों को जनता के हाथों में देना, बेकारी को दूर करना और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के मुताबिक काम देना और उसके जीवन निर्वाह के साधन जुटाना है। इस ओर कोई भी बात अभिभाषण में नहीं कही गई, इसके लिये मुझे दुख है।

दूसरी ओर हमारी योजनायें चल रही हैं जो समाजवाद का एक आधार हैं। जिस किसी भी मुल्क ने समाजवाद को कायम किया है सबने प्लानिंग का सहारा लिया है। हमने प्लानिंग का सहारा आज से १३ वर्ष पूर्व लिया था।

दो पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के तृतीय चरण से गुजर रहे हैं। तृतीय चरण भी समाप्त होने वाला है। इन १३ वर्षों में प्रदेश ने क्या प्रगति की है इस ओर भी महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में अच्छी प्रकार से संकेत नहीं किया अभी हमारे भाई जेड० ए० अहमद ने बताया कि किस प्रकार से भारत में उद्योगों की उन्नति हुई है, जब कि वहां पर ४८ प्रतिशत की उन्नति और हमारे प्रदेश में केवल ४ प्रतिशत ही हुई है। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। उसके बारे में भी सदन के सामने में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। उसके द्वारा बतलाऊंगा कि हम केरल और उड़ीसा को छोड़ कर और तमाम सूबों से पिछड़े हुये हैं। आप देखेंगे उस से हमारी आय २०.६ है तो भारत की ४१.६ है। फूड ग्रेन्स की हालत यह है कि भारत में ५२ प्रतिशत है तो हमारे यहां २२ प्रतिशत हैं। शुगर जिसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

बारे में महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में संकेत किया है, उसकी हालत यह है कि आल इंडिया में ५२ प्रतिशत तो हमारे यहां ३४ प्रतिशत है। इसी प्रकार से इर्रीगेशन में भारत में ३५ प्रतिशत है तो हमारे यहां ६.६ प्रतिशत है। डेवलपमेंट के मामले में भी हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। शिक्षा में भी आल इंडिया में उसका प्रतिशत ६० है तो यू० पी० में ४३ है। आल इंडिया में अस्पताल १० लाख आदमियों पर २९ हैं तो हमारे यहां २० हैं। अस्पतालों में बेड्स भारत में ३६४ हैं हमारे यहां २९४ हैं। डाक्टरों को देखें तो आल इंडिया में ४,३४८ पर एक डाक्टर है तो हमारे यहां ९,३०० पीछे एक डाक्टर है। भारत में कृषि के ऊपर ५९ प्रतिशत आदमी गुजर करते हैं तो हमारे यहां ७४ आदमी प्रतिशत गुजर करते हैं इस प्रकार से हम हर क्षेत्र में पिछड़े हुये हैं। अतः इस तृतीय योजना में चाहिये तो यह था कि हमारे यहां जो कमी थी उसको पूरा करते और आगे बढ़ने की कोशिश करते लेकिन हमने उस कमी को भी पूरा नहीं किया है। इस ओर सरकार क्या प्रयत्न करने जा रही है, राज्यपाल महोदय ने उस ओर भी कोई संकेत नहीं किया कि किस प्रकार से आगे प्लानिंग को ले जाना चाहते हैं।

अहमद साहब ने यह भी कहा कि इस ब्यूरोक्रेसी के द्वारा इन योजनाओं को सफल नहीं बनाया जा सकता। सरकार की ओर से जो इस तृतीय योजना की पुस्तिका निकली है, उसमें यह दिया हुआ है कि:

"उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक संगठन और प्रणालियों में सरकारी विकास प्रयत्नों के साथ-साथ उन्नति नहीं हुई है। आर्थिक विकास के लिये जो उत्साह दिखाई पड़ता है उसका शतांश भी प्रशासनिक सुधार की दिशा में नहीं है। प्रजातांत्रिक नियोजन और विकास द्वारा समाजवादी समाज के निर्माण का कार्य एक औपनिवेशिक राज्य के शासन के तरीकों से सर्वथा भिन्न है, लेकिन यहां अभी तक थोड़ी-बहुत काट-छांट या कमी-बेशी के अतिरिक्त इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है कि विदेशी विरासत में मिले केन्द्रीय सत्ताचालित और केवल लगान वसूल करने वाले तथा आतंकवादी शासन के तरीके हमारी नई जरूरतों को नहीं पूरा कर सकते। प्रशासनिक सुधार की ओर यदि फौरन ध्यान न दिया गया तो परिणाम में निराशा और अपव्यय ही हाथ लगेगा।

प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि का है और तालिका २ और ४ में कृषि की जो शोचनीय स्थिति दिखाई पड़ती है उसका कारण न केवल पूंजी की कमी, बल्कि प्रशासनिक अक्षमता भी है। पूंजी की कमी हो तो भी अच्छे संगठन और सुदृढ़ संगठन बहुत कुछ कर सकते हैं। योजनाओं की सफलता बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि मौजूदा संगठनों को कहां तक कुशल और सूक्ष्म बनाया जा सकता है जिस से कि प्रत्येक स्तर पर वे नियोजन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।"

पिछली योजनाओं के दिग्दर्शन करने से यह पता चलता है कि मौजूदा नौकरशाही ढांचे से सरकार कतई इस बड़े काम को पूरा करने में सफल नहीं हो सकती। अगर हम उसी ढांचे को लेकर चलेंगे तो सफलता मिलना असंभव है। इसलिये महामहिम राज्यपाल से हम आशा करते थे कि वे अपने अभिभाषण में इस ओर कुछ संकेत करेंगे कि हमारी सरकार उस ढांचे को बदलने के लिये क्या-क्या प्रयत्न सोच रही है और इस ढांचे के बदलने में दूसरा कौनसा ढांचा लाना चाहती है।

अभी इस सदन में हमारे कई मित्रों ने करप्शन की बात कही। मैं इस बात को मानता हूं कि भ्रष्टाचार केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि तमाम प्रदेशों में है और उसकी वजह से हमारे बहुत से कार्य असफल होते हैं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि विजिलेंस कमीशन बैठाने से क्या कोई दूसरी कमेटी बैठाने से वह दूर होने वाला नहीं है। यह तो उसी वक्त दूर होगा जब कि आर्थिक व ऐडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को बदल कर उसका कोई दूसरा रूप बेंगे, वरना आदमियों की तबदिली से कोई भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं

है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसके लिये हमें शीघ्र से शीघ्र कोई कदम उठाना चाहिये जिस से समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति हो सके। अगर हमने जनता के कष्टों की ओर ध्यान नहीं दिया तो सम्भव है कि आज जो काम हम शान्ति-पूर्वक कर सकते हैं उसे न करने पर आगे आने वाली जनता दूसरी क्रांति का रूप दे दे। क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है और वह कष्ट को सहन करते-करते बहुत दब चुकी है, इसलिये मैं आज आपको चेतावनी देता हूं कि अगर आज हम लोग नहीं संभले और हमाने उस ओर सही कदम नहीं उठाया तो हमें उस क्रांति का भी सामना करना होगा। उसका क्या नतीजा निकलेगा इसको तो भविष्य ही बतलायेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि हमें शीघ्र से शीघ्र समाजवादी लक्ष्य को स्पष्टरूप में जनता के सामने रखना है और इसके लिये हम सब को प्रयत्न करना चाहिये जिस से उस लक्ष्य की पूर्ति हो सके। इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री कैलाश (देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे भी बोलने का समय दिया। मैंने महामहिम राज्यपाल के भाषण को पढ़ा और देखा, उसमें गरीबी मिटाने का कहीं भी कोई चित्रण नहीं है। उस अभिभाषण के बीच में एक जगह एक चिट जोड़ी गयी है जिसमें पाला से फसल आदि खराब होने की बात कही गयी है, लेकिन प्रान्तभर में आलू, मिर्चा आदि सब्जियों की रबी फसल की जिसका आज एक प्रमुख स्थान है, उसके बारे में इसमें कोई भी स्पष्ट जिक्र नहीं है।

उसके बाद किसानों की बात कही गयी है। जिन किसानों के बेटे इस जाड़े के मौसम में भी देश की उत्तरी सीमा पर दुश्मन से लड़ने के लिये खड़े हुये हैं, आप देखें कि आज उनके माता-पिता की क्या हालत। आपको मालूम होना चाहिये कि आज इस जाड़े के मौसम में भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। आप देखें कि सन् ५६ से जब से उनके घरबार बर्बाद हुये हैं तब से आज तक इस जाड़े में भी उनके माता-पिता पेड़ों के नीचे ही रहते हैं। इस समय नेगीजी चाहें अपना पीठ खुद विधान सभा में ठोक लें और यह कहें कि प्रान्त भर देने के लिये ६० हजार टन माहवारी आटा है और लाखों मन गेहूं व करोड़ों मन चावल और कहीं भी गड़बड़ी नहीं होने पायेगी, लेकिन मैं आपके द्वारा सरकार से कह देना चाहता हूं कि ये सारी चीजें ब्लैक मार्केट में जायेंगी। इन सब चीजों में ब्लैक मार्केटिंग होती है, जरूरतमंदों को यह चीजें नहीं मिलेंगी, इसको मंत्री लोग जानते हुये भी अनभिज्ञ हैं, जब कि वे कहते हैं कि कामराज योजना के अन्तर्गत इसे खतम होना है और नन्दा जी भी प्रण कर चुके हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। किन्तु आज उनकी क्या हालत है? मैं कहूंगा कि केवल एक दूकानदार को जिसको कि लाइसेंस की जरूरत होती है अगर उसको बहुत कम में हो जाता है तो ५०० रुपये रिश्वत देना होता है वर्ना एक हजार तक यह रक्म ली जाती है और उसमें सप्लाई आफिसर, दफ्तर के बाबू, गोदाम के बाबू और इंस्पेक्टर, तहसीलदार वगैरह सब शामिल रहते हैं। इसके अलावा ३ रुपये से ५ रुपये तक फी बोरा लिया जाता है, हमारे यहां भाटपार गोदाम पर इंस्पेक्टर हैं जो बहुत अच्छे आदमी हैं वह भी चावल पर फी बोरे २ रुपया और गेहूं के फी बोरे पर १ रुपया लेते हैं। हमारे पास दूकानदारों की दरख्वास्तें रखी हैं, हम कहते हैं तो वह कहते हैं कि हम क्या करें हम से ऊपर के अफसर लेते हैं और ऊपर से रेट बंधा है, जितना ऊपर चढ़ेगा उतना ही हम लेते हैं। हमारा जिला बिहार के बार्डर पर है और वहां यह चीज चल रही है कि घूस दे दो और चाहें जहां माल ले जाओ, हमें हमारी बंधी दस्तूरी दे दो फिर कहीं भी ले जाओ। लेकिन जब हम ६ किलो गुड़ ले कर चलते हैं तो नेगी साहब की सारी फौज सीमा पर खड़ी रहती है लेकिन हमारे यहां से नेपाल हो कर जो चावल चीन को जाता है तो उसको रोकने के लिये न इनकी फौज जाती है न कोई सिपाही और जब हम ६ किलो गुड़ ले जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार करके दिन भर बन्दर की तरह घुमाये जाते हैं। हमारे देवरिया के बांकेलाल जी एम०एल०ए० हैं उनको मीलों तक बिस्तर सिर पर रख कर चलना पड़ा, उनको गिरफ्तार

[श्री कैलाश

किया गया और कई दिन तक सी० क्लास में रखा गया। जब हमने दफा ५२ में सवाल दिया तो कह दिया गया कि इसको आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में ले आयें।

एक और हमारे बुजुर्ग नेता हैं उनके बारे में भी मैं क्या बयान करूं। सरे आम रिश्वत लेते हैं २० आने लिये बिना कचेहरी में बात ही नहीं होती, ५० रुपया पर फैसला होता है। चोरी करिये, डकैती करिये कुछ भी करिये ५० रुपये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दीजिये और फैसला ठीक से लिखवा लीजिये। उनको एक-एक स्थान पर तीन-तीन साल हो गये, लेकिन उनका ट्रांसफर होता भी है तो मंत्री जी का वायरलेस पहुंच जाता है और तबादला रुक जाता है। यह हालत भ्रष्टाचार की है और ऊपर से कामराज योजना की धूममची है। सरेआम सफाई से रिश्वत ली जाती है क्या यही समाजवाद है।

इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये मंत्री जी को और इस सरकार को उपाय करना चाहिये। विकास के बारे में मैं क्या कहूं कि किस तरह से जीपों का इस्तेमाल होता है, बी० डी० ओ० कहते हैं कि हम क्या करें, मंत्री जी का दौरा लगातार रहता है, मंत्री जी जाते हैं तो एस० डी० ओ० व कलक्टर जरूर मोटर ले कर जाते हैं, बी० डी० ओ० जीप देते हैं और उस से ही काम होता है। अभी हमारे गोरखपुर जिले के परतावल के बी० डी० ओ० ने मंत्री जी जब वहां गये थे तब जीप में बिठा कर उनको क्षेत्र का टूर कराया, उसी पर बिठाकर चुनाव में भाषण दिलाये गये। जब यह हालत है तो भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा और कौन दूर करेगा ?

आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जरा भी आप कामराज योजना की बात सोचें, समाजवाद की बात सोचें तो इन भ्रष्टाचारियों को समाप्त करना चाहिये। जो पुलिस की ज्यादती है इसको मिटाना चाहिये, इसके लिये एक कमेटी उच्च स्तर की बनायी जाय। जिन मिलों पर किसानों का पैसा बाकी है उनसे आज तक सरकार दिलवा न सकी और अगर हमारे ऊपर ५ पैसा भी बाकी रहे तो हमको पकड़ कर बन्दर की तरह घुमाया जाता है। भटनी पर कितना रुपया बाकी है उसके लिये कुछ नहीं कर रही है। माननीय गेंदासिंह कई सालों से चिल्लाते हैं कि मिल का राष्ट्रीयकरण करो तो सरकार कहती है कैसे होगा। वैसे ही करें जैसे आपने और चीजों पर कंट्रोल कर रखा है।

*श्री शौकत हमीद खां (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के ऐड्रेस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसके समर्थन के सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तकरीबन एक साल पहले इसी जमाने में राज्यपाल के ऐड्रेस पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे। डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने अपनी तकरीर शुरू करते समय कहा कि आज १९६३ में जो ऐड्रेस हुआ अगर १९६० में यही ऐड्रेस होता तो उन्हें जरा भी ताज्जुब न होता। मैं कहना चाहता हूं कि अगर डाक्टर साहब की तकरीर बजाय १९६४ के १९५८ में हुई होती तो कोई फर्क न पड़ता। हर बात एक खास मौके पर कही जाती है, वही बात बार-बार दोहरायी जाती है। हम कहेंगे कि बेहतर से बेहतर जो इन हालात में कहा जा सकता था और किया जा सकता था कहा गया लेकिन आप कहेंगे कि हमने बदतर किया और आप ज्यादा अच्छा करते। वाकया यह है कि अपोजीशन ने यह नहीं देखा कि कभी कोई हैल्दी क्रिटिसिज्म करें जिस पर सोच विचार किया जा सके। डाक्टर साहब ने कहा कि सोशलिज्म को जब हमने मान रखा है तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया। मेरे एक कांग्रेसी दोस्त ने भी कहा कि इसका जिक्र होना चाहिये था। यकीनन होना चाहिये था लेकिन अभी इतनी थोड़ी वाकफियत रही है कि यह एहसास होता है कि देश में अगर कोई चीज पौलिसी के तौर पर कही जा सके तो वह इस वक्त मुनासिब नहीं होगा क्योंकि महीने, डेढ़ महीने में पौलिसी को बदलना कोई अकलमन्दी नहीं होगी। बहरहाल जब कांग्रेस का लक्ष्य यही है कि सोशलिज्म

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहना है तो इसका जिक्र ऐड्रेस में आये या न आये, लेकिन हमारी इकोनोमी का जो रुझान होगा वह बता देगा कि किस अन्दाज की सोशलिज्म यहां लाना चाहते हैं । हम महसूस करते हैं कि यू० पी० के अन्दर यकीनन और सूबों के मुकाबले में कमी है । लेकिन इस कमी का हल क्या है ? डाक्टर साहब ने दो हल बताये पहला यह कि शुगर फैक्टरीज को नेशनलाइज कर लिया जाय । यह दाद नहीं दी कि हम खुद सोच रहे हैं कि इनको नेशनलाइज किया जाय उनका ख्याल यह है कि शुगर फैक्टरीज को नेशनलाइज कर दिया जाय । दूसरा उनका सुझाव यह है कि नौकरशाही को खत्म करने के लिये अफसरों को अपनी जगह से हटा कर नये लोग पैदा किये जायं । नये हजरात जिनमें ईमानदारी हो, उनके हाथों में नौकरशाही का ढांचा दिया जाना चाहिये । पार्टी के लोग भी अगर अफसरशाही करें तो बात तो वही हुई । नौकरशाही में बहुत-सी दिक्कतें हैं । उन लोगों को भी बदलना पड़ेगा वक्त के अनुसार, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो सोचने पड़ते हैं । अफशरसाही का मतलब यह नहीं है कि अपनी पार्टी के लोगों को अपने प्रोपेगे डे के लिये ले आयें । इसलिये अगर इस मौजूदा डेमोक्रेटिक सैट अप में वह इन्डिपैन्डेन्स खत्म हो गयी तो यकीन रखिये ऐसी सूरत हो जायगी दर असल हिन्दुस्तान में कंफ्रोस ही हो जायगा ।

इसके बाद दुबे साहब के, जो पहले विरोधीदल के नेता थे, भाषण के सम्बन्ध में अर्ज है कि उन्होंने अपनी तकरीर में एक डी० एस० पी० की शान में बहुत कुछ कहा है । उन्होंने कहा कि किस अन्दाज से रिश्वत ली जाती है । यह कहीं नहीं कहा कि किस अन्दाज से रिश्वत रोकी जा सकती है । यह सब महसूस करते हैं कि रिश्वत ली जाती है और उसी के लिये एक विजीलैन्स कमेटी बनानी पड़ी है । सिर्फ यह कहना कि वह काम सही नहीं, यह काम सही नहीं तो कौनसा काम सही है. कौन सा तर्ज सही है ? रिश्वत किस अन्दाज से ली जाती, किस किस तरीके से ली जाती है यह तो हर शख्स जानता है, लेकिन उसका इलाज क्या है ?

इन अल्फाज के साथ मैं यह महसूस करता हूं कि अगर जब हमें आज वाकई ही समाजवाद को बनाना है तो, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वह नौकरशाही और लाल फीताशाही के अन्दर न बने जिस तरह से हमारे प्रदेश में सहकारिता नौकरशाही के अनुसार बनी है । आखीर में मैं रोहतगी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे समय दिया । इसके पहले मैं कि सदन में कुछ कहूं, मैं अपनी कान्सटीटुएन्सी की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जो यह पाला पड़ा है उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है । मैं चाहता हूं कि सरकार इन गरीबों के ऊपर रहम करे । अब मेरा ख्याल है कि मैंने ऐड्रेस को बहुत गौर से अंग्रेजी में पढ़ा है । मैं माफी चाहता हूं उन भाइयों से जो इस जुबान से बहुत सख्त नफरत करते हैं और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने, जिन्होंने आजादी दिलाने में मदद दी और इस काबिल बनाया कि अब उनके ऊपर हम हावी हो सकते हैं आज हम उनको नौकर रखकर इस करप्शन को हटा सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि बजाय नौकर रखने के हम अंग्रेजी को हटाने में अपना ज्यादा समय बरबाद करते हैं चाबुक लगाइये और कहिये कि तुम्हारे सूट पर गर्द पड़ गयी है, इसे मिटाओ मैं अपने मकसद पर आ जाता हूं और दरिया को कूजे में बन्द करने की कोशिश करूंगा ।

"खून से खंजर तर कर ले अरमान रह न जाय,
गर्दन पर मेरे खंजर हो अहसान रह न जाय ।"

जिस दिन यह ऐड्रेस हुआ मुझे जरा देर हो गयी और जो सीन यहां हुआ उसे मिस कर गया । इस ऐड्रेस में लिखा है "वेलकमिंग यु टु दी टास्क (welcoming you to the task)" इन अंग्रेजी के शब्दों का तर्जुमा क्या करूं यहां पर सब माननीय सदस्य तथा सदस्यायें समझ ही सकते हैं । आगे लिखा है 'though seemingly improved still continues threatening,' ये शब्द 'थ्रेटनिंग' जो हैं उनसे मुझे भी डर लगता है । प्रापर विजिलेंस, होम गार्ड्स, पी० ए० सी०, बार्डर',

[श्री प्रेम सिंह]

डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एग्रीकल्चर, इर्रीगेशन, डेवलपमेंट आफ विलेजेज कोआपरेटिव, लेबर इन सबको मैं छोड़ देता हूं क्योंकि टाइम कम है । पुरानी आदत को छोड़ कर यह प्रार्थना मैं करूंगा कि कांग्रेस सरकार अपनी ही सरकार है । इसकी बड़ाई होती है तो हमारी बड़ाई होती है । मैं यह चाहता हूं कि सुझाव दूं जिससे हमारी और आपकी दोनों की बेहतरी हो । रोज रोज सुनता हूं कि नये सुझाव दीजिये तो लीजिये नये सुझाव । सुझाव सुन कर अव्वल तो आप कहेंगे कि पागल है । अन्तर्राष्ट्रीय सरकार का मैं स्वप्न देखा करता हूं । यह कब बनेगी ? कब पीस कायम होगी ? पावर्टी और इल्लिट्रेसी कब दूर होगी ? मैं इसके लिये मरता रहूंगा और मैं चाहूंगा कि गांधी जी के बाद मैं दूसरा गांधी बन जाऊं । इस सूट में तो नहीं बन सकता लेकिन कोशिश करूंगा । कांग्रेसी भाई कहेंगे कि इस सूट को उतार कर फेंक दो लेकिन अब इसे मैंने अपना लिया है । बजाय एक दूसरे के खिलाफ जंग करने के जैसे कि फौजें किया करती हैं मैं यह चाहूंगा कि जो गरीब जनता गांव में है उसे यह वर्दिया पहनाई जायं जो फौजों को पहनाई जाती हैं । पुलिस वाले जो रोज चौराहे पर हाथ दिखाते रहते हैं उनको पतलून देखिये ठंडी और कोट गर्म। इनको जरा अच्छी तरह ड्रेस करिये तो मैं अपने आप को आजाद समझूंगा । इसी प्रकार पी० ए० सी० के जवानों के पास काफी वस्त्रों का अभाव है । इस स्थिति में हम उनसे किस प्रकार राष्ट्र रक्षा की जिम्मेदारी के निर्वाह की आशा कर सकते हैं । बहरहाल, ज्यादा क्या कहूं, मफ्लर और हैंड ग्लव्ज भी उनके पास नहीं हैं और आप उनसे ड्यूटी लेते हैं मैं यह चाहूंगा कि हमारी तनख्वाहें उनको दे दीजिये, हम मुफ्त काम करेंगे । इसको भी छोड़िये ।

अब मैं लैंगुएज के ऊपर आता हूं । लिपि के बारे में मैं यह चाहता हूं कि लिपि एक होनी चाहिये सभी लैंगुएजेज के लिये । जैसे तीन लैंगुएज फारमूला है, इंग्लिश, हिन्दी और एक जबान जो जहां पर हो वह होनी चाहिये ।

अब आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मैं बैठ जाता हूं आपके कहने से पहले ।

श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपका मैं अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं ।

महामहिम राज्यपाल ने उत्तरी सीमा की रक्षा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो प्रयास किये गये हैं और उनका जो जिक्र किया है उनकी मैं भी प्रशंसा करता हूं कि दरअसल में सरकार ने जो कार्य किया है वह अत्यन्त सराहनीय है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो एक नया सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में खोलने का निश्चय किया है उसके लिये मैं राज्यपाल महोदय और यू० पी० की सरकार को धन्यवाद देता हूं । इस सम्बन्ध में मैं इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष बजट अधिवेशन में मैंने इस मांग को सरकार के सामने रखा था और मुझे बहुत संतोष है कि इस साल मेरी उस मांग की सरकार ने पूर्ति की ।

महामहिम राज्यपाल ने औद्योगीकरण के सिलसिले में भी काफी कहा है । जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों का सवाल है वहां औद्योगीकरण तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उस क्षेत्र के सम्बन्ध में औद्योगीकरण नीति में परिवर्तन न लायें । आज वहां कच्चा माल प्राप्त होने पर भी रूल्स में कुछ ऐसी खामियां हैं और रूल्स इतने कठोर हैं कि जिनकी वजह से जो गरीब जनता वहां पर निवास करती है उसकी स्कीम्स कारगर नहीं हो पायी हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे रूल्स औद्योगीकरण के सिलसिले में बने हुये हैं उनमें कुछ परिवर्तन लाया जाय । उत्तराखंड की प्रगति के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया उससे मैं भी बहुत प्रभावित हूं लेकिन उत्तराखंड के अलावा चार पर्वतीय जिलों के क्षेत्र हैं उसकी भी वही हालत है । अतएव चार जिलों को भी उत्तराखंड में शामिल कर लिया जाय क्योंकि जब तक पर्वतीय क्षेत्र का बेस पक्का नहीं होगा तब तक केवल सिर पक्का होने से कोई काम नहीं चलेगा ।

राज्यपाल महोदय ने वहां पर कुछ सड़कों का जिक्र किया है और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है "भरोसा किये जाने योग्य सड़कें ।" तो सड़कें तो सभी भरोसा किये जाने योग्य हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, यह तो प्रकृति के ऊपर निर्भर है । ज्यादा वर्षा हो जाय तो टूट सकती हैं और यदि वर्षा न हो तो नहीं भी टूट सकती हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि जितनी भी सड़कें पहाड़ों पर बननी हैं वे शीघ्र से शीघ्र बनाई जायं और नई सड़कें बनाई जायं तभी पहाड़ों की उन्नति हो सकती है । मान्यवर, मैं दो एक सड़कों के नाम लेना चाहता हूं कि जिनके ऊपर ८-१० साल से काम हो रहा है, लेकिन अभी सरकार के सामने कुछ ऐसे कारण बतलाये गये हैं कि वे पूरी नहीं हो पाई हैं । एक काला ढोंगी की सड़क है जो नैनीताल को दिल्ली से मिलाती है । यह ८-१० साल से बन रही है लेकिन आधी मील का टुकड़ा म्युनिसिपल बोर्ड में आ जाने के कारण नहीं बन सकी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सड़क म्युनिसिपल बोर्ड की नहीं है और यह तो एक नेशनल हाई वे है और इसको म्युनिसिपल बोर्ड में समाप्त नहीं होना है और इसको आगे बढ़ना है । इसलिये इसको शीघ्र से शीघ्र बनाया जाय । इसके अलावा दूसरी सड़क भीमताल-रानीबाग सड़क है । इस पर एक पुल और आधी मील सड़क बनानी बाकी है । उसको शीघ्र बनाया जाय ताकि यहां पर जो ऊपर को गाड़ी जाने वाली हैं, चाहे वे मिलिटरी की हों या रोडवेज की हों, उनके लिये आल्टरनेटिव रूट मिल सके । पिछली दफा जब नैनीताल मोटर मार्ग टूट गया था तो दस दिन तक यह मार्ग बंद हो गया था ।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के संबंध में भी काफी संकेत किया है इस प्रदेश की सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में नैनीताल के लिये एक जूनियर यूनी सिटी खोलने का निश्चय किया था, इसका वर्णन पुस्तिका में भी किया गया है। मान्यवर, वैसे तो और जगहों से भी इसकी मांग है जैसे कुरील जी ने कानपुर के लिये कहा। लेकिन हमारे यहां की एक विशेष समस्या है । मैंने पिछली साल भी निवेदन किया था कि हमारे यहां जाड़ों में स्कूल दो ढाई महीने के लिये बन्द हो जाते हैं और मार्च में जब स्कूल खुलते हैं तो फाइनल एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं जिससे लड़कों के रिजल्ट पर असर पड़ता है और इसका नुकसान लड़कों के गार्जियन्स को उठाना पड़ता है । इसलिये मेरा सजेशन है कि एक आटोनामस यूनिवर्सिटी कायम कर दी जाय और हाई स्कूल तक के एग्जामिनेशन्स को यह कंडक्ट करे ।

औद्योगीकरण के संबंध में भी राज्यपाल महोदय ने काफी जिक्र किया है । मैं मानता हूं कि इसके बिना हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती है। लेकिन इसके लिये सब से जरूरी चीज यह है कि कब तक हमारे अधिकारी दिल से इस बात को नहीं चाहेंगे, जैसे कि पंजाब वाले करते हैं, हमारे यहां औद्योगीकरण होना सम्भव नहीं है। आज हम देखते हैं कि अगर कोई किसी चीज के लिये दरख्वास्त देता है तो बजाय प्रोत्साहन देने के उसमें मीन मेख निकाली जाती हैं और आखिर में उसको खत्म कर दिया जाता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि औद्योगीकरण के लिये सरकारी अधिकारी अपनी नीति में बदलाव लायें ताकि हमारे यहां औद्योगीकरण हो सके ।

हमारे प्रदेश में चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं जिसका महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी जिक्र किया है छोटी सैलरी वालों के लिये जैसे टीचर्स हैं, चपरासी हैं, पंचायत सेक्रेटरीज हैं, बी० एल० डब्ल्यूज०, क्लर्क हैं उनके लिये साधारण जिन्दगी बसर करना मुश्किल हो गया है। इस लिये यह दरख्वास्त है कि जो पे कमीशन का सुझाव आया है उसको सरकार मंजूर करे और जब तक पे कमीशन नहीं बैठता तब तक इंटरियम पीरियड में उनकी पे में बढ़ोत्तरी की जाय या अलाउंस दिया जाय जिससे वह इस पीरियड में गुजर कर सकें ।

कुमायूं में बन्दोबस्त हो रहा है । ऐसा बन्दोबस्त कुमायूं के इतिहास में कभी नहीं हुआ जिसमें कुमायूं के सारे लोगों का बन्दोबस्त हो गया है जो जमीन बन्दोबस्त करने आये थे वह भी अपना जिन्दगी भर का बन्दोबस्त कर गये हैं । मैं दो तीन उदाहरण सामने रख दूं । मेरी जमीन आपके नाम लिख दी और आप की जमीन मेरे नाम लिख दी । अब हम दोनों लड़ते रहें। नतीजा यह हुआ कि जो पुराना रेकार्ड था वह समाप्त हो गया और जो नया रेकर्ड है वह इतना खराब है कि पैसा लेकर सारा गलत भर गये हैं । इस लिये मेरा सुझाव है कि एक ऐसी कमेटी

[श्री देवेन्द्र सिंह]

बनायी जाय जो कि इसकी जांच करे, ताकि इस तरह की जो शिकायतें जनता की आयी हुई हैं वह रफा की जा सकें । इन शब्दों के साथ फिर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज दो दिनों से माननीय राज्यपाल के भाषण पर विवाद हो रहा है और उसमें खास तौर से मंहगाई के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर सदस्यों की तरफ से विशेष जोर दिया गया है । अभी अभी दुबे जी जो बोल रहे थे जनसंघ से, उन्होंने मेरे एक पत्र का जोकि समाचारपत्र में छपा है उसमें दो एक बातों को लेकर परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहा । जब मैं दोपहर की छुट्टी में खाने के लिये गया तो मुझे सूचना मिली थी, अनेक प्रकार से मेरे पास धमकी के ऐसे समाचार आये कि परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आप जो कदम उठाये हैं वह ठीक नहीं है अभी "हिन्दुस्तान समाचार" से मुझे समाचार मिला, जिस अखबार में मेरा पत्र छपा है उसके ऊपर मुकद्दमा चलाने की नोटिस भी मिल चुकी है और यह भी समाचार मिला है कि मेरे पास भी नोटिस आ रही है । मैं स्वागत करता हूं ऐसी नोटिस का । इस देश की गरीबी मिटाने के लिये और इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिये अगर मेरी जान तक चली जाय तो कोई चिन्ता की बात नहीं है, देश के कल्याण के लिये व्यक्तिगत परवाह नहीं है । मैंने जो आंकड़े इकट्ठे किये हैं और जो तथ्य मेरे पास हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ट्रान्सपोर्ट विभाग और ट्रान्सपोर्ट मंत्री की साजिश में दो तीन वरिष्ठ अधिकारी भी हैं--आर० टी० ओ० इलाहाबाद, आर० टी० ओ० कानपुर और आर० टी० ओ० आगरा और इलाहाबाद जिला कांग्रेस के मंत्री श्री प्यारे लाल गुप्त । इन पांच का एक ऐसा जाल बना हुआ है, ऐसा गुट बना हुआ है जिनके बारे में मैं एक एक रूट की बात जानता हूं कि किस रूट पर क्या हो रहा है, किस दफ्तर में क्या हो रहा है । वह तथ्य इस थोड़े से समय में नहीं रख सकता, लेकिन तीन-चार तथ्य मैं उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं जिसके आधार पर ठंडे दिल से और जानकारी की गरज से, भ्रष्टाचार मिटाने की गरज से और माननीय नन्दा जी के संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से जिसमें कि देशवासियों का सहयोग आवश्यक है, उसको अगर पूर्ण करना है तो मैं यह कहूंगा कि अपने मंत्रिमंडल से श्री मुजफ्फर हसन को बिलकुल अलग करें । अगर यह नहीं होता तो यह कागज की नाव चलने वाली नहीं है । मैं आपको बताऊं जब से ये मंत्रिमंडल में दाखिल हुये हैं तब से इनके सम्बन्धी इनकी सास इनके भतीजे, साले इनके रिश्तेदार तमाम ट्रांन्सपोर्ट का बिजनेस करना शुरू कर दिये हैं । एक नहीं पच्चीस परमिट हैं । परमिट नम्बर, रूट नम्बर, सब याद हैं । श्रीमती हुरमजी बेगम की लड़की से इनकी दूसरी शादी होने के बाद, नयी शादी की इन्होंने जब ये डिप्टी मिनिस्टर थे, उस समय के बाद वह ट्रांन्सपोर्ट के बिजनेस में आयी हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी शादी होने के पहले इनके मिनिस्ट्री में आने के पहले ट्रान्सपोर्ट विभाग में उनका कोई बिजनेस था ? नहीं था । परमिट नम्बर ३५३ उन्होंने हासिल किया है उस रूट पर जिस रूट पर रोडवेज की बस चलती तो उसकी आमदनी १० हजार रुपये महीने होती । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच समझौता हुआ था कि सन् ५७ में जिसके आधार पर यह निश्चय हुआ था कि उस रूट पर जो दोनों स्टेट्स के भीतर पड़ता है सरकारी बसें दोनों स्टेट्स की चलेंगी । यह रूट वाराणसी से जबलपुर ३०० मील का है और बहुत अच्छा रूट है जिस पर कि एक एक बस चलती तो दस दस हजार रुपया मासिक फायदा होता । उस रूट पर मध्य प्रदेश की सरकार के साथ जो समझौता ५७, ६० और ६३ में हुआ था जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस रूट के ऊपर सरकारी बसें ही चलेंगी उस पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों की बसें चलवा दीं । हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल हुई इनके खिलाफ जिसका फैसला करते हुये जस्टिस ब्रूम ने रिमार्क किया है कि सच ए मिनिस्टर शुड हैव रिजाइन्ड आन दिस ईश्यू। दिस इज स्कैंडलस (Such a minister should have resigned. This is scandaleous.) यह बातें हो रही हैं। सरकार सो रही है । सुचेता जी सो रही हैं । मैंने पत्र लिखकर सुचेता जी को सूचित किया । नन्दा जी को पत्र लिखकर बताया कि श्री मुजफ्फर हसन २५ लाख रुपये कमा रहे हैं सालाना । उसकी

कापी भी सुचेता जी को दी। मैंने सुचेता जी को बताया कि फलां फलां दफ्तर में फलां फलां फाइल और फलां-फलां कागज गायब हो रहे हैं, उनको आप कस्टडी में लीजिये। जांच करने के पहले उन कागजों पर आपका कब्जा होना जरूरी है । कोई उत्तर नहीं । मैंने ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को लिखा कि आपकी फाइल से फलां दफ्तर से हुरमजी बेगम की अप्लीकेशन गायब हो चुकी है । उन्होंने ताज्जुब किया कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन जब मैंने बताया कि अप्लीकेशन गायब हो गई और उन्हें मालूम हुआ तो हाथ मलने लगे । इसी तरह से मैंने कई फाइलों के बारे में कहा, कई डी० ओज० के बारे में कहा । कोई सुनवाई नहीं । आज तक इतनी लिखा पढ़ी के बाद मेरे पास कोई सूचना सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं हुई । एक सूचना मिली भी आज दोपहर को तो यह कि डिफेमेशन सूट आपके ऊपर चलने वाला है। मैं आपको बतला देना चाहता हूं इसी माघ मेले में एक रूट के ऊपर १ लाख रुपया मुजफ्फर हसन ने कमाया है—वह रूट है झूंसी से लेकर दोहरीघाट आजमगढ़। इस रूट पर जब मेले में बसें चलाई गईं तो रोडवेज के अधिकारियों ने कहा कि हमारी बसें डिपो में पड़ी हैं, सड़ रही हैं, बन्द हैं, लेकिन ४६ प्राइवेट बसों के लिये परमिट दे दिया गया कमाने के लिये । और उसी रूट पर ३६ ऐसी बसें चलीं जिनका न कोई परमिट है न कोई कागज है न परमिशन है और इतना ही नहीं उस रूट के ए० टी० आई० को जो चेक करता था, किसी बहाने फर्रुखाबाद भेज दिया गया । उस रूट को बिलकुल खुला छोड़ दिया गया बिना किसी चेक करने वाले आफिसर के । पिछले साल इसी रूट पर १ लाख ५ हजार की आमदनी हुई थी । इस साल दो लाख से ऊपर आमदनी होने की आशा थी लेकिन वह घटकर १ लाख से भी कम रह गई ।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह तमाम कागजात मैंने सुचेता जी से मंगवाये, ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर से मंगवाये । एक बात और बता दूं कि जब कोई एक रूट सरकार लेती है रोडवेज के लिये तो उसका नोटिफिकेशन होता है मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६८ सी में । उस धारा के अन्दर जब रूट लेनी होती है तो सारे प्रदेश की रूट्स को नोटीफाइड कर देते हैं कि सारे रूट्स को लेंगे जिनके लिये करीब ५०० बसें सरकार को खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी जबकि मुश्किल से २०–३० बसें ही सरकार खरीद पाती है और चलाती है । तो इतनी रूट्स को नोटीफाई करने की क्या जरूरत है ? क्या उसका अर्थ है ? यही कि प्राइवेट आपरेटर्स आवें और श्री प्यारेलाल गुप्त जी सौदा करें । यह है इसमें राज की बात । मैं यह भी बतलाऊं कि जब फाइनली किसी रूट को लेना होता है तो ६८ डी में नोटिफिकेशन होता है । लेकिन आज तक ६८ डी में कोई नोटीफिकेशन हुआ ही नहीं । यह धांधली हो रही है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे तो वह व्यक्ति नहीं मिल रहा है, मैंने सोचा था कि नन्दा साहब कुछ करेंगे लेकिन अब मुझे उनसे भी कुछ उम्मीद नहीं है क्योंकि इतने दिनों तक पत्र लिखने के बावजूद भी आज तक मेरे पास कोई सूचना नहीं आयी कि उसमें क्या हो रहा है । सुचेता जी से पचास बार टेलीफोन करके कागजों को जब्त करने के लिये कहा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं है । तो अब यह विजिलेंस बाडीज बनाकर जिसमें पुलिस के पुराने अधिकारियों को रखकर चपरासियों और क्लर्कों को पकड़कर देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा । हरगोविन्दसिंह जी जाते हैं कन्डक्टरों को पकड़ते हैं, इनकी बगल में इनके मित्र मुजफ्फर हसन साहब बैठे हैं इनको नहीं पकड़ते ।

तो मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में मेरे ऊपर चाहे जो भी मुकदमें चलें चाहे सदन में चलें, चाहे बाहर चलें, इसकी चिन्ता मुझे नहीं है । मुझे चिन्ता इस बात की है कि देश की गरीबी और यह भ्रष्टाचार मिटे और जब तक नहीं मिटेगा तब तक नन्दाजी के संकल्प के बाद मेरा संकल्प है कि यदि ये लोग कार्यवाही नहीं करेंगे तो इस सम्बन्ध में मेरी जान भी जायगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा ।

श्री प्रेमसिंह—

प्वाइंट आफ आर्डर । यह जो प्यारेलाल जी का जिक्र आया है क्या यह बहुत प्यारे हैं ?

श्री उग्रसेन—

परदे में क्यों छिपे हैं मुजफ्फर हसन साहब ? आवें और जवाब दें ।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है और उस पर श्रीमती सुशीला जी ने प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो इधर और उधर दोनों तरफ के बैठने वालों की कामन होती जा रही हैं और उसमें ऐसा लगता है कि जब दोनों तरफ के बैठने वाले लोग एक बात कहने लगते हैं तो उसमें कुछ सत्यता है । माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में उन तमाम बातों का संकेत किया है जो प्रदेश के लिये बहुत ही आवश्यक हैं और उसमें जो विशेषतौर से उन्होंने समाजवाद पर एक दृष्टिपात किया है और संकेत किया है वह हमारे लिये एक नयी बात है ।

सन् १९६२-६३ का जो अभिभाषण था उसमें और महामहिम राज्यपाल के आज के अभिभाषण में महान् अन्तर दिखाई पड़ता है । यह बात सही है कि माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने जो कहा था वे सब बातें ऐसी कही हैं जिनकी बाबत जबरदस्ती हम जवाब देने लगें लेकिन बातें करीब करीब सही के बराबर हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी अभी कहा था कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कामन होती जा रही हैं । मैं सरकार के मन्त्रियों का ध्यान अपने प्रदेश की स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं । यह बात सही है कि मन्त्री पद पर बैठने के बाद हमारे मन्त्रिगण फाइलों के चक्कर में पड़कर, जो बहुत क्रान्तिकारी विचार के होते हैं, सोशल होते हैं वह भी बदल जाते हैं । जिन मन्त्रियों के दिमाग में पहले यह बात रही और पहले यह कहते थे कि मैं मन्त्री हो जाता तो सारी चीजें बदल देता, एक अच्छा रास्ता निकालता वह उस जगह पर बैठने के बाद एक अजीब हालत का आदमी हो जाता है । और उनकी बुद्धि भी उसी तरीके से काम करने लगती है जिस तरीके से पुराने मन्त्री करते आये हैं । इसका कारण क्या है इसको जब मैंने गौर से सोचा तो यह मुझे लगा कि हमारा जो पुराना ढांचा बना हुआ है नौकरशाही का उसमें बड़े-बड़े आई० ए० एस० और आई०सी०एस० लोग बैठे हुये हैं । आदमी को किस तरह से गुमराह किया जा सकता है, किस तरह से बेवकूफ बनाया जा सकता है । किस तरह से उनको रास्ते से हटाकर अपने तरीके से काम लिया जा सकता है इसमें वे बड़े माहिर होते हैं । हम लोग तो एजीटेटर थे, वर्कर थे । उसके बाद नेता हुये, मिनिस्टर हुये । उनके चंगुल में हम बड़ी आसानी से फंस जाते हैं । उनकी जो फाइल होती है उस पर वह फर्स्ट क्लास नोटिंग देकर इस तरह से चक्कर में डालते हैं । इस तरह से उसको तोड़-मरोड़ कर शकल दे देते हैं कि हमारे मन्त्री जी जब उसको पढ़ते हैं, अपनी बुद्धि लगाकर भी जब उसको पढ़ते हैं, योग्यता लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, उससे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उससे निकल नहीं पाते हैं । नतीजा यह होता है कि उनकी जो मन्शा है, जो फाइल में लिखा होता है वही कार्यान्वित होता है । मैं यह चाहता हूं कि इसमें कुछ सुधार किया जाय । अब हम अपने यहां समाजवादी व्यवस्था को कायम करने जा रहे हैं । अब हम घोर समाजवादी होने जा रहे हैं और समाजवादी ढंग को अपनाने जा रहे हैं क्योंकि हम तो सुधारवादी थे । कांग्रेस सुधारवादियों की संस्था थी । पहले हमने डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी । आज हम अपने को सोशलिस्ट घोषित करते हैं । पुराने कानूनों को हम बदलते जा रहे हैं । हमारी सरकार से सब से बड़ी गलती यह हुई कि हमारी सरकार ने सन् ३७ में, ४७ में, ५२ और ६२ में जो गलती की वह यह कि हम पुराने ढांचे से काम लेते चले आ रहे हैं । उस ढांचे में जो चीज हम डालते हैं उसी तरह से वह चीज निकल आती है । अच्छी से अच्छी स्कीम हम बनाते हैं । प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि जो हमारी परेशानी है वह दूर हो जाय, लेकिन वह पुराना ढांचा है इससे अच्छी से अच्छी चीज भी पुराने तरीके की ही निकलती है । यह सब से बड़ी कमी है जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक करप्शन का सवाल है, करप्शन के लिये चाहे जितना शोर मचाया जाय, माननीय मन्त्री चाहे अपनी खोपड़ी फोड़ डालें, हमारे मन्त्री दिन रात शोर मचायें, लेकिन यह करप्शन दूर नहीं हो सकता है। वह करप्शन तभी दूर किया जा सकता है कि जब करप्शन करने वाले जो लोग हैं उनसे करप्शन की जांच न कराई जाय। करप्शन करने वाले जो लोग हैं उन से ही आप उसकी जांच कराते हैं। उनको ही आप विजिलेन्स कमेटी में रखते हैं। करप्शन करने वाले लोग जब उसकी जांच करेंगे तो यह करप्शन दूर नहीं होगा। पुलिस के लोग थानेदार यदि करप्शन करते हैं तो उसकी जांच आप डी० आई० जी० से कराते हैं। डी०आई० जी० भी कभी थानेदार रहे होंगे। उसके बाद सरकिल इन्सपेक्टर हुये और फिर एस० पी० हुये। अब वह डी० आई० जी० हैं। वह जानते हैं कि एक थानेदार को क्या परेशानी होती है। इस वजह से वह बहुत सी बातों को नजरन्दाज करते हैं। हमने देखा है कि हमारे किसान लोग कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से लोन लेने आते हैं। वह लोन की दरख्वास्त देते हैं। उनको ६-६ महीने हो जाते हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त मन्जूर नहीं होती है। जब दरख्वास्त मन्जूर हुई तो वह लेखपाल के पास जाती है जो उनकी हैसियत की तस्दीक करता है। फिर कानूनगो के पास जाती है। उस के बाद नायब तहसीलदार के पास जाती है और फिर उसके बाद ऊंचे अफसरों के पास जाती है। आखिर में जाकर वह न के बराबर हो जाती है। उसमें से जो धन उसको मिलने वाला होता है करीब ४० फीसदी निकल जाता है। सच्चाई को छिपाना मैं समझता हूं कि सरकार के साथ और इस प्रदेश के साथ विश्वासघात करना है। सच बात यहां आनी चाहिये। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह और सख्त बनने की कोशिश करे। सुधारवादी नीति को छोड़े। जब तक आपकी नौकरशाही में आमूल परिवर्तन न होगा तब तक अगर यह उम्मीद हम करें कि करप्शन दूर होगा, हमारा नियोजन पूर्ण होगा और हम तरक्की करेंगे, यह असम्भव है। मुझे विश्वास है कि हमारे मन्त्रिगण यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की गरीबी दूर हो, अविद्या दूर हो, हमारी खेती बढ़े, हमारे किसान खुशहाल हों। वह दिल से चाहते हैं, ईमानदारी से चाहते हैं, लेकिन उसके लिये सही तरीके नहीं अपनाये जा रहे हैं। आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अंग्रेजों के साथ साथ अगर उनके एजेंट यह आई० सी० एस० चले गये होते तो सुधार हो सकता था। लेकिन केन्द्र में उनकी नकेल हैं। यहां के ऐसे अफसर हैं कि जिनके पास मिनिस्टरों की फाइलें चार-चार महीने पड़ी रहती हैं, और वे मिनिस्टरों से जो चाहते हैं मनवा लेते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मिनिस्टरों ने ऐसी शिकायत की है कि वे परवाह नहीं करते। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वह उनकी नकेल अपने हाथ में ले। इसके लिये आपको अपने नियमों और कानूनों में परिवर्तन करना पड़ेगा। आप ऐसे बिल लाइये कि जिससे स्थिति में सुधार हो।

आज थानेदार पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार में, लेकिन कोर्ट में जा कर वह छूट जाता है। हमारे कानून के पंडित ज्यादा से ज्यादा रुपया पा कर हाई कोर्ट में अपनी बुद्धि के जोर से चोरों, डकैतों, ब्लैकमार्केटियर्स को छुड़ा लाते हैं। आपका कानून आज बहुत लचर हो गया है। और हमारी स्कीमें क्रान्तिकारी बनती हैं। इन दोनों में विरोधाभास है। तो इन बुनियादी चीजों में हमें परिवर्तन लाना है। समाजवादी सरकार बनाने की हम सोच रहे हैं समाज के साधन ब्लैकमार्केटियर्स के हाथ में छोड़ कर चाहें कि उत्पादन बढ़े तो वह बढ़ेगा नहीं। उत्पादन के साधन समाज के, सरकार के हाथ में होना चाहिये, उनका वितरण समान होना चाहिये, देखरेख सरकार के हाथ में हो तब सुधार हो सकता है। आज ब्लैकमार्केटियर्स हम पर हावी हैं। चीनी पर कन्ट्रोल हुआ तो लोग जो लखपती थे करोड़पति हो गये। जो करोड़पति था वह न जाने क्यापति होने वाला है। मैंने जब अपने क्षेत्र का दौरा किया तो हर तरफ नहर की, ब्लाक की, थानेदार की शिकायत ही शिकायत सुनने को मिली। मैं दो दिन से परेशान था कि क्या बोलूं। शिकायतें सुनते सुनते ऊब गया। जब हालत बिगड़ जाती है तो सरकार का ढांचा भी बिगड़ जाता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर जनक्रान्ति होती है और उसमें जो ब्लैकमार्केटियर्स हैं जो समाज को धोखा देने वाले हैं वह समाप्त कर दिये जाते हैं और फिर नयी चीज बनती है। इन शब्दों के साथ, मैंने समर्थन तो बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अभिभाषण पर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया है। श्रीमन्, मैं ऐसा समझता था कि महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है वह भुवनेश्वर काफ्रेंस के बाद ही आया है। तो इसके अन्दर प्रदेश का एक नक्शा होगा कि हम कैसे औद्योगीकरण करें, कैसे कृषि उत्पादन को बढ़ावें, और जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमने पास किया है उसको देखते हुये किस तरह से हम उसके वितरण की व्यवस्था करें, इसकी ओर जरूर प्रकाश डाला जायगा। परन्तु मुझे बड़ी निराशा हुई। मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत गम्भीरतापूर्वक आज प्रदेश की स्थिति के बारे में सोचना पड़ेगा और अपने दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा।

श्रीमन्, यहां श्रम मन्त्री विराजमान हैं, मैं महसूस करता हूं कि जब हम यह कहते हैं कि जनतांत्रिक समाजवाद को हमने अपनाया है, उस ध्येय के लिये हम मरेंगे, मिटेंगे, जब कांग्रेस ऐसी बहुमत की पार्टी ने इसका संकल्प लिया है तो हमारे श्रम मन्त्री के विभाग की जिम्मेदारी विशेष तरीके पर इस कार्य को पूरा करने के लिये आती है, क्योंकि श्रम उत्पादन का सबसे प्रमुख अंग है और आज जब आप आपत्तिकालीन स्थिति की बात करते हैं तो उस समय इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के भाषण में लिखा था कि श्रमिकों के साथ आज सम्बन्ध बनाये रखना तथा उनका कल्याण करना मेरी सरकार की श्रम नीति का आधार है। मैं आपके सामने ७ अक्तूबर के हाई कोर्ट के जजमेंट को कोट करना चाहता हूं जोकि १९५५ में गोरखपुर जिले की महाबीर जूट मिल के १ हजार मजदूरों को एक पोस्ट कार्ड पर मिल मालिकों द्वारा निकाला गया। जस्टिस धावन ने अपने इजलास से दिया उसमें है कि श्रम विभाग के लोगों ने पूंजीपतियों के साथ गठबंधन करके आज १,००० मजदूरों को बिना कानून कायदे के निकाला है और उसके बाद आज तक जबकि उन्होंने न्यायालय में ऐडजुडीकेशन की मांग की है कि उनके मामले को वहां रेफर कर दिया जाय तो उस समय भी सरकार ने उनके मामले को डिपोजिट कर दिया। किसकी रिकमेंडेशन पर? कन्सीलिएशन आफिसर की रिकमेंडेशन पर। मैं जजमेंट के उस पोर्शन को पढ़ देना चाहता हूं क्योंकि बड़ा गम्भीर मामला है। माननीय श्रम मन्त्री अपने श्रम विभाग के इस शर्मनाक कार्य को देखें, उस पर चिन्तन करें और उस त्रुटि को दूर करने का उचित दृष्टिकोण अपनावें।

श्रीमन्, मैं जस्टिस धवन साहब के फैसले के रेलेवेंट पोर्शन को पढ़ देना चाहता हूं—

".....This petition must be allowed for reasons detailed in this judgement. I hold that the order of the State Government no..... 1955, dated 27th February, 1956 and of the Labour Commissioner no. 1512....., dated 28th February, 1956 refusing to refer the dispute for arbitration are perverse, arbitrary and illegal and I quash them."

श्रीमन्, इतना ही नहीं, मिल मालिकों ने बिना किसी कानून के मजदूरों को निकाल बाहर किया। मैंने इस बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी को एक पत्र लिखा, श्रम मन्त्री जी को भी लिखा, मैंने इस उम्मीद से लिखा कि उसके ऊपर कुछ कार्यवाही होगी, मगर कुछ नतीजा नहीं निकला। माननीय श्रम मन्त्री जी के विभाग से मेरे पत्र का आजतक कोई जवाब नहीं मिला। केवल मुख्य मन्त्री जी का पत्र आया कि विचार कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आज तक आप कुछ नहीं कर पाये। मजदूर बेचारे लटके हुये हैं। आपके श्रम विभाग का एक सेक्रेटरी विभाग का मालिक बना बैठा है। आपको इतनी ताकत नहीं है कि आप कुछ कर सकें। यह आपके लिये शर्म की बात है। अगर इस तरह से आप समाजवाद को लाना चाहते हैं तो इससे तो अच्छा है कि आप अपनी कुर्सियों को छोड़ दें, आपसे इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, लेकिन आप तो पूंजीवाद को मजबूत करना चाहते हैं। केवल भुवनेश्वर में कोई प्रस्ताव

पास करके, या कामराज योजना बना कर आप समाजवाद नहीं ला सकते, उससे हरगिज समाजवाद आने वाला नहीं है, इसलिये मैं कहता हूं कि आप शर्म कीजिये ।

दूसरी बात मैं ला एन्ड आर्डर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । ला एन्ड आर्डर की आपके यहां क्या स्थिति है, उसके कुछ आंकड़े मैं देना चाहता हूं । सन् १९६०–६१ के आंकड़े हैं, उसके अनुसार काग्नीजेबिल आफेन्स के केसेज ६ लाख, २५ हजार ६५१ हैं, यह १९६१–६२ में ६ लाख ७४ हजार ४६६ हो गये । यह पूरे हिन्दुस्तान के हैं । इसमें हमारे प्रदेश का एवरेज यानी ३ साल की बढ़ोत्तरी ६७.१ परसेंट है । आपके प्रदेश में काग्नीजेबिल आफेन्स ६७.१ परसेंट बढ़ा, जब कि और प्रदेशों में यहां के मुकाबले कहीं कम है । आन्ध्र, आसाम, बिहार, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब आदि में सभी जगह औसत इन कम है यहां के मुकाबले में । मैं दो स्टेट के आंकड़े ही पेश करूंगा । चूंकि समय कम है, इसलिये और जगहों के नहीं दूंगा । आसाम में इन तीन सालों में ८.३ परसेंट क्राइम कम हुये हैं । और पंजाब में ०.२ परसेंट कम हुये हैं । जब कि आपके यहां ६७.१ परसेंट बढ़े हैं । तो यह है ला एन्ड आर्डर की स्थिति आपके यहां ।

श्रीमन्, फूड प्राइसेज के बारे में भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में माननीय नेगी जी ने १३ दिसम्बर, को इसी विधान सभा में कहा, सामान्य तरीके पर ५ से ४३ प्रतिशत पर चीजों के दाम बढ़े हैं, यह माननीय खाद्य मन्त्री जी ने स्वयं मंजूर किया है । मैं केवल गेहूं के आंकड़े १९६२–६३ के देना चाहता हूं । हापुड़ में १९६२ में ३८.८५ भाव रहा, अलीगढ़ में ४०.८६, चन्दौसी में ३९.५२, हल्द्वानी में ४१.५३ और लखनऊ में ४९.८५ रहा जो बढ़ कर ६१.२५ हो गया है और वाराणसी में जब कि ४१.८२ था वह बढ़ कर ६३.५२ हो गया है । यह बढ़ोत्तरी केवल गेहूं में है । अगर सन् १९३९ के लिविंग इन्डेक्स को १०० मान लिया जाय तो १९४७ में वह ३१० हो गया था और अब १९६३ में वह ५२२ हो गया है । इतना ऊंचा सूचकांक हो गया है लेकिन आपने गरीब मजदूरों, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों और राजपत्रित कर्मचारियों को भूखा ही रखा है और वे ५–५, ६–६ हजार की तादाद में महंगाई के खिलाफ विधान भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके लिये पे कमीशन बैठाइये । लेकिन उस ओर आपने कोई ध्यान नहीं दिया । यह क्रान्ति का सूत्रपात करने वाली चीजें हैं और इस बात को बताने वाली हैं कि यह सरकार फेल हो रही है । आप कोई इन्तजाम नहीं कर पा रहे हैं । आपका सेक्रेटेरियेट खुदमुख्तार देशी रियासत बना हुआ है, खुदमुख्तार स्टेट्स बने हुये हैं । यहां से लेकर विकास खंडों तक । यहां किसी हालत में भी डिसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं हुआ है जिसका नतीजा यह है कि आपको अपना ध्येय प्राप्त नहीं हुआ है । अब बहादुरी तो आपकी तब है जब आप इस्तीफा देकर अलहदा हो जायं ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ) —

उपाध्यक्ष महोदय, दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में बजट के पूर्व महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हमें एक अवसर प्रदान करता है यह जान सकने का कि वर्तमान वर्ष में सरकार ने कौन कौन से अपने कार्यों को पूरा किया है अब आगे आने वाले वर्ष में किन किन बातों को विशेष महत्वपूर्ण मान कर उनको पूरा करने के लिये आपके सामने योजना प्रस्तुत करने जा रही है । यदि हम उस अभिभाषण को ध्यानपूर्वक देखें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि इन बातों की तरफ महामहिम राज्यपाल ने पूरी तरह से संकेत किया है । हम उससे यह जान सकते हैं कि सरकार ने क्या क्या किया है और आगे आने वाले बजट वर्ष में सरकार किन किन कामों को करना चाहती है ।

इसमें संदेह नहीं कि हमारा सूबा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इसलिये इस समय विशेष संकट की स्थिति से गुजर रहा है । किन्तु फिर भी हमें यह मानना होगा कि हमारी सरकार अपने सूबे को आगे बढ़ाना चाहती है और जिन जिन बातों में हम दूसरे सूबों से पिछड़े हुये हैं उन-उन कामों को पूरा करके थोड़े दिनों में हम देखेंगे कि हमारा प्रान्त हिन्दुस्तान के किसी सूबे से पीछे नहीं रहेगा। इसमें संदेह नहीं कि कुछ ऐसी खामियां और ऐसी त्रुटियां हैं जिनकी ओर हमें इस मौके पर अवश्य ध्यान देना चाहिये । किन्तु फिर भी उन त्रुटियों को देखने से पहले हमें यह देखना चाहिये कि

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

हमारी सरकार ने किन-किन बातों को पूरा किया है और जो कुछ काम अधूरे रह गये हैं उनको पूरा करने के लिये क्या सुझाव दिये हैं ।

पिछले दिनों चीनी आक्रमण के कारण हमारे देश में एक संकटकालीन स्थिति पैदा हुई थी, उसका मुकाबला हमने और हमारी केन्द्रीय सरकार ने अच्छी प्रकार से किया । हमारे प्रान्त ने उस समय कुछ ऐसे कदम उठाये जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा की सुरक्षा हो सके और उसके साथ ही साथ जो आन्तरिक प्रबन्ध है उसमें भी ठीक व्यवस्था कायम रह सके । इसी उद्देश्य को सामने रख कर पी० ए० सी० की बड़े रूप में भर्ती की गयी और जितने भी उत्तरी क्षेत्र सीमा से लगे हुये हैं उन सब में पी० ए० सी० इस प्रकार तैनात कर दी गयी है कि कोई भी ऐसा अन्देशा नहीं है कि किसी दुश्मन की कार्यवाही को हम न जान सकें या उसका मुकाबला न कर सकें । आन्तरिक शान्ति रखने के लिये हमारे यहां सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था है और उसके लिये होम गार्ड्स की स्थापना की गयी है । ऐसा अन्दाजा है कि थोड़े ही दिनों में १८ साल से लेकर ४० वर्ष तक के नौजवान इसके अन्दर आकर भर्ती होंगे और समाज सेवा का एक अच्छा आदर्श हमारे सामने उपस्थित करेंगे । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां डाक्टर नहीं हैं । निःसन्देह यह बात सही है लेकिन इसके साथ ही हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि इस समय हमें प्राइवेट प्रैक्टिस में इतनी ज्यादा आमदानी होती है कि करीब १५० डाक्टरों ने यह दरख्वास्त दी है कि उनको नौकरी से मुक्त कर दिया जाय । डी० आई० आर० के मातहत सरकार इन डाक्टरों को अभी मुक्त नहीं कर रही है क्योंकि पहले ही से डाक्टरों की बड़ी कमी है और अगर वे मुक्त कर दिये जायंगे तो और भी कमी हो जायगी और काफी ऐसे अस्पताल हो जायेंगे जहां एक भी डाक्टर नहीं रहेगा । किन्तु इस कमी के पूरा करने के लिये जहां पहले और मेडिकल कालेज थे वहां मेरठ में भी एक मेडिकल कालेज की स्थापना की गयी है और ऐसी आशा की जाती है कि जल्दी ही वह बन कर तैयार हो जायगा और वहां से भी डाक्टर निकल कर हमारे सामने आयेंगे तो हम जरूर इस कमी को पूरा कर सकेंगे ।

जहां तक खाद्यान्नों के मूल्य व शक्कर के मूल्य में वृद्धि का सम्बन्ध है, अभिभाषण में ही इस बात की चिन्ता प्रकट की गयी है और यह आशा की गयी है कि आगे आने वाले समय में हम इस ओर विशेष ध्यान देंगे । जहां तक कृषि उत्पादन का सवाल है, इन दो वर्षों में, तृतीय पंचवर्षीय योजना के उत्पादन में काफी कमी रही है उसके ऊपर भी अभिभाषण में चिन्ता व्यक्त की गयी है और इसी लिये सिंचाई के अच्छे साधन, उसके लिये उर्वरक के कारखाने खोलने व किसानों को तकाववी आदि देने के तथा दूसरे भी और ऐसे साधन किये हैं जिनसे हमारे अन्न उत्पादन की समस्या हल हो सके और उसे बढ़ाने के लिये सरकार सतत् प्रयत्नशील है ।

दो बातें जो ज्यादातर कही गयीं उनमें एक तो है भ्रष्टाचार की ओर दूसरी समाजवाद की स्थापना । जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, इसमें सन्देह नहीं कि बहुत छोटी चीज को भी कभी-कभी बहुत बढ़ा कर कहा जाता है और उसका परिणाम यह होता है कि ऐसे कई अधिकारी या कई और दूसरे काम करने वाले जो ईमानदारी और नेकनियती से भी काम करना चाहते हैं या करते हैं तो हमें यह विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है जो रिश्वत न ले और ऐसे ही काम करे । जहां तक भ्रष्टाचार के विशेष अर्थ का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह बड़ा व्यापक शब्द है । इस प्रजातान्त्रिक युग में यदि हम किसी निजी इच्छा को पूरी करने के लिये लोगों में गलत बयानी करें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है । इसको शायद कोई समझता भी नहीं कि यह भी कोई भ्रष्टाचार का काम है । जब लोगों को गलत तरह से समझाया जाय कि सरकार यह गलत काम कर रही है, वह गलत काम कर रही है, मैं समझता हूं कि यह भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है लेकिन शायद लोग समझते हैं कि यह भ्रष्टाचार में आता ही नहीं है । लोग समझते हैं कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या उसे तोड़ मरोड़ कर कहना भ्रष्टाचार में नहीं आता, केवल रिश्वत लेना या इस तरह की ओर बातें करना ही भ्रष्टाचार में आता है । जब कि वह भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है । आखिर यह भ्रष्टाचार

क्यों है ? कोई भी मुसलमान जान कर सुअर के गोश्त खाना पसन्द नहीं करता, उसी तरह से कोई भी हिन्दू जान कर गाय का गोश्त खाना पसन्द नहीं करता। केवल इसलिये कि वह उसको पाप समझते हैं, अच्छा नहीं समझते। आज जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वह चपरासी हों या सेक्रेटरी व कमिश्नर हों सब हमारे आप के रिश्तेदार हैं और हम में से ही आते हैं वह बाहर के नहीं हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कितने व्यक्तियों ने अपने रिश्तेदारों से यह कसम दिलाई है कि यदि तुम हिन्दू हो तो तुम्हें रिश्वत नहीं लेनी होगी और अगर लोगे तो तुम्हें उतना ही पाप लगेगा जितना कि एक हिन्दू को गोमांस के खाने से लगता है या अगर आप में से कुछ मुसलमान हैं तो उन में से कितनों ने अपने रिश्तेदारों को इस तरह की कसम खिलाई है कि तुम मुसलमान हो और अगर तुम रिश्वत लोगे तो तुम को उतना ही पाप लगेगा जितना कि एक मुसलमान को सुअर का गोश्त खाने पर लगता है। जब हमारे घर में रुपया आता है तो वह रिश्वत नहीं रह जाती और उस को ऊपर की कमाई कहा जाता है लेकिन जब वह हम को देनी पड़ती है तो उस को भ्रष्टाचार, रिश्वत और न मालूम किन-किन नामों से पुकारा जाता है। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि भ्रष्टाचार दूर करना सरकार का काम है और हम आज यहां इसीलिये इकट्ठा हुये हैं कि सरकार का ध्यान हम इस तरफ आकृष्ट करें कि हमारे यहां जहां भी भ्रष्टाचार है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाय लेकिन साथ ही हमें भी अपने कर्त्तव्य को नहीं भूलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं समाजवाद के बारे में भी कुछ आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। इस बात का बड़ा नारा लगाया जाता है कि भुवनेश्वर में कांग्रेस अधिवेशन में समाजवाद के लिये एक प्रस्ताव पास हुआ लेकिन हमने तो इस से पहले सन् १९५५ में अवाड़ी में ही समाजवाद के सिद्धान्त को स्वीकार किया था और सन् १९४७–४८ में भी निश्चित रूप से प्रस्ताव पास किया था इसलिये कांग्रेस तो उसी समय से किसी न किसी रूप में समाजवाद की ओर बढ़ रही है। बालिगों को मताधिकार दिलाना कांग्रेस का सब से पहला कदम था समाजवाद की तरफ। समाजवाद तो इतना व्यापक शब्द है कि जिसके ध्येय की पूर्ति आसानी से नहीं हो सकती। यह ठीक है कि जहां तक सम्भव हो राष्ट्रीयकरण की ओर हमें बढ़ना चाहिये। जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है पब्लिक सेक्टर में हमारे यहां कई बड़े-बड़े कारखाने लग रहे हैं। हरिद्वार में हैवी एलेक्ट्रिकल्स का कारखाना पब्लिक सेक्टर में ५० करोड़ की लागत से लग रहा है। ऋषिकेश में एन्टीबायटिक्स का कारखाना लग रहा है और दूसरे स्थानों पर भी पब्लिक सेक्टर में बहुत से कारखाने लगने की योजना हैं लेकिन उन के लिये पूंजी की आवश्यकता है और रुपये की जब मांग होती है तो यह स्वाभाविक है कि नये टैक्स या पुराने टैक्स का देना किसी को पसन्द नहीं होता। लेकिन हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरह से हम अपने ध्येय को प्राप्त कर सकें। मैं केवल एक प्रार्थना माननीय सदस्यों से करना चाहता हूं जैसा कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में अन्त में कहा है कि "मुझे विश्वास है कि आप, विधान मंडल के सदस्य, अपने तर्कयुक्त तथा संतुलित विचार विमर्श से राज्य को आपना अभीष्ट गौरव प्राप्त करने के लिये मार्ग प्रदर्शन कर सकेंगे। अबाध चर्चा, सहनशीलता तथा धैर्य लोकतंत्र का सार है जिससे हम सभी आबद्ध हैं। अतएव, मैं इस आशा के साथ अपना अभिभाषण समाप्त करता हूं कि आप अपने समस्त विचार विमर्श में लोकतन्त्र के आदेशों को बनाये रखने के लिये इन उच्च सिद्धान्तों को सदैव ध्यान में रखेंगे।" इन शब्दों के साथ मैं भी यही आशा करता हूं और माननीया सुशीला जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसमें जो हमारे दल के नेता ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। मैं जिन भावों को व्यक्त करना चाहता हूं उनका मूल्यांकन चर्म चक्षुओं से नहीं हो सकता। "मजा बरसात का चाहो मेरी आंखों में आ बैठो, स्याही है सफ़ेदी है, सफ़क है अब्रेबारां है।" अंग्रेज चार बातें अपने साथ लाये—समय की पाबन्दी, सफ़ाई, थैंक्यू और सौरी। और

[श्री लोकपालसिंह]

अब गये तो सफाई और समय की पाबन्दी ले गये अपने साथ और थैन्क्यू और सौरी को छोड़ गये। थक्यू का परियायवाची शब्द धन्यवाद और सौरी का दुख। यदि उसी धन्यवाद से तात्पर्य है तो मुझे संशोधन के पक्ष में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। वह धन्यवाद क्या माने रखता था जो दिन में हजार बार कहा जाय। यदि उसी दृष्टिकोण से धन्यवाद का प्रस्ताव है तो मुझे कुछ नहीं कहना है और यदि उस दृष्टिकोण से नहीं किया है तो मैं अपने भावों को बतलाता हूं।

हमारी सरकार के गुण गरिमा पर श्री राज्यपाल ने कोई अपने भाव व्यक्त नहीं किये। "तसव्वुर में जो आंखें बन्द कर देखे उसे दीदार होता है।" मैंने तसव्वुर में देखा तो उनकी गुण गरिमा महान् पायी। हमारी सरकार की सहनशीलता हिमालय पहाड़ सी है। हमारी सरकार चीन और पाकिस्तान की बरबरता और जुर्म को उसी प्रकार सहन करती है जैसे हिमालय आंधी, पानी, तूफान को सहन करता है। इसलिये मैं उसकी सहनशीलता की हिमालय पहाड़ से समता देता हूं। इस पर उन्होंने कुछ अपने विचार प्रकट नहीं किये। हृदय की विशालता समुद्र जैसी है, सन्मान, निरादर, जीत, हार शत्रु मित्र को एक रूप में देखते हैं, उनकी महानता आकाश जैसी है। उनकी प्रलम्ब योजनायें, कागजी सुरक्षा के साधन, कुनबापरस्ती आदि का विस्तार इसके द्योतक हैं। "जहां तेरा नक्शे क़दम देखता हूं, खयावाँ खयावाँ अरम देखता हूं। बना कर फकीरों का मैं भेष गालिब, तमाशाये अहले करम देखता हूं।" इस पर राज्यपाल जी ने अपने भाव व्यक्त नहीं किये।

जो भारत को शक्तिशाली बनाने की योजना है बड़ी सुन्दर है बशर्ते उसे सही रूप से कार्यान्वित किया जाय। इस पर भी राज्यपाल प्रकाश डालते तो अच्छा रहता, नहीं डाला इसका मुझे खेद है। यहां के रहने वालों की वेष भूषा, भाषा, भोजन, भावनायें भारतीय होनी चाहिये। इस पर भी राज्यपाल महोदय प्रकाश डालते तो ठीक रहता। खैर भेष को जाने दीजिये, भूषा को जाने दीजिये, भाषा को भी जाने दीजिये, भोजन को जाने दीजिये, लेकिन भावना की ही यदि बात कहते कि जिनकी भावनायें भारतीय न होंगी उनके प्रति हम सख्त कदम उठायेंगे तो हमें सन्तोष होता। मानव मात्र का एक लक्ष्य होता है जिसमें यह सब बातें आती हैं। परन्तु उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया "गुण न हिरानो गुण ग्राहक हिरानो है"

हमारे सदन ने अनारी को हटा कर नारी का सम्मान किया। यहां पर एक नारी मुख्य मंत्री हुईं। यदि इस सम्बन्ध में यही कह दिया जाता कि एक अनारी को हटा कर नारी को मुख्य मंत्री बनाया गया तो हमें हर्ष होता।

श्रीमन्, देश पर जब आक्रमण हुआ, उसके लिए हम सब एक सूत्र में बंधे। सब की आवाजें हुईं पैर अनेक हैं, किन्तु पथ एक है। हाथ अनेक हैं किन्तु कार्य एक है, पन्थ अनेक हैं पर ईश्वर एक है, भेष अनेक हैं पर देश एक है। इस भावना को लेकर देश एकत्र हुआ। लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसमें दरार पड़ गयी। इन सब के सम्बन्ध में उन्हें कुछ भाव व्यक्त करने चाहिये थे।

ऊपर दरसे सुमिल सी, अन्तर अनमिल आँक,
कपटी जन की प्रीति है, खीरा की सी फांक।।

सुरक्षा के सम्बन्ध में आपने बात कही कि अभी सुरक्षा के सम्बन्ध में पूरा काम नहीं हुआ है। सुरक्षा की आवश्यकता होती है कमजोर को। "कवि देव अजा ही कटैं नित ही, गर्जसिंह कभी न कटे न कटैंगे।" हमीर जब सत्तारूढ़ हुआ तो उसने आदेश दिए थे कि हमारे पहरेदारों को हटा दो, दरवाजों को खोल दो। आपने कहा था कि आज से दुश्मन के दरवाजे बन्द होने चाहिए। हमीर के दरवाजों को बन्द करने की आवश्यकता नहीं है पहरेदार अब शत्रु के द्वार पर रहने चाहिये। तो सुरक्षा की आवश्यकता किसको होती है? आप अपनी कमजोरी दूर कर दें सुरक्षा अपने आप हो जायगी। श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने उसके सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहा। अभी हाल में मैंने एक प्रदर्शनी देखी। वहां पर मैंने बड़े-बड़े टैंक देखे, हवाई जहाज देखे, गोले और बम देखे वहां पर मैंने चर्खा, तकली नहीं देखी। मालूम पड़ता है कि सरकार को अब इस बात का

विश्वास नहीं है कि चर्खा तकली से देश की रक्षा हो सकती है। उनका अब विश्वास हटा कि हमारे देश के नेताओं के भाषण अब चीन और पाकिस्तान के रहने वालों के हृदय परिवर्तित नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यप की भावना उनके पुत्र प्रह्लाद नहीं बदल सके। अतः उसके उदर का आपरेशन करना ही पड़ा। अब हमारे भाषण सरकार के हृदय नहीं बदल सकते।

खेती के संकट के सम्बन्ध में निवेदन है कि वर्षा के अभाव और अतिवर्षा में हमारे खेती की दशा बिगड़ती जा रही है। इस वर्ष शीत ने फसल बर्बाद कर दी। इस पर मैं यही कहूंगा कि—

"लखहु दिनन को फेर
प्रभु फिरतहि सब फिर गये।
सुरझावति एक फेर
फेर पचासक पड़ गये।।"

यह तो भगवान की लीला है। आप लोगों का मैं बहुत दोष नहीं मानता हूं पर यदि ऐसा था तो फिर और सब बातें जैसे मील, बांट, सिक्का आदि बदलने का काम कुछ समय बाद ही कर लेते। हमारे किसान भूखे मरते हैं किन्तु यह राग उनको अच्छा नहीं लगता। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि उनकी सरकार के पास संसाधन सीमित हैं और वर्तमान संसाधनों को संगृहीत करने के लिए टैक्स लगाना पड़ेगा। और नये टैक्स की योजनाएं बना कर हमारी योजनाएं चलेंगी। पर :

भूख में नेक सुहात नहीं,
टटियाँ खस की बतियाँ रस कीं।

इस समय किसान भूखा है। किसान को इस समय रोटी चाहिए उसके सामने रोटी का प्रश्न है और देश की सुरक्षा का प्रश्न है। आज जिन बातों की आवश्यकता है उनकी ओर ध्यान देना चाहिए।

आज खस की टट्टियों की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार कर में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है।

एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं कि पिछले नवम्बर के महीने में कालविन कालेज, लखनऊ में तिरंगा झुकाया गया और यूनियन जैक फहराया गया एक विदेशी अफसर के स्वागत में, कमिश्नर के आदेश से। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। राष्ट्रध्वज का अपमान राष्ट्र का अपमान है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के प्रति जो आभार प्रकट किया गया है उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं एक बहुत बड़े मसले की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है गढ़वाल का मसला क्योंकि गढ़वाल को पूछने वाला कोई नहीं है। आपने सुना होगा कि ६८ करोड़ रुपया खर्च करके हमारी सरकार रामगंगा पर कालागढ़ में डैम बना रही है और इस डैम में गढ़वाल का १५ स्क्वायर माइल एरिया कवर हो रहा है। काम शुरू हो गया है। वहां ३ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स, ११ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, ७० असिस्टेंट इंजीनियर और २०० ओवरसियर्स हैं और १,२०० आदमी वहां इस प्रकार काम कर रहे हैं। पी० डब्ल्यू० डी० ने अपने आराम के लिये यह चाहा है कि गढ़वाल का १५ स्क्वायर माइल एरिया कालागढ़ से काट कर बिजनौर में मिला दिया जाय। पुलिस, मेडिकल, कालागढ़ के बिजनौर के मातहत कर दिये गये हैं और यह कोशिश हो रही है कि बिजनौर के मातहत एजूकेशन को भी कर दिया जाय। कालागढ़ में बहुत बड़ा शहर बनने वाला है जिसमें १५ हजार की आबादी होगी। तो यह जो गढ़वाल का हिस्सा काटा जा रहा है और बिजनौर में मिलाया जा रहा है यह गढ़वाल के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है। मैं खुद १ फरवरी को देख कर आया हूं कि वहां एक कालोनी तैयार हो रही है और वहां एक हजार इमारतें तैयार भी हो गयी हैं।

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

रामगंगा पर जो डैम बन रहा है वह सरकार की सम्पत्ति रहेगी लेकिन गढ़वाल के लोग यह गौरव हासिल करना चाहते हैं कि रामगंगा पर जो डैम बन रहा है और कालागढ़ में जो नयी बस्ती बस रही है वह गढ़वाल के अन्दर क्यों न रहे और क्यों उसे हटा कर बिजनौर में मिलाया जा रहा है। आज कोई १५-२० वर्ष हुये जब गढ़वाल में मरेड़ा डैम बनने की बात थी और उसके सर्वे पर २३ लाख रुपया खर्च किया गया। वह डैम छोड़ दिया गया। अब यह जो बड़ा डैम बन रहा है जिसमें ६८ करोड़ रुपया लगेगा और जो हिन्दुस्तान में शायद सब से बड़ा डैम होगा। जब वह गढ़वाल की सीमा के अन्दर है तो क्यों इस बात की कोशिश की जा रही है कि वह गढ़वाल से काट कर बिजनौर में मिलाया जाय? अगर यह प्रासेस जारी रहा तो हमारे गढ़वाल का जो स्वर्गाश्रम है, लक्ष्मण झूला है, वह मिला दिया जायगा ऋषिकेश में, देवप्रयाग टेहरी में मिला दिया जायगा, रुद्र प्रयाग चमोली जिले में मिला दिया जायगा और पौड़ी के पास सिर्फ पौड़ी का गांव रह जायगा, क्योंकि हमारे मंत्री जो कोटद्वार के नुमायन्दे हैं वे खुद कह रहे हैं कि कोटद्वार गढ़वाल में नहीं है। गढ़वाल वह जिला है जिसने द्वितीय महायुद्ध में ३७ हजार सिपाही दिये थे जिनमें से ३ हजार रण में काम आये। इस वक्त भी ३० हजार गढ़वाली सिपाही किसी न किसी रूप में सेना में हैं और १० हजार गढ़वाली सशस्त्र पल्टनों में हैं। कोई ऐसा हिस्सा भारत की सीमा का नहीं है जहां गढ़वाली न लड़ रहे हों। आपने सेला का नाम सुना है। यह कहीं और हुआ है कि एक ही जिले की एक पल्टन को ७ महावीर और वीरचक्र मिले हों। तो यह तो उनकी बहादुरी की हालत है। कोशिश तो यह की जानी चाहिये कि गढ़वाल में बड़े-बड़े शहर बनें। लेकिन एक डैम ही बन रहा है उसको भी आप हटाना चाहते हैं।

पिछले साल गवर्नर महोदय के ऐड्रेस के सिलसिले में मैंने कहा था "गढ़वाल वह भूमि है जिसने दो यूरोपियन युद्धों में ३७ हजार सिपाही दिये और जो इस वक्त हमारी सात पल्टनें हैं उनमें १० हजार सिपाही मौजूद हैं।" मैंने कहा कि गुप्ता जी ने कहा था जोशीमठ की सभा में कि गढ़वाल जिले में हम गढ़वाल में सैनिक स्कूल स्थापित करेंगे। उन्होंने खुद मुझसे १७ मार्च, १९६२ को कहा था कि "मैं गढ़वाल को सैनिक स्कूल दे रहा हूं।" उसके जवाब में जो मैंने इस सदन में ७ फरवरी, १९६३ यहां कहा था, हमारे डिप्टी लीडर ठाकुर हुकुमसिंह जी ने, यह कहा कि "श्री मुकुन्दीलाल जी ने गढ़वाल में सैनिक स्कूल खोलने की बात कही है। उनका सुझाव तो बहुत अच्छा है जिस पर विचार किया जायगा।" अगर हम सैनिक स्कूल की मांग लेकर डिफेन्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि यह काम तो स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेन्ट के पास जाते हैं तो गवर्नर महोदय ने खुद मेरे सामने लैंसडाउन में यह कहा कि सैनिक स्कूल देना स्टेट का काम नहीं है, यह डिफ़ेन्स डिपार्टमेंट का काम है। और गुप्ता जी ने जोशीमठ, श्रीनगर, पौड़ी में कहा था कि हम गढ़वाल में सैनिक स्कूल स्थापित करेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल न बनाइये, लेकिन हमारा जो इतना बड़ा प्रान्त है यहां दो नहीं, तीन नहीं, आठ सैनिक स्कूल होने चाहिये क्योंकि पंजाब जैसे छोटे से सूबे में चार सैनिक स्कूल हैं। गर आपने एक लखनऊ में बनाया, एक नैनीताल में बनाया तो एक गढ़वाल में भी आप बनवा दीजिये। गुप्ता जी ने नैनीताल जिले में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की थी। अगर वे कुमायूं के नुमायन्दे न होते तो शायद यहां पर सैनिक स्कूल होना दुश्वार होता। मैं इसके लिये आभार प्रकट करता हूं लेकिन अभी गढ़वाल में सैनिक स्कूल स्थापित करने की गुंजाइश है। माननीय गुप्ता जी के शब्द हैं जो उन्होंने एक डेपूटेशन में कहे थे कि "मैं श्रीनगर में एक सैनिक स्कूल दे रहा हूं"। वहां के लिये इससे पहले हमारा ख्वाब भी नहीं था कि श्रीनगर में सैनिक स्कूल हो सकता है। वहां गंगा के उस पार एक भारी चौरास का मैदान है जहां एक तो क्या ५ सैनिक स्कूल बन सकते हैं। चौरास का एक मैदान है जो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के नजदीक है। माननीय गुप्ता जी की यह दूरदर्शिता थी जो उन्होंने ऐसा सोचा। खेद का विषय है कि आप गढ़वाल की हमेशा अवहेलना करते आये हैं और करते जा रहे हैं। यह आपके लिये और हमारे लिये भी अच्छी बात नहीं है।

गवर्नर महोदय ने कहा है कि मार्ग अच्छे करेंगे। हमारे यहां एक २६ मील की रतवाढाल सड़क जो १९३५ में जंगलात द्वारा शुरू हो गई थी अब तक पक्की नहीं बन पाई है और कच्ची है। कालागढ़ को गढ़वाल से निकाल कर इसलिये बिजनौर में ले जा रहे हैं कि यहां से कोटद्वार के लिये २६ मील की कच्ची सड़क है। और उधर बिजनौर के लिये ६२ मील की पक्की सड़क है जिस पर इंजीनियर लोगों की मोटरें फर्राटे से आ जा सकती हैं। पी० डब्ल्यू० डी० के अफसरों ने एक बहाना यह लिया है कि बिजनौर में ट्रेजरी नजदीक है और पौड़ी में बहुत दूर है। मैं कहता हूं कि पौड़ी जाने की क्या जरूरत है? लैंसडाउन बहुत नजदीक है। पी० डब्ल्यू० डी० वालों ने दिखाया है कि अगर चपरासी ट्रेजरी बिल पास कराने के लिये जाता है तो बिजनौर जाने पर दो रुपये ९ पैसे खर्च होते हैं और पौड़ी जाने पर ७ रुपये ९ पैसे खर्च होते हैं। पौड़ी क्यों भेजें, लैंसडाउन भेजिये। २६ मील की पक्की सड़क बन सकती है। यह कालोनी गढ़वाल में ही शामिल रखी जाय।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो प्रस्ताव माननीया सुशीला जी रोहतगी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय का सम्बोधन सरकार की नीतियों का एक प्रतीक होता है, इसको एक मिरर भी कह सकते हैं। जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि माननीय कृपालानी जी इस प्रदेश की नई मुख्य मंत्री बनी हैं, इसलिये मैं आशा करता था कि कोई क्रान्तिकारी अभिभाषण प्रस्तुत किया जायगा और नई नीतियां चलाई जायंगी। लेकिन जब मैंने उसमें कुछ नहीं पाया तो मुझे बड़ा दुःख हुआ, बड़ी निराशा हुई। श्रीमन्, जब यह पार्लियामेंट की सदस्या थीं तो उनका एक भाषण जो उन्होंने प्रेसीडेंट के अभिभाषण के सम्बन्ध में दिया था उसके दो चार सेंटेंस सुना दूं तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि माननीय सुचेता कृपालानी क्या सोचती और फील करती थीं, और यहां आकर उनकी वही भावना रही या चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उस भावना में कोई अन्तर आ गया, या किसी के डिक्टेट करने पर चल रही हैं, या कहीं से इंस्पिरेशन लेती हैं, क्या हुआ। श्रीमन् उन्होंने कहा—

....we were looking forward with hope and expectation to the Presidential address. We thought that at this historic occasion he would enunciate some new policy which would extend some benefits to the people; we thought that he would propose some immediate and concrete measures to lighten the heavy burden on our people; we thought there would be something in it to enthuse and call the people to rally round the National Government to participate in the great task of building the nation. I am afraid we have been very greatly disappointed. What was in the speech it was the usual formal speech meant for a ceremonial occasion, full of platitudes, beautiful words and high sounding and empty phrases. There were phrases of "national and social justice" and "pledging ourselves to the service of the nation." But the whole speech was marked by a tone of placid complacency. We missed the sense of urgency that should have been there to grapple with the serious problems that face the country, the serious problems corroding the very life of the nation."

उनकी यह भावना थी कि जो हमारे देश में गरीबी है.....

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अनुवाद करवा दीजिये। हम कुछ नहीं समझे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं पहले पढ़ दूं, फिर समझा दूंगा। उन्होंने आगे कहा है :—

"Does the address give us any idea of the misery in which the people are steeped in the famine areas ? We do not see anything. This is why we are greatly disappointed. We wonder whether the Government is fully apprised of the situation. More than that, there is nothing in the speech to show that any concrete and immediate steps are being taken to meet this challenge in the present food situation."

उन्होंने आगे कहा है—

"We are to be told that natural calamities have brought this about. I have been a Member of this Parliament before. Before me Food Minister have come and gone, but the food situation has remained the same and the plea for inability to cope with the problem has been the same natural calamity, drought, failure of rain. How long is this Government going to make this plea ?"

वह आगे कहती हैं—

"When I address a public meeting, I deliberately look around to see a healthy face. I do not see a healthy face. There is acute malnutrition in this country and no nation can build itself up on this basis."

मेरे कहने का मतलब यह है कि सुचेता कृपालानी जी ने जब वह विरोधी दल की तरफ से चुनी गयीं, तो उनका भाषण हुआ उसको देखते हुये और आज जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय का हुआ, वह एक प्रतीक होता है, गवर्नमेंट का एड्रेस हुआ करता है, महामहिम के पास वह भेज देती हैं, वह पढ़ कर सुना देते हैं। आप स्वयं देखें या तो यह भाषण उनके हृदय से निकला था, वास्तव में जो भारत की दशा थी, उसको देखते हुये भाषण दिया था और जब वह चीफ मिनिस्टर बन गयीं तो अपने पुराने भाषण को भूल गयीं या यह हो सकता है कि जब जिम्मेदारी आती है तो दूसरे ढंग से सोचने लगते हैं।

तीसरी बात जो मैंने निवेदन की वह यह है कि हो सकता है कि सुचेता कृपलानी समाजवादी हों। उनको हम समाजवादी मानते हैं और कुछ हद तक हो सकता है वह कुछ करना चाहती हों और ३ महीने के अरसे में उन्होंने कुछ कदम भी उठाये हैं। उन्होंने, जो किसानों का लगान बढ़ाया गया था उसको वापस लिया है। यहां के सेक्रेटरियेट को भी वह रिआर्गनाइज करने की कोशिश कर रही हैं। चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने बदला। इंडस्ट्री के सेक्रेटरी, जिन्होंने इस प्रदेश की इंडस्ट्री को तबाह किया था, उनको भी यहां से बदला, लेकिन श्रीमन्, क्या इन सब बातों से ब्रिटिश हुकूमत ने जैसे यहां पर सेक्रेटरियेट, रेल, तार बनाये और दूसरे जो छोटे-छोटे काम किये उनसे हम यह कह सकते हैं कि उनकी प्रशंसा की जाय। यह बात जरूर है कि उन्होंने एक कदम उठाया और शायद वह और भी कदम उठाना चाहती हैं, लेकिन कोई न कोई अंकुश उनके ऊपर है जहां से वह डिक्टेट लेती हैं। किसी से पूछ कर वह शासन को चला रही हैं तो यह शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। जिस प्रदेश में गोविन्दवल्लभ पंत जी रहे, सम्पूर्णानन्द जी रहे और उसके बाद गुप्ता जी आये लेकिन न मालूम किन कारणों से जैसे गुप्ता जी ने अपनी एक इनर कैबिनेट बना रखी थी उनसे ही वह राय लिया करते थे। जो सीनियर मंत्री थे उनसे वह कभी राय, सलाह-मशविरा नहीं किया करते थे। यही दशा आज सुचेता जी की भी हो रही है। उन्होंने भी उसी तरह से उनके डिक्टेट पर चलना शुरू किया है तो इस तरह से देश और प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, जिस समय इस प्रदेश का शासन भार उन्होंने संभाला था तो उस समय घोषणा की थी कि नया क्लड आयेगा लेकिन हमने देखा कि जो वरिष्ठ मंत्री थे उनको नहीं लिया गया

और बाहर के नये लोग लिये गये। जिन्होंने देश के लिये आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया उनको बाहर कर दिया गया। आजादी की लड़ाई में खून बहाने वालों को मिनिस्टर नहीं बनाया। जब यहां पर उनको शामिल किया गया तो सुचेता जी ने यह घोषणा की थी कि हम यहां पर सम्पूर्णानन्द में और गुप्ता जी में समझौता करायेंगे। उन्होंने यहां पर न तो आपस का भेद-भाव दूर किया और न कोई समझौता कराया। बल्कि यहां की मुख्य मंत्री बन बैठीं। उनसे कहा गया कि न तो आप यहां की रहने वाली हैं, न यहां की भाषा को जानती हैं न यहां के शासन को चला सकती हैं लेकिन फिर भी बाद में मुख्य मंत्री बन गईं। मैं निवेदन करूं कि मेरे जिले के अन्दर दो वरिष्ठ मंत्री गये। माननीय अलीजहीर साहब और चतुर्भुज शर्मा भी गये। एक तीसरे डिप्टी मिनिस्टर शिव प्रसाद गुप्त भी जाते हैं। जब गुप्त जी जाते हैं और सिकन्दराराऊ पहुंचते हैं तो जिलाधीश अलीगढ़ और पुलिस कप्तान उनको रिसीव करने पहुंचते हैं लेकिन जब अलीजहीर साहब और चतुर्भुज शर्मा पहुंचते हैं तो एस० डी० एम० उनको रिसीव करने पहुंचते हैं। यह गुटबन्दी का परिणाम है जो इस तरह से वरिष्ठ मंत्रियों के साथ व्यवहार किया जाता है। यह अफसोस की बात है कि हमारे प्रदेश में जो होम मिनिस्टर बनाये गये हैं वह जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। जो डिप्टी होम मिनिस्टर हैं वह भी पब्लिक रिप्रिजन्टेटिव नहीं हैं। ये दोनों व्यक्ति कौंसिल से आये हुये व्यक्ति हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया भी यह कहती है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम्स बढ़ रहे हैं। सरकार कहती है कि हमने डकैत मारे हैं और ला एन्ड आर्डर को बनाये रखने में बहुत काम किया है लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया के पेपर कहते हैं कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से हमारे और साथियों ने मांग की है उसी तरह से मैं भी मांग करता हूं कि होम मिनिस्टर व डिप्टी मिनिस्टर होम ऐलेक्टेड होना चाहिये। ये लोअर हाउस के होने चाहिये और अपर हाउस के नहीं होने चाहिये ...

एक सदस्य—

श्री नवलकिशोर जी को बना दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा—

नवलकिशोर जी को बना दिया जाय। उन्होंने भी देश की आजादी के लिये खून बहाया है। देश की आजादी के लिये जिसने खून बहाया है वही देश की सुरक्षा कर सकता है। मुझे अफसोस है कि सुचेता जी ने न तो पार्टीबन्दी समाप्त की और न शासन को जैसे सम्भालना चाहिये वैसा ही उन्होंने सम्भाला। उनकी इच्छा हो सकती है, लेकिन उस कंट्रोल के कारण वह असफल रहीं। श्रीमन्, प्राइसेस बढ़ीं और उनकी चर्चा बराबर सदन में हुआ, लेकिन उसकी या अनइम्पलायमेंट की कोई चर्चा अभिभाषण में नहीं है। राज्यपाल महोदय ने इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा। मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जब नया एलेक्शन हो कर आये केवल उस समय होना चाहिये। हर साल इसका होना ठीक नहीं है। हमने प्लानिंग को अपनाया है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन् कुछ समय और दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके १३ मिनट हो गये हैं और २ मिनट बाकी हैं, बहुत से बोलने वाले हैं, जरा जल्दी कर दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे प्रदेश की क्या हालत है उसका जिक्र हुमायूं कबीर जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में किया था। मैं कहूंगा कि यदि हमारे मुख्य मंत्री इसी प्रकार से बनते रहें तो आज जो हमारा प्रदेश देश में १४वें स्थान पर है, वह नागा लैंड और हिमांचल प्रदेश से भी पिछड़ कर १६वें स्थान पर आ जायगा। हमने तीन योजनायें देखी हैं। तीसरी योजना के दो वर्ष समाप्त हो रहे हैं। इसमें क्या एचीवमेंट हुआ है उसका जिक्र पार्लियामेंट में हुआ है। अभी केशव गुप्त जी ने कहा कि हमारा ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन जहां हमने प्रायरिटी फिक्स की वहीं हम पीछे हटते गये हैं। हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन

[श्री नेकराम शर्मा]

उनके अमल के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाते। ऐसे व्यक्ति को ऐग्रीक्लचर कमिश्नर बना दिया जाता है जिसे एग्रीक्लचर का कोई ज्ञान नहीं होता। और राम सहाय जी को, जिन्होंने एक योजना बनायी थी विभाग का रिआर्गनाइजेशन करने की और कहा था कि यदि इसमें असफलता मिले तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाय, ऐसे व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाता है। आज होता यह है कि रोज विभागों के सेक्रेटरीज बदलते जाते हैं। आपको चाहिये कि उन पर आप जिम्मेदारी फिक्स करें और ५ या १० साल के लिये एक विभाग उनको दीजिये। अगर उसमें असफलता हो तो उनको खींचा जाय। लेकिन यहां तो आज जो ऐग्रीक्लचर कमिश्नर है कल वही इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी हो जाता है। इस तरह से प्लान नहीं चलता। श्रीमन्, जितना रुपया हमने खर्च किया है उसे देख कर मुझे निराशा होती है। प्रदेश की हालत बहुत गम्भीर है और मैं चेतावनी देता हूं कि यदि प्रदेश का शासन ठीक नहीं हुआ, प्रदेश की गरीबी नहीं मिटी तो इस प्रदेश में जो अन्दरूनी आग भड़क रही है वह ऐसी क्रान्ति लायेगी कि जिस से कौन बच बचेगा कौन नहीं, इसे कोई नहीं जानता। आज जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। हम भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन हमने उसमें कितनी सफलता पायी है? जनता आज शासन से क्षुब्ध है और वह दिन दूर नहीं है कि वह आपको उस जगह पहुंचा देगी कि जो आप डिजर्व करते हैं।

मैं आप से निवेदन कर रहा था कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्भाषण में कहा है कि हमारा उद्देश्य समाजवादी राज्य की स्थापना है। माननीय अहमद साहब ने कहा कि भुवनेश्वर में समाजवादी समाज की स्थापना करने का संकल्प किया गया है, लेकिन इस अभिभाषण में तो समाजवादी समाज की नहीं बल्कि समाजवादी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना तथा अन्तिम ध्येय जनता का कल्याण करना है, इसलिये कृषि उत्पादन को बढ़ाना तथा शीघ्रता से उद्योगीकरण करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। आगे उन्होंने कृषि गृह उद्योगों की और सिंचाई योजनाओं का जिक्र करते हुये कहा कि उस ओर "अब" विशेष ध्यान दिया गया है। १२ साल तक तो ध्यान दिया ही नहीं गया, अब हमने विशेष ध्यान दिया है। दो योजनायें समाप्त हो गयीं, लेकिन आपके टार्गेट अचीव नहीं हो पाये। गवर्नमेंट उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करके सजा दे। मेरा निश्चित मत है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आपकी इस नीति से नहीं बढ़ सकता जब तक इस विभाग का आप रिआर्गनाइजेशन न करें। आपने खाद दे दिया, लेकिन पानी नहीं है। पहले प्लानिंग के जमाने में इर्रीगेशन के मामले में १,००० एकड़ लिमिट रखी थी, लेकिन जब पानी नहीं पहुंच पाया तो ५०० एकड़ कर दिया है। ट्यूबवेल कमेटी की रिपोर्ट है कि ३०० एकड़ से ज्यादा इर्रीगेशन नहीं कर सकते, तो ५०० एकड़ रखने से क्या फायदा? किसानों को कुएं नहीं बनाने दिये और कोई इर्रीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की। इस तरह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और न प्रदेश धनवान बन सकता है।

प्रदेश में पावर पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इसके लिये मैं बधाई देता हूं, लेकिन जब तक काटेज इंडस्ट्री को साइड-बाई-साइड रन नहीं करते हैं एग्रीकल्चर के और लैंड के ऊपर से प्रेसर कम करके इंडस्ट्री में लोगों को नहीं लाते हैं तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। यही समय है, अगर इस समय को उन्होंने सोच-समझ कर, बहुत जल्दी, तत्परता से और तीव्रता से कार्य नहीं किया तो सन् ६७ में क्या होगा? उस से पहले ही यह सरकार यहां नहीं रहेगी और मान्यवर, मैं सरकार से और खास तौर से सुचेता कृपालानी से मांग करता हूं कि वह इस्तीफा दे दें और यहां से तुरन्त चली जायं।

(श्री जगवीरसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

मैं कल से बराबर उठ-बैठ रहा हूं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, मैं मिला भी और आपने कहा कि मौका दूंगा लेकिन एक आदमी बोला है हमारा कल से आज तक।

श्री उपाध्यक्ष—

सब बोल ही रहे हैं। आप बैठ जाइये।

श्री बंशी लाल—

मैं आपके इस निर्णय के विरुद्ध वाकआउट करता हूं।

(श्री बंशीलाल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

आपको हमें भी टाइम देना चाहिये, क्योंकि आपने एक माननीय सदस्य, श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर को बोलने का मौका दे कर उनको यह कहने का अवसर दिया कि उत्तर प्रदेश असेम्बली में माननीय मुकन्दीलाल के अलावा गढ़वाल का और कोई दूसरा सदस्य नहीं है। इसलिये मैं भी बोलने का समय चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह किसने कहा ? आप बैठ जाइये।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर सुशीला रोहतगी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो अभिभाषण पर उन्होंने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से अपने मित्रों के भाषणों को सुना, और विशेष कर उन मित्रों का जो समाजवाद की बड़ी दुहाई यहां सदन में दिया करते हैं और सदन के बाहर भी दिया करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह दावा नहीं करता कि मैं समाजवाद का पंडित हूं, मगर एक विद्यार्थी के रूप में मैंने उसको पढ़ा है। मैंने समाजवाद की बहुत सी परिभाषायें पढ़ीं, मगर कहीं ऐसी परिभाषा नहीं पढ़ी जिसमें यह लिखा हो कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय वाक आऊट किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से देश में समाजवाद नहीं लाया जा सकता। अगर देश में समाजवाद हमारे मित्र लाना चाहते हैं तो उनको चाहिये कि वे हमारे साथ कदम बढ़ायें, उनका कर्तव्य है कि वे अपने नेताओं से सबक सीखें, अशोक मेहता, जिनको कि समाजवाद का पंडित कहा जाता रहा है, उनसे सबक सीखें। आज चूंकि वे कांग्रेस के साथ सहयोग दे रहे हैं, आज उनको निकाले जाने की बात की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, वे जानते हैं कि कांग्रेस का समाजवाद यूटोपियन समाजवाद नहीं है, प्रैक्टिकल समाजवाद है। हालांकि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भुवनेश्वर प्रस्ताव का जिक्र नहीं है, किन्तु उसमें यह स्पष्ट है कि हम समाजवाद की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। मैंने देखा कि जितने हमारे मित्र समाजवाद के पक्ष में बोल रहे थे उनको कामराज यमराज मालूम हो रहे थे, उनको यह डर हो रहा था कि कहीं उनके जमाने में ही समाजवाद की स्थापना न हो जाय। मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारा समाजवाद कैसा ही क्यों न हो, उससे आज हमारे मित्रों को यह अकल आ गयी है कि जब तक हम एक नहीं होंगे, समाजवाद नहीं आयेगा। भुवनेश्वर के बाद लोगों ने समझा है कि उनको एक होना चाहिये। भुवनेश्वर में हम कुछ कर पाये हों या न कर पाये हों, मगर इतना तो अवश्य कर पाये हैं कि आज यह भावना पैदा हो गयी है कि सब समाजवादी शक्तियों को एक हो जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को बधाई देना चाहता हूं, विशेषकर इसलिये कि उन्होंने अपने अभिभाषण में करप्शन का जिक्र किया है। गलती को मान लेना कोई बुरी बात नहीं होती। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि करप्शन नहीं है। हमने कब कहा कि हमने करप्शन को खत्म कर दिया है। करप्शन है, लेकिन उसको रोकने के लिये कदम उठाना है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि खाली विजिलेन्स कमेटी की स्थापना से ही करप्शन दूर नहीं होगा। डाक्टर जेड० ए० अहमद ने जो नान आफिशियल की कमेटी बनाने

[श्री जगवीरसिंह]

का सुझाव दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर विजिलेन्स कमेटी ही बनानी है तो इस सदन के २०–२५ अच्छे सदस्यों को चुन कर उनकी एक विजिलेन्स कमेटी बनानी चाहिये, उससे आपको कुछ सफलता मिल सकेगी। विजिलेन्स कमेटी एक नहीं, आप अनेक बनावें, लेकिन उसके तरीके ऐसे हैं कि सालों निकल जाते हैं और हम कोई ठोस काम नहीं कर पाते हैं। जब कभी करप्शन को दूर करने की बात हमने सोची है तो उस आदमी के बारे में सोची है जो कि बहुत अल्प वेतन पाता है। आज कहा जाता है कि करप्ट है हमारा थानेदार, आज कहा जाता है कि करप्ट है हमारा सिपाही, कहा जाता है कि करप्ट हैं हमारे कचहरी के कर्मचारी, परन्तु गजटेड अफसरों का करप्शन दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? अगर सरकार ऊपर के अफसरों को ठीक कर सके, अगर मंत्री जी यह बचन दे सकें कि वह आई जी० और डी० आई० जी० वगैरह के करप्शन को दूर करेंगे तो मेरा विश्वास है कि कम से कम ५० फीसदी करप्शन तो दूर हो ही जायगा। भले ही सारा करप्शन दूर न हो।

यह कहा गया कि हमारे प्रदेश में पैदावार नहीं बढ़ी है। दो प्लान खत्म हो कर तीसरे प्लान के तीसरे वर्ष में हम चल रहे हैं तो यह बड़े दुख की बात है कि हमारी पैदावार नहीं बढ़ी है। हमारे प्रदेश में ७३ फीसदी आदमी खेती पर निर्वाह करते हैं और पैदावार न बढ़े तो प्रदेश गरीब ही होगा। अमीर नहीं होगा। इस प्रकार कैसे समाजवादी समाज की स्थापना होगी? जब खाने के लिये और पहनने के लिये नहीं होगा तो हम समाजवादी समाज की स्थापना करने में सफल नहीं हो सकते। लेकिन हमको यह जरूर देखना होगा कि हम कहते हैं क्या, और करते हैं क्या। क्या सरकार सच्चे मानों में प्रयत्नशील है कि हमारी पैदावार बढ़े? कहा गया कि हम एक एग्रीकल्चर–कम-प्रोडक्शन कमिश्नर बना रहे हैं जो कि डिपार्टमेन्ट्स का कोआर्डिनेशन करेंगे। डाक्टर रामसुभगसिंह की रिपोर्ट में कहा गया कि कोआर्डिनेशन होना चाहिये। क्यों नहीं हमारी मुख्य मंत्री जी ऐलान करती हैं कि एक मिनिस्टर के मातहत तमाम विभाग जिनका पैदावार से सम्बन्ध है होंगे? वह स्वयं ही उन महकमों को ले लें। एक सेक्रेटरी को ३,४ मिनिस्टरों के मातहत काम करना होगा, उस बेचारे गरीब की क्या हालत होगी? अगर हम चाहते हैं कि पैदावार बढ़े तो जिस बात को महसूस करते हैं उसे करना चाहिये। आज कृषि के उत्पादन का काम न मालूम कितने विभागों में बंटा हुआ है। कृषि चरणसिंह जी के पास, गन्ना मुख्य मंत्री के पास, कम्युनिटी डेवलपमेन्ट राममूर्ति जी के पास और सिंचाई गिरधारीलाल जी के पास हैं। इस कोआर्डिनेशन के सिद्धांत को ठीक तरह से लागू किया जाय, उसे साइडट्रेक करने वाली बात न की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े जोर से कहा जाता है कि हम कृषि की पैदावार बढ़ावेंगे। मैं बधाई देता हूं माननीय शान्तिप्रपन्न जी शर्मा को, विशेषकर इसलिये कि उन्होंने सेवा की है इस प्रदेश की एक मानी में। जब हम रेड–टेप में पड़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें नो–आब-जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। उन्होंने बड़ी उदारता के साथ हम लोगों के कहने से प्रदेश में बिजली बांटी, वहां ट्यूबवेल लगवाये। जहां ट्यूबवेल लगे वहां पैदावार बढ़ी। मैं अपने क्षेत्र और जिले के लिये खास तौर से इस बात को कहने के लिये तैयार हूं। लेकिन आज हमारी सरकार ने उस नीति को बदल दिया है और उसने यह कहा कि हमने ट्यूबवेल को बिजली देकर गलती की। हम बिजली तभी देंगे जब सरकारी अधिकारी उसको रिकमेंड करेंगे। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस नीति में परिवर्तन करें। आज किसान को नोआबजेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। जिस दिन से आपने उस नीति को बंद किया है एक भी ट्यूबवेल को बिजली नहीं मिली है क्योंकि कोई नो आबजेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। किसान पैदावार बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप न तो उसको सरकारी ट्यूबवेल देना चाहते हैं और न बिजली ही देना चाहते हैं, इसके अलावा जिन दरों पर इंडस्ट्री को आप बिजली देते हैं उससे ज्यादा दरों पर किसानों को देते हैं। आज फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिये गये हैं, ट्रैक्टर के तेल के दाम बढ़ा दिये गये हैं। किसान हाहाकार कर रहा है। किसानों का विश्वास सरकार

पर से उठता जा रहा है, उसको पैदा करने का सरकार को फिर से प्रयत्न करना चाहिये। जिससे किसान यह समझ सके कि सरकार हमारी है और हमारी भलाई के लिये है। उसी समय किसान अपनी पैदावार को बढ़ा सकता है लगन के साथ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि पंजाब वाला अपने को पंजाबी कह सकता है, बंगाल वाला बंगाली कह सकता है लेकिन यू० पी० वाला अपने को यू० पी० वाला नहीं कह सकता। उसी प्रकार से हमारी हालत है। हम पश्चिमी जिलों के रहनेवाले किसान अपनी कुछ भी बात नहीं कह सकते। लेकिन आज इस सरकार का हमारी तरफ के किसानो के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार है। गुड़ पर रोक लगाकर विशेषरूप से पश्चिमी जिलों के किसानों के साथ इस सरकार ने बड़ा अत्याचार किया है और जबकि उनकी मालदारी का समय था, उससे उनको वंचित कर दिया है। इसके अलावा राज्यपाल महोदय के भाषण में मैंने बहुत तलाश किया लेकिन इसका उसमें कोई जिक्र नहीं है कि पश्चिमी जिलों में कोई यूनिवर्सिटी भी खोली जा रही है या कोई जुडीशियल बेंच मेरठ में भी खोली जा रही है। इलाहाबाद व लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच कायम हैं, लेकिन मेरठ में नहीं खोली जाती है। वहां का किसान भागा हुआ इलाहाबाद जाता है। मैं मांग करता हूं कि लखनऊ की बेंच को तोड़ कर मेरठ में कायम कर दी जाय। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसको यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट को समाप्त कर देना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं सुशीला रोहतगी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यदि किसी प्रकार की कमी रह जाय तो उस पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार और उसके हाथों से यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में इस कदर महंगाई भ्रष्टाचार, गरीबी, बीमारी बढ़ी हुई है कि उनको रोकने के लिये हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इन १५ वर्षों में हमारे प्रदेश की तनज्जुली ही हुई है।

यह मानते हुये कि हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में यह कहा है कि हम प्रदेश के उत्थान के लिये हरिजन व बैकवर्ड क्लास के लिये कुछ इस तरह के कार्य करना चाहते हैं जिससे उनकी आर्थिक दशा सुधरे। जहां तक उनकी आर्थिक दशा के सुधारने का सम्बन्ध है, अगर आप ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश राज्य में इस प्रदेश के हरिजनों व पिछड़ी जाति के लोगों की स्थिति ज्यादा अच्छी थी बनिस्बत इस कांग्रेसी लोकतन्त्र के। मिसाल के तौर पर मैं बतला दूं कि आगरा जिले में ब्रिटिश टाइम में जूते का उत्पादन इतना ज्यादा था कि वहां के जूते न सिर्फ पूरे हिन्दुस्तान में बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक तमाम दुनिया के दूसरे देशों को भी गये और वहां कोई बेकारी नहीं थी। आज वहां तक दो तिहाई इंसान सिर्फ आर्थिक साधन न होने के कारण अपने उत्पादन में पिछड़ गये हैं और वह उद्योग सिर्फ व्यक्तिगत और प्राइवेट सेक्टर में ही रह गया है, पब्लिक सेक्टर में यह उद्योग नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह वहां पर कोई पब्लिक सेक्टर में उस उद्योग के लिये बड़ा कारखाना कायम करे जिससे वहां के प्रोडक्शन को प्रोत्साहन मिले और वहां के जो छोटे-छोटे काटेज इन्डस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं उनके उत्पादन के लिये समुचित बाजार और मारकेट मिल सके जिसमें उन्हें उसका मुनाफा और उनके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके।

एक तरफ सरकार और हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से यह प्रतीत होता है कि हमारे इस प्रदेश में बिलकुल समानता है, किसी में जाति-पांति का कोई भेद-भाव नहीं है, लेकिन मैं आगरा जिला के ही एक नगर की बात बतलाता हूं जहां एस० आर० के० इन्टर कालेज नाम की एक शिक्षण संस्था है। वहां पर सब लड़कों के लिये एन० सी० सी० कम्पलसरी है। आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें सब को उसकी ट्रेनिंग लेनी होती है। एन० सी० सी० की जब परेड हुई तो प्रत्येक लड़कों से दो-दो रुपये लेकर एक सहभोज का प्रबन्ध किया गया। जैसे श्री सुभाष-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवान दास माहेवन्दु]

चन्द्रजी आई० एन० ए० वालों का सहभोज करते थे। सब लोग मिल जुल कर खाना बनाते थे और सभी एक साथ मिल कर भोजन करते थे। किसी में किसी तरह का कोई भेद-भाव नहीं होता था। लेकिन वहां जब एक परिगणित जाति के लड़के ने दो तीन लड़कों को खाना परोस दिया तो तमाम लड़के खाना छोड़ कर उठ गये और उन्होंने उस लड़के को बहुत मारा पीटा, उसे चोटें भी लगी हैं। बाद में जब और परिगणित जाति के लड़कों को मालूम हुआ तो उन सब ने उसके विरोध में वहां से वाक आउट कर दिया और उन्होंने वहां के पुलिस स्टेशन पर जाकर उनको तथा कालेज अथारिटी व प्रान्त की अथारिटी, चीफ मिनिस्टर तथा हरिजन मिनिस्टर व तमाम दूसरे मिनिस्टर व सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को भी लिखकर भेजा, परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाद में उस लड़के के ऊपर कुछ चार्ज लगा कर उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

जब यह ऐलान किया जाता है कि हमारे देश पर बाहरी दुश्मन के आक्रमण का खतरा है, तो उधर के बैठने वाले इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि यह हंसने की बात नहीं है। यदि आपने इस देश से ऊंच-नीच के भेद भाव को नहीं दूर किया तो आप समझ लें कि आप कभी भी दुश्मन से नहीं जीत पायेंगे और आपकी सुरक्षा बराबर खतरे में रहेगी। जब तक इस देश में कुछ लोगों के साथ जानवर व कुत्ते का सा व्यवहार किया जायगा और सब को समानता का अधिकार नहीं दिया जायगा, तब तक इस देश में समाजवाद नहीं आ सकता। इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिये और इस पर आपको शर्म आनी चाहिये। यह इस तरह से हंसने की चीज नहीं है। प्रदेश की बढ़ी हुई मंहगाई, गरीबी, भुखमरी और जातिवाद ने जो प्रदेश को हानि पहुंचाई वह आज किसी से छिपी नहीं है। यह कोई अच्छी चीज नहीं है और अगर इस को दूर नहीं किया गया और इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि हम बहुत पीछे रह जायेंगे। जहां तक भाषा का प्रश्न है मैं भी इस पक्ष में हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी ही होना चाहिये और उसका ही मैं भी हामी हूं लेकिन संस्कृत की भाषा के प्रभाव से जो उसकी क्लिष्टता है वह दूर होना चाहिये। हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिये जिस को आम जनता समझ सके। इस के अलावा उर्दू जबान को भी क्षेत्रीय भाषा करार देना चाहिये क्योंकि उस के पढ़ने-लिखने वाले भी इस प्रदेश में काफी रहते हैं।

आपके द्वारा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी एक सप्ताह पहले हमारे प्रदेश में शीत लहर आई और उस से हमारे यहां प्रदेश में करीब सौ मौतें हो गईं। वह गरीब जिन के पास जाड़े से बचने के साधन नहीं थे, न पहनने ओढ़ने को था और न तापने के लिये लकड़ी थी वही लोग उसके शिकार हुये। मेरे अपने जिले में ही २५ मौतें शीत लहर से हुई हैं ऐसी सूचना विभाग की रिपोर्ट है। ऐसे लोगों की ही मौतें हुई हैं जिन के पास खाने को रोटी, पहनने ओढ़ने को कपड़ा और तापने को ईंधन नहीं था। इस प्रदेश में एक ओर तो मन्त्री जी और लखपति लोग कारों पर चलते हैं, हवा में उड़ते हैं और यहां दस-दस तरह के गर्म कपड़े रोज बदलते हैं और दुनिया भर के ऐश करते हैं और यहां हर वक्त समाजवाद की बात करते हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का नारा लगाते हैं वहां दूसरी तरफ इस तरह से इन्सानों की जिन्दगी शीत लहर की शिकार बनती है यह कहां का समाजवाद है? लाखों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। कहने के लिये आप समाजवादी हैं, लेकिन आप अपनी ओर कभी नहीं देखते आप लाखों रुपया अपने एलेक्शन में खराब कर देते हैं, हिसाब १५ हजार का देते हैं, लेकिन इन गरीबों की तरफ आपकी नजर नहीं जाती। अगर आप ज्यादा रुपया हिसाब में दिखा दें तो आप का एलेक्शन गैर कानूनी करार दे दिया जायगा।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव

के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि बेरोजगारी को दूर करने हेतु समुचित व्यवस्था . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

उस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप भाषण दें।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल—

हमारे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाने के लिये कोई जोर नहीं दिया गया है। हमारे यहां लघु उद्योगों को बढाया जाना चाहिये था जिससे कि बेरोजगारी दूर होती। यहां पर लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिये लम्बी चौड़ी बातें की जाती हैं। डायरेक्टरेट है, अफसरों की पलटन है, लेकिन जब भी जनता का कोई आदमी वहां परामर्श लेने के लिये जाता है तो उसको वहां कोई भी सही सलाह नहीं दी जाती है, कोई नहीं बताता कि तुम को रा-मेटीरियल मिल सकेगा या नहीं। अगर कोई नया आदमी किसी उद्योग में अपनी पूंजी लगा भी देता है तो वह डायरेक्टरेट उस को किसी तरह की सुविधायें भी प्रदान नहीं करता। मैं आप को अपना ही केस बतलाता हूं। मरा भी एक छोटा सा लघु उद्योग लखनऊ में है, मैं उस को कुछ थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता था, मैंने जिला उद्योग अधिकारी के द्वारा डायरेक्टरेट को अप्लाई किया कि मुझे फलां फलां सामान मिल जाय ताकि मैं अपने उद्योग को कुछ आगे बढ़ा लूं। २ अप्रैल को प्रार्थना-पत्र भेजा और उसका जवाब ३१ अक्तूबर को आता है इनकार में। आप समझ सकते हैं किस प्रकार राज कर्मचारी काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो तो लघु उद्योग को बढ़ाइये और उसको प्रोत्साहन देने के लिये जो इंडस्ट्रीज अफसर हैं उन पर जिम्मेदारी डालिये और उनके कैरेक्टर रोल में इस बेसिस पर ऐंट्री होनी चाहिये कि उसके जिले में कितने लघु उद्योग नये लगे। अगर आप विभिन्न विभागों से आंकड़े मंगायें और इकोनोमिक्स विभाग से मंगायें तो दोनों में भिन्नता पायेंगे, ऐसी हालत प्रदेश में है। ऐसे समय में हम सब को मिल कर प्रयास करना चाहिये तभी खराबियों को दूर कर सकते हैं और तभी कामयाबी होगी।

दूसरा कारण यह है कि हम चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार है। लेकिन सीधी-सी बात सरकार स्वीकार नहीं करती। आप एक समय नियत कर दें कि यदि कोई आदमी प्रार्थना-पत्र देता है किसी प्रकार का जिलाधीश को तो उसका जवाब उसके पास हां या नहीं में १५ दिन के अन्दर पहुंच जाना चाहिये। वह प्रार्थना-पत्र चाहे परमिट के सम्बन्ध में हो, चाहे लाइसेंस के सम्बन्ध में हो, चाहे किसी चीज के बारे में हो उसको अपने प्रार्थना-पत्र का नतीजा मालूम हो जाना चाहिये। और जब समय के अन्दर उसको मालूम हो जायगा तो वह काहे के लिये किसी को रिश्वत देगा। जब हम ऊपर के अफसरों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जिलाधिकारी जवाब ही नहीं भेजते हैं। ऐसा ही सचिवालय में भी करना पड़ेगा कि जब कभी कोई किसी का प्रार्थना-पत्र किसी मिनिस्टर या सेक्रेटरी के पास आये तो ३ महीने के अन्दर उसको जवाब मिल जाना चाहिये। यह नहीं कि आपके प्रार्थना-पत्र पर विचार हो रहा है। बल्कि जो चीज उसने मांगी है वह उसको मिलेगी कि नहीं, इसका साफ जवाब उसको ३ महीने में मिल जाना चाहिये। अगर ऐसा हो जायगा तो अपने आप की ५० फीसदी करप्शन दूर हो जायगा। लेकिन अफसोस है कि हम लोग इस तरफ कोई तवज्जह नहीं देते। जितने काम सरकार ने किये हैं वह सब अच्छे किये हैं लेकिन उसमें तरक्की करने के लिये कुछ नये कदम उठाने चाहिये। मेरे विचार से अगर यह कदम उठाये जायेंगे जो मैंने बताये, तो जरूर तरक्की होगी।

जहां तक उद्योग-धंधों का सम्बन्ध है मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा। उसमें जिक्र है कि कई फैक्टरियां लगायी गयी हैं लेकिन उन फैक्टरियों का लगाना केवल कागज में है। उद्योगीकरण के सम्बन्ध में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट हमारे प्रदेश के साथ स्टैप मदरली ट्रीटमेंट करती है।

[श्री किशोरीलाल अग्रवाल]

उसके लिये हमारे प्रदेश की सरकार को रिप्रेजेन्टेशन बनाकर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को भेजना चाहिये कि यह स्टैप मदरली ट्रीटमेंट क्यों है । जितने कोटे की उनको जरूरत है उसका गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ७० प्रतिशत से ज्यादा नहीं देती तो प्रदेश में बेरोजगारी न बढ़े तो और क्या होगा । जब इन्डस्ट्रीज साल में ३६५ दिन नहीं चलेंगी और उनको जो रा-मैटीरियल की जरूरत है नहीं मिलेगा तो अपने आप ही प्ले औफ हो जायेंगी ।

इससे पिछड़ी हालत हमारे प्रदेश में स्माल इन्डस्ट्रीज की है । स्माल इंडस्ट्रीज का कोटा १० परसेन्ट से ज्यादा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट नहीं देती । जबकि बंगाल, आगे बढ़ रहा है, मद्रास आगे बढ़ रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश पीछे हटता चला जा रहा है । हम को यही नहीं मालूम कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट जो कोटा देती है हमारे प्रदेश को वह पापुलेशन के आधार पर देती है या वह इसके आधार पर देती है कि प्रदेश में कितनी इन्डस्ट्रीज़ लगी हैं । इसका मापदंड क्या है । इसको बताया जाय । तो इसलिये हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इसके लिये लड़े । मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह भी संकेत किया होता कि जिन लोगों को १०० रु० से कम बेतन मिलता है उनके बच्चों को शिक्षा हाई स्कूल तक मुफ्त देने का प्रबन्ध किया जाय । यह समय की मांग है । हमारे शहर में प्रशासन का हाल तो बड़े गजब का है । यहां के अधिकारी बहुत ज्यादा रेडटेपिज्म में विश्वास करते हैं । आज के जमाने की मांग है कि रेडटेपिज्म खत्म किया जाय लेकिन क्या सैक्रिटे-रियट और क्या जिले में रैडटेपिज्म बहुत बढ़ता चला जा रहा है । नगर में मकानों की समस्या भी अत्यन्त गम्भीर है । महापालिका और सरकार द्वारा जो मकान बनाये जा रहे हैं उनका किराया ९०-९० रुपये है । स्पष्ट है कि जो लोग बड़े-बड़े हैं केवल उन्हीं के लिये मकान बनाये जा रहे हैं । यदि निम्न कर्मचारियों के लिये मकान बनाये जायें तो उनका किराया १०-१० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये । जिन कर्मचारियों को केवल १००-७० रुपया तनख्वाह का मिलता हो वे किस प्रकार मकान पा सकते हैं । यह कितनी लज्जा की बात है । अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आशा करूंगा कि इस बजट में निम्न वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये ज्यादा से ज्यादा मकान बनवाये जायें । हमारे खाद्य मंत्री जो हैं वे शहर में ही रहते हैं पर उनको नहीं मालूम कि गल्ला लेने में नागरिकों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । क्योंकि उनको कोई माल स्वयं खरीदने नहीं जाना पड़ता है । उनके बाल बच्चों को भी नहीं जाना पड़ता इसलिये उन्हें नहीं मालूम होता कि कितनी तकलीफ उठाकर राशन प्राप्त हो पाता है ।

अन्त में मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो कृतज्ञता का प्रस्ताव आया है और उस पर जो संशोधन पेश किया गया है उसका समर्थन करने हेतु मैं खड़ा हुआ हूं । दोनों तरफ से इस प्रस्ताव के समर्थकों तथा संशोधन के समर्थकों ने अपनी-अपनी बातें सदन के सामने रखीं और बहुत सी बातें ऐसी थीं जिनमें समता थी ।

हमारे प्रान्त में जो कमियां हैं उन्हीं के विषय में मैं भी कुछ कहना चाहूंगा खास कर जिस क्षेत्र से, महोबा से, मैं चुन कर आया हूं जो कि प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ इलाका है उसके सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं । सरकार की नजरों में वह बहुत गिरा हुआ क्षेत्र है । होना तो इसके विपरीत चाहिये कि जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ हो उधर सरकार का ध्यान ज्यादा जाना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं है । अब तक न उसका विकास हुआ, न वहां के लोग शिक्षित हो सके और इस प्रकार यहां का मामला उल्टा है ।

राज्यपाल महोदय ने शान्ति तथा व्यवस्था की ओर संकेत करते हुये कहा है कि वह प्रदेश में अच्छी है लेकिन मैं कहूंगा कि बुन्देलखंड में दिन दहाड़े कत्ल होते हैं और आप देखें कि

तहकीकात भी पुलिस किस तरह से करती है ? रिश्वत के बल पर कार्य होता है और कत्ल के मामलों में कातिल रकम दे दें तो वह छूट जाता है और दूसरे लोग फांस दिये जाते हैं। अगर कोई इस रिश्वतखोरी के खिलाफ शिकायत करता है तो उसे किसी न किसी मामले में फांस कर परेशान किया जाता है और ऐसे कई मामले हमारे यहां चल भी रहे हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का जो अत्याचार हमारे क्षेत्र में पुलिस द्वारा हो रहा है उसे समाप्त किया जाय लेकिन सरकार के सामने भी उसे समाप्त करने का एक ही तरीका है कि शिकायत उन्हीं अधिकारियों के पास वह भेज देती है जिनके खिलाफ वह शिकायत होती है और नतीजा यह होता है कि हम लोग परेशान किये जाते हैं। वहां पर ऐसे कई इस्तगासे सब-इंस्पेक्टर्स के खिलाफ दिये गये लेकिन उनके मुकाबिले वहां की पब्लिक पैरवी नहीं कर सकी क्योंकि हमारा ताजीरात हिन्द इस तरह से बना हुआ है जिसमें बड़े लोग ही उसकी पैरवी कर सकते हैं। एक सब-इंस्पेक्टर के मुकाबिले में मामूली नागरिक के लिये बड़ा मुश्किल है कि उसके खिलाफ शहादत दे सके। जब तक उसको ऊपर से कोई सहायता न दी जाय तब तक इस भ्रष्टाचार को हम समाप्त नहीं कर सकते।

कहा गया कि समाजवाद आये। समाजवाद एक ऐसा मीठा शब्द है जो हमेशा कहा जाता रहा है और अब भी कहा जाता है। लेकिन हमारा प्रान्त और देश जिस जगह पहले था उसी जगह आज भी है हालांकि कई योजनायें समाजवाद की चल चुकीं। हमारे बापू के आजादी लाने के बावजूद भी हमने यह देखा कि हमारे गरीब आदमी आज भी यह महसूस करते हैं कि हम आजाद नहीं हैं। अगर इसी तरह का समाजवाद आना है कि वह सिर्फ पढ़े लिखे लोगों और कुछ ऊंचे लोगों के लिये ही आये और जो हमारे पिछड़े हुये लोग हैं उन तक समाजवाद न आये तो ऐसे समाजवाद को मैं समाजवाद नहीं समझता। यह मन्शा हमारे बापू की भी नहीं थी। उनकी तो यह मंशा थी कि हमारे गांव का किसान इस देश का प्रधान मंत्री हो। आज बड़ा आदमी और बड़ा हो रहा है और छोटा आदमी और छोटा हो रहा है। यह सभी लोग जानते हैं लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

यही हालत कचेहरियों की है। एक प्रार्थना-पत्र देने के बाद ६-६ महीने तक उसका कोई जवाब नहीं मिलता, रिश्वत देते-देते लोग परेशान हो जाते हैं मगर इसका कोई हल नहीं निकाला जाता। अगर यही हालत रही तो जो लोग शक्तिवान नहीं हैं वे आपके प्रदेश में रह भी सकेंगे इसमें संदेह है।

अभी-अभी बड़ी भारी शीत लहरी आयी और खासतौर से मेरे क्षेत्र में फसल का बड़ा नुकसान हुआ लेकिन आजतक वहां किसी लेखपाल ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि वहां पाला पड़ा और आपकी गवर्नमेन्ट लेखपाल की रिपोर्ट मांगती है। जिलाधीश कहता है कि लेखपाल की कोई रिपोर्ट नहीं आयी चूंकि वह गांव में रहता है। तो लेखपाल या सुपरवाइजर कानूनगो को माध्यम बना कर इन चीजों का अगर निर्णय करेंगे तो यह बड़ी मुश्किल है। दूसरे किसी के बजाय आप खुद देखिये, जिलाधीश से पूछिये। लेकिन जिलाधीश का तो यही तरीका है कि वह तहसीलदार से पूछेगा और तहसीलदार सुपरवाइजर कानूनगो से पूछेगा और सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल से पूछेगा। नतीजा यह होगा कि कहीं दो आने और कहीं तीन आने नुकसान दिखाने के बाद काश्तकार को कुछ नहीं मिलेगा। जो आंकड़ों का तरीका है उसके हिसाब से किसान को कुछ मिलता ही नहीं। तो आप गौर से इसको देखें और जहां नुकसान ज्यादा हो वहां काश्तकारों को छूट और उसके साथ तकावी आदि का प्रबंध करें क्योंकि बुन्देलखंड ऐसा प्रदेश है जहां बहुत गल्ला पैदा होता है। ऐसी बात नहीं है। हमारे जिले में बहुत ज्यादा गल्ला पैदा होता है और वहां गल्ले का उत्पादन अधिक बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि हम उत्पादन बढ़ाने का बराबर प्रयास करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस ओर कोई प्रयास नहीं किया जाता है। जितना किसान उत्पन्न कर सकता है उतना ही उत्पादन होता है। इसके अलावा न आपका विकास विभाग कुछ करता है और न नहर विभाग पानी ही देता है और न कोई सुविधायें ही किसानों को दी जाती हैं। मैं खुद इंजीनियर के पास गया और मैंने उससे कहा कि कई गांव ऐसे हैं जिनको सिंचाई के लिये पानी

[श्री मदनपाल सिंह]

नहीं मिल पाता है। इसलिये एक मायनर निकाल दीजिये। उसने इसको मंजूर कर लिया, चीफ इंजीनियर ने भी मंजूर कर लिया। लेकिन बाद में दूसरा इंजीनियर आया तो उसने इसको बफना दिया। जब मैंने असेम्बली में सवाल किया तो उसका यह जवाब आया कि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हुआ। असेम्बली की बैठक का भी समय समाप्त हो गया। अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३३ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
५ फरवरी, १९६४।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५० पर)

तालिका (क)

इम्प्लाइज प्राविडेंट फंड स्कीम के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९६३ तक के अंशदानों (Contribution) का २० जनवरी, १९६४ तक भुगतान न करने वाले कानपुर के संस्थानों के नाम तथा उनके विरुद्ध अनुमानित बकाया धनराशि ।

क्रम-संख्या	संयोजक का नाम	बकाया धनराशि
		रु०
१	म्योर मिल्स कम्पनी लिमिटेड	८,१४,०३८.०१
२	न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३,१२१.८८
३	कानपुर रोलिंग मिल्स	१३,९४४.५०
४	जगदीश रोलिंग वर्क्स	५१४.५०
५	कानपुर प्लेट मिल्स	४,६३२.५०
६	यू० पी० रोलिंग मिल्स	८,१४५.००
७	कन्टीनेन्टल इन्जीनियरिंग वर्क्स	९,३८५.००
८	महेश्वरी देवी जूट मिल	२,२५,८६१.८०
९	लीला इंजीनियरिंग वर्क्स	४,४३१.६५
१०	मेटल इन्डस्ट्रीज नम्बर १	३,८८२.८७
११	मेटल इन्डस्ट्रीज नम्बर २	२,००१.९२
१२	विश्वामित्र कार्यालय	७,५२२.०५
१३	ई० एम० सी० वर्क्स	८,७९२.००
१४	स्टैंडर्ड टैनरीज	१,२२०.६४
१५	माडेल इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन	७५०.३०
१६	स्टैन्डर्ड एन्ड कम्पनी	१७,६०९.००
१७	अजय आयरन वर्क्स	१,३४३.०६
१८	ईस्टर्न साइकिल इन्डस्ट्रीज	४१६.१५
१९	स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड	९,८४,९३५.४०
२०	जायसी हासरी मिल्स	६९८.३०
२१	प्रताप प्रेस	१०,२५०.०२
२२	शारदा इन्जीनियरिंग वर्क्स	१,८८३.४५
२३	अथरन वेस्ट एन्ड कम्पनी	६२,३७५.४७
२४	कानपुर बम्बई ट्रान्सपोर्ट कम्पनी	३,९१४.००
२५	भारत विस्कुट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी	१,२३१.९०
२६	कुमार वीविंग इन्डस्ट्रियल वर्क्स	९२७.००

तालिका (ख)

एम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत अंशदानों (Contribution) का २० जनवरी, १९६४ तक भुगतान न करने वाले कानपुर के संस्थानों के नाम तथा उनके विरुद्ध अनुमानित बकाया धनराशि।

क्रम-संख्या	संयोजक का नाम	बकाया धनराशि
		रु०
१	म्योर मिल्स कम्पनी लिमिटेड	२,९६,४३०.००
२	न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी	३,०३,७३४.५०
३	कानपुर रोलिंग मिल्स	३८,१६४.५६
४	जगदीश रोलिंग मिल्स	२५०.००
५	कानपुर प्लेट मिल्स	४,८३७.७५
६	यू० पी० रोलिंग मिल्स	१०,०७३.२५
७	कन्टीनेन्टल इंजीनियरिंग वर्क्स	६,३७३.३७
८	महेश्वरी देवी जूट मिल्स	६६,८८५.६२
९	लीला इंजीनियरिंग वर्क्स	२,३०२.३१
१०	मेटल इन्डस्ट्रीज	८००.००
११	विश्वामित्र प्रेस	१,०४३.३७
१२	ई० एम० सी० वर्क्स	७,१९२.००
१३	स्टैन्डर्ड टेनरीज	१,५७५.००
१४	मार्डन इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन	४५८.७९
१५	स्टैन्डर्ड एन्ड कम्पनी	४,७०६.६२
१६	अजय आयरन वर्क्स	४९५.००
१७	ईस्टर्न साइकिल इन्डस्ट्रीज	६००.००
१८	स्वदेशी काटन मिल्स	३४४.००
१९	जायपी फैक्ट्री, कानपुर	३००.००
२०	प्रताप प्रेस	६१०.००
२१	शारदा इंजीनियरिंग वर्क्स	९१९.००
२२	जमुना वीविंग मिल्स	६००.००
२३	ए० के० ब्रास	२,९७७.५०
२४	महेन्द्र आटोमोबाइल्स	७६७.१२
२५	माथुर एन्ड मंजूर लि०	४३५.००
२६	पदम आर्म वर्क्स	७६८.००
२७	आयुर्वेदिक एन्ड यूनानी मेडिसिन्स	६८८.८३
२८	इन्डिया आर्म एन्ड पुलिस इक्विपमेन्ट सप्लाई कं०	१,६६९.१९
२९	प्रकाश यू० पी० दाल मिल्स	१,०१७.१५
३०	अनिल मेटल वर्क्स	३,१३१.८१
३१	मूलचन्द एन्ड कम्पनी	१,६५७.१९
३२	पी० एस० एन्ड सन्स	१,३२७.५५
३३	ट्रैक्टर कम्पोनेन्ट्स एजेन्सीज	२,०००,००
३४	मार्डन इन्डस्ट्रीज	४००.००
३५	परमानन्द यशोद्धरानन्द	१,१७०.००
३६	मालविया इन्जीनियरिंग वर्क्स	१,२७५.००

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	संयोजक का नाम	बकाया धनराशि
		रु०
३७	नेशनल आयरन एन्ड मेटल वर्क्स	१,७२८.२७
३८	एशिया टेनरी	८४.००
३९	विन्देश्वरी प्रसाद बनवारीलाल रोलिंग मिल्स ..	१,११५.००
४०	वेस्टर्न एलेक्ट्रोप्लेटर्स	९०.००
४१	हेल्थ ब फूड प्रोडक्शन	३५२.००
४२	डान टेनरी	२३७.४६
४३	वन्सल एन्ड वन्सल	३१९.००
४४	भल्ला साडेल वर्क्स	७२५.००
४५	जै अल्यूमुनियम वर्क्स	९५०.००
४६	बाम्बे क्लाथ एजेन्सी	४००.००
४७	स्वदेशी कृषि यंत्र	१,५००.००
४८	कन्क्रेरेंट स्पन पायपर वर्क्स	३००.००
४९	जे० के० आयल मिल्स एन्ड कमला आइस फैक्ट्री ..	९२७.००
५०	शिवेन टेनरी, जाजमऊ	७००.००
५१	हिन्दुस्तान टेनरीज	१,४८९.००
५२	सेन्ट्रल प्रेस कानपुर	२०६.००
५३	कानपुर डाइंग एन्ड क्लाथ मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ..	२६७.००
५४	बेटा पिकर कम्पनी	५३३.००
५५	आत्मासिंह स्टील रोलिंग मिल्स	५८५.००
५६	सुपर टेनरी, कालपी रोड, कानपुर	४८१.००
५७	श्री महाबीर रोलिंग मिल्स	४९३.००
५८	शिवराम रामशंकर, कानपुर	३७५.००
५९	आइडियल केमिकल वर्क्स	१,३१०.००
६०	व्योपार सहायक (प्रा०) लि०	२४२.००
६१	नेशनल ट्रेड इन्डस्ट्रीज	६०१.००
६२	इन्डिया टेनरी, कानपुर	३००.००
६३	श्री गोपाल कृष्ण आयल मिल्स	१६५.००
६४	सन्तोष इन्डस्ट्रीज	१,३४२.००
६५	कैलाश मोबाइल सर्विस	४६५.००
६६	जे० पी० इंजीनियरिंग वर्क्स	३७४.००
६७	रूमी इन्जीनियरिंग वर्क्स	३५८.००
६८	सोम इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन	२०३.००
६९	कानपुर यार्न मैन्युफैक्चरिंग	२९१.००
७०	लक्ष्मी एल्यूमुनियम	४२०.००
७१	कानपुर नगर ट्रान्सपोर्ट	१,७००.०००
७२	इन्डिया रोलिंग मिल्स	१,५००.००
७३	ईस्ट इन्डियन इन्जीनियरिंग	७००.००
७४	शिवनन्दन दाल मिल्स	१७२.०६

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५९ पर)

पंचायत मंत्री का नाम				बेतन की बकाया धनराशि
				रु० न० पै०
१—श्री सुखपाल सिंह	..	..	..	१००.००
२—श्री मथुरा प्रसाद ..	..	..	..	१००.००
३—श्री जगदीश सिंह	..	..	..	५०.००
४—श्री नन्द कुमार ..	..	..	..	१००.००
५—श्री राम उदार ..	..	..	..	१००.००
६—श्री राजेन्द्र प्रसाद	..	..	..	१००.००
७—श्री शिव शंकर सिंह	..	..	..	१००.००
८—श्री राम कृपाल सिंह	..	..	..	४८.३७
९—श्री राजाराम ..	..	..	..	९८.३७
१०—श्री श्याम मनोहर	..	..	..	९८.३७
११—श्री जुगराज सिंह	..	..	..	९८.३७
१२—श्री बुद्धू सागर ..	..	..	..	९८.३७
१३—श्री विशेश्वर प्रसाद	..	..	..	१००.००
१४—श्री जगदीश प्रसाद पांडे	..	..	..	१००.००
१५—श्री सरजू प्रसाद ..	..	..	..	१००.००
१६—श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी	..	..	..	१००.००
१७—श्री रमेन्द्र सिंह ..	..	..	..	२७.०९
१८—श्री बरसाती सिंह	..	..	..	५०.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६५ पर)

११ जिलों में महानिषेद्ध उठा लेने के फलस्वरूप आबकारी आय में हुए लाभ का विवरण ।

जिले का नाम	१ दिसम्बर, १९६२ से अगस्त ३१–८–१९६३ तक की आमद					
	देशी शराब	हेम्प ड्रग्स	अफीम	विदेशी शराब	ताड़ी	योग
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—बदायूं ..	५,४३,१६८.२४	१६,८२८.७६	४६.१५	१,५८५.११	२१,७००,००	५,८३,३२८.७६
२—मैनपुरी ..	४,३९,६४७.४९	४३,९४८.२६	..	२,०२३.६८	२५,९२०.००	५,११,५३९.४३
३—कानपुर ..	४६,१८,३३४.४८	३,९७,५८०.०५	३,२७१.९६	२,९८,९२७.६९	३,७३,६५२.५०	५६,९१,७६६.६८
४—उन्नाव ..	७,०७,९०१.४८	१,१२,१८८.९२	१.९७	१,२९१.००	१,११,६४८.००	९,३३,०३१.३७
५—फतेहपुर ..	२,८७,२५९.९५	८४,०९६.४२	१,३६६.४२	५३४.३७	२,७००.००	३,७५,९५७.१६
६—एटा ..	४,०५,३७४.५९	३४,९४२.७५	३००.८९	१,०८३.९०	७,२९०.००	४,४८,९९२.१३
७—फर्रुखाबाद ..	१०,९८,३१६.४०	७१,८०१.९६	५१४.८९	९९१.९४	६४,३५०.००	१२,४१,९७५.१९
८—सुल्तानपुर ..	३३,९७,९३०.७९	३१,५६२.०५	२८३.२३	३५५.५०	६,६७५.५०	४,३६,८०७.०७
९—जौनपुर ..	८,४८,७१३.६३	१,०५,८१०.००	४१.९५	१,१७५.२४	६०,९८२.००	१०,१६,७२२.८२
१०—प्रतापगढ़ ..	३,८२,९८०.०१	५२,३०४.३३	..	२००.००	१,४४०.००	४,३६,९९४.३४
११—रायबरेली ..	३,९६,३५४.६३	७९,१०५.९९	६९.३२	३००.००	२०,८३५.००	४,९६,६६४.९४
योग ..	१,०१,२५,९८१.६९	१०,३०,१६९.४९	५,८९६.७८	३,१४,४६८.४३	६,९७,१९३.५०	१,२१,७३,८०९.८९

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर)

चिकित्सालयों के नाम	स्वीकृत औषधियों का मूल्य		
	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४
	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१—एलोपैथिक चिकित्सालय—			
१—जिला अस्पताल, फतेहपुर	१९,३२७.१६	२५,०३०.००	२६,१६१.०७
२—रुस्तम जी डफरिन अस्पताल, फतेहपुर ..	३,९१०.००	६,६१०.००	३,९१०.००
३—बिन्दकी औषधालय ..	३,५२५.००	३,५२५.००	३,५२५.००
४—आर० डी० डिस्पैन्सरी, गाजीपुर ..	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००
५—पी० डब्ल्यू० आर० डिस्पेन्सरी, चांदपुर ..	२,५००.००	२,५००,००	२,५००.००
६—पी० डब्ल्यू० आर डिस्पेन्सरी, जजमइयां ..	२,५००,००	२,५००.००	२,५००.००
७—एन० ई० एस० ब्लाक डिस्पेन्सरी, तारापुर मितौरा। ..	२,५००,००	२,५००.००	२,५००.००
८—पुलिस अस्पताल, फतेहपुर ..	३,२००.००	३,३६२.००	३,२००.००
२—प्राइमरी हेल्थ सेन्टर—			
९—तेलयानी ..	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००
१०—बहुआ ..	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००
११—गोपालगंज ..	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००
१२—हसवा ..	३,७००.००	२,५००.००	१,१००.००
१३—असोथर ..	..	..	१,०००,००
१४—हथगांव ..	१,०००.००	२,५००,००	३,०००,००
१५—विजयपुर ..	९८८.००	२,५००.००	२,५००,००
१६—धाता ..	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००

विधान सभा सचिवालय

चिकित्सालयों के नाम		स्वीकृत औषधियों का मूल्य		
		१९६१–६२	११६२–६३	१९६३–६४
३—आयुर्वेदिक चिकित्सालय				
१७—कान्धी	..	४१६.९९	३८२.७५	४२४.४६
१८—मलवां	..	४९५.७५	४४९.८३	४९७.८७
१९—शाह ..	..	५९६.९१	६१९.१६	५२५.६९
२०—हस्वा	..	५९९.५८	६१९.२४	५११.५४
२१—नरैचा	..	४२९.९८	५३६.९०	४०८.०९
२२—बड़गवां	..	४३६.३३	४१५.०७	४९९.५६
४—यूनानी चिकित्सालय—				
२३—खखेरू	..	४३६.२७	४१९.३८	३९६.८४

दाऊ दयाल खन्ना,
स्वास्थ्य मन्त्री।

विधान सभा हरियाणा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

संलग्नक 'क'

न्याय पंचायत का कोटवा धाम (कोटवा जगजीवन दास) जिला बाराबंकी के पंचों के नाम, योग्यता तथा आयु की सूची

क्रमांक	नाम पंच	ग्राम	शैक्षिक योग्यता	आयु	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
				वर्ष	
१	श्री जैवक्स सिंह	अद्रा	साक्षर	३६	
२	श्री शिवनाथ सिंह	"	"	३२	
३	श्री रामधनी	अमनियापुर	"	४३	
४	श्री रामनाथ	"	"	३१	
५	श्री श्याम सुन्दर तिवारी	कोटवाधाम	"	५०	
६	श्री धनीराम	"	"	३१	
७	श्री मथुरा प्रसाद	तासीपुर	"	३३	
८	श्री भीखालाल	"	"	३५	
९	श्री बद्री	सराय सज्जन	"	३५	
१०	श्री परसुराम	"	"	३२	
११	श्री मुमताज अली	विवियापुर	"	४७	
१२	श्री मो० सईद	"	"	३२	
१३	श्री भगौती प्रसाद	अगानपुर	हाईस्कूल	५०	
				दिनांक	
	८-९-१९६३ को मृत्यु। जिला पंचायत अधिकारी, बाराबंकी को यह आदेश दिए गए हैं कि मनोनयन द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति अविलम्ब करा दें।				
१४	श्री रामदास	अगानपुर	जू० हाई स्कूल	३२	
१५	श्री रघुनन्दन प्रसाद	"	साक्षर	३५	
१६	श्री भगवती प्रसाद	जदवापुर	"	५०	
१७	श्री सत्यनारायण	"	"	४८	
१८	श्री जगवन्त प्रसाद	अरियामऊ	"	६०	
१९	श्री पन्नालाल	"	"	४०	
२०	श्री शीतला प्रसाद सुर्रा	"	"	३५	
२१	श्री सूर्य विक्रम सिंह	"	बी० ए०	२४	इनको जिलाधीश द्वारा नियमानुसार न्यूनतम निर्धारित आयु के प्रतिबन्ध से मुक्ति प्रदान की गयी थी।
२२	श्री शिवनरेश	बुलूवेपुर	साक्षर	३१	
२३	श्री खूबचन्द्र	"	"	३३	
२४	श्री सन्तराम	हराहा	"	३५	
२५	श्री दुर्गा प्रसाद	"	"	६५	

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

क्रम-संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	धन जो मरम्मत तथा पेट्रोल पर व्यय हुआ
		रु० न०पै०
१	सिकन्दराबाद	१,९६७.६९
२	भवन बहादुरनगर	२,३७०.७७
३	बेबर	२,४८१.२०
४	पहासु	५६७.९४
५	बनकोर	१,७७३.१८
६	दानपुर	३,००९.५०
७	लखावटी	१,९१७.७५
८	बुलन्दशहर	१,४३०.६६
९	शिकारपुर	१,९९३.९७
१०	ऊंचागांव	३,२०६.२३
११	बिसरह	२,२८९.९८
१२	गुलावठी	२०३६.२३
१३	डिबाई	३२६.५०
	योग	.. २५,३०१.६० न०पै०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

सेवा में,

श्रीमान् मंत्री महोदय,
स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

महोदय,

जिस प्रकार सम्पूर्ण देश में भ्रष्टाचार तथा शिथलता शासन के कार्य में दिखाई पड़ती है। उन्हीं उदाहरणों में से एक उदाहरण मैं आप की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है आप उपयुक्त जांच करा कर शासन में निरन्तर बढ़ने वाली शिथिलता को दूर करने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।

मैं कृष्णलाल वैश्य, ग्राम परेवा वैश ड० खास जहाना बाद जिला पीलीभीत का निवासी हूं। मेरे पास स्थानीय पोस्ट आफिस का भी कार्य है। ग्राम में कुछ विशेष वर्ग, अपने डंडे के बल पर सारे ग्राम में आतंक मचा रखा है। मैंने इस अन्याय का विरोध किया। कुछ घटनाओं की सूचना थाने में दी जिसके परिणामस्वरूप उन लोगों ने मुझे लाठियों से बहुत मारा और खेत में अधमरा छोड़ कर चले गए। उन लोगों ने धन के द्वारा कुछ अधिकारियों को भी अपने साथ लेने का प्रयास किया। मैं जब थाने में रिपोर्ट लिखा कर पीलीभीत अस्पताल असिस्टेंटेंट सर्जन श्री टंडन तथा श्री तलवार के पास अपने चोटों की जांच करवाने के लिए गया जहां मेरा एक्सरे श्री टंडन ने किया और उस की रिपोर्ट श्री तलवार ने दी। मुझे सन्देह है कि मारने वालों ने असिस्टेन्ट सर्जन श्री टंडन को अपने प्रभाव में लेकर मेरा एक्सरे रिपोर्ट ठीक नहीं देने दिया। और श्री तलवार ने जो लिखित रूप में रिपोर्ट दिया उसमें कहीं भी फ्रैक्चर नहीं दिखाया। मैं पीड़ा से बहुत परेशान था। अतः पीलीभीत अस्पताल से जब मुझे मुक्त कर दिया गया तो मैं बरेली आया। बरेली अस्पताल में प्रवेश लेकर यहां भी मेरा एक्सरे हुआ जिसमें मेरी दाहिने हाथ के अंगूठे तथा एक पसली में फ्रैक्चर मिला। पीलीभीत तथा बरेली दोनों अस्पतालों की रिपोर्ट लेकर मैं पीलीभीत सिविल सर्जन महोदय से मिला उन्होंने डा० टन्डन जी को बुला कर पूछा। परन्तु इतने मात्र से मुझे संतोष नहीं है।

मुझे पूरा भय है कि पीलीभीत के असिस्टेन्ट सर्जन श्री टन्डन ने न तो मेरे साथ न्याय किया न तो अपने कर्त्तव्यों के साथ। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण शासन के प्रति लोगों में भ्रम पैदा करते हैं।

अतः आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि उपरोक्त मामले की पूर्णतया जांच कर सम्बन्धित व्यक्तियों को उचित दन्ड देने की कृपा करें। जो शासन में शुचिता का वातावरण पैदा करेगा।

प्रार्थी,
नि० अ० कृष्णलाल वैश्य
ग्राम डा० परेवा वंश जिला पीलीभीत।

Supplementary Report Kishan Lal son of Dhani Ram resident of village Parava Vaish.

, examined on August 11, 1963.

X-ray no. 286, dated August 16, 1963 Chest no fracture seen.

(Sd.) DR. TARA SINGH TALWAR,
August 21, 1963.

(Sd.) DR. TARA SINGH TALWAR,
M.B.B.S. (Lko.) P.M.S. (II)
District Hospital, Pilibhit.
District Hospital
Bareilly.

District Hospital, Bareilly

1677

22-8-63 Kishan Lal

Skiagram of R.t Hand.

(1) Fracture of the bone of the 1st Wara Carpol. Fracture of the 9th rib as indicated by arrow.

(2) One fracture of the ribs detected on leftside.

(Sd.) ILLEGIBLE,
H. S. ABIBOIANI,
District Hospital, Bareilly.

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८५ पर)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित श्री मैकूलाल पुत्र गुरु प्रसाद निवासी अकबरपुर प० कुर्सी त० फतेहपुर बाराबंकी के पत्र दिनांक १७ सितम्बर, १९६३ की प्रतिलिपि

निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम अकबरपुर, परगना कुर्सी, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी का निवासी है। प्रार्थी एक बेपढ़ा लिखा आदमी है और प्रार्थी के पास जोतने के लिये जमीन नहीं है अन्य धन्धा करके अपना परिवार पालता है। प्रार्थी को काश्त करने के लिये भूमि की आवश्यकता थी। गांव अकबरपुर के प्रधान तथा भूमि प्रबन्धक समिति के चेयरमैन बचानसिंह हैं जिनसे प्रार्थी का काफी मेलजोल था और उनकी बात का विश्वास प्रार्थी हमेशा करता था। प्रार्थी ने जब उनसे काश्त करने के लिये कहा तब उन्होंने कहा कि गांव के अन्य लोग दरख्वास्त दे रहे हैं तुम भी खुद या अपने लड़के के नाम से दरख्वास्त दिला दो। दरख्वास्त के साथ १,१०० रुपया १२ बीघा कच्चे के मुझे दे दो। मैं रुपया तथा दरख्वास्त लेकर हाकिम तहसील साहब तथा तहसीलदार साहब के पास जाऊंगा और रुपया खजाने में तहसीलदार साहब के पास जमा करा कर मंजूरी लूंगा तब पट्टा किया जावेगा। यह बात राम आसरे के सामने प्रधान ने की थी।

प्रार्थी ने रुपया इकट्ठा किया तथा एक दरख्वास्त जमीन पाने के लिये अपने लड़के मनीराम की तरफ से व १,१०० रुपया रामआसरे, पाटनदीन व गजाधर व बलवन्त के सामने कुवार, सन् १९६२ में दिया। प्रार्थी ने प्रार्थी की भूमि नं० ४३ कच्चे १२ बीघा बताया कि इसको वह तोड़ें तथा जब पट्टा करने का हुक्म हाकिम तहसील व तहसीलदार साहब के यहां से हो जावेगा तब कर दिया जावेगा। रुपया तहसीलदार साहब के यहां जमा कर दिया गया है और दरख्वास्त पर कार्यवाही हो रही है। इसके बाद कई दफा प्रार्थी ने प्रधान से पट्टा करने के लिये कहा। प्रधान ने यह कहते हुए जाने दिया कि घबड़ाने की कोई बात नहीं है। सरकार के यहां काम जरूर होता है लेकिन देर होती है कि तुम्हारा रुपया सरकार में जमा है तुम्हारा काम जरूर होगा। प्रार्थी ने प्रधान पर विश्वास के कारण उनके कहने पर चला।

आज से करीब २ महीना हुए प्रधान ने प्रार्थी को बुलवाया जब प्रार्थी वहां गया तब प्रधान ने कहा कि पट्टा करने की मंजूरी हो गई है तुम्हारे लड़के के नाम पट्टा किया जायगा गांव के लेखपाल तथा मेरे लड़के को बुलवाया गया तथा लेखपाल ने पट्टा लिखा और प्रधान ने अपने दस्तखत किया। प्रधान ने कहा कि अभी इस पर तहसील में कार्यवाही होगी तब पट्टा मिल जावेगा और फिर सरकार के कागजात में प्रार्थी के लड़के का नाम दर्ज हो जावेगा।

प्रधान ने जब पट्टा किया तो प्रार्थी ने अपने लड़के से उसे पढ़वाया। पट्टे पर ४३,४ नम्बर भूमि का रकबा २ बी० १८ विस्वान्सी (कच्चे ६ बीघा) लिखा था जब कि ४ बीघा। कच्चे १२ बी० का पट्टा करने के लिये प्रधान ने कहा था और अपनी जमीन भी तोड़ने को दी थी। पट्टे पर जमीन का रकबा कम होने के कारण प्रार्थी को सुबहा हुआ और प्रधान के पास गया और साथ में रामआसरे, पाटनदीन तथा गजोधर व बलवन्त जिनके सामने १,१०० रुपया दिया था ले गया। डल्ला भी प्रधान के यहां मौजूद थे। प्रार्थी ने रकबा कम लिखा होने का कारण पूंछा तो प्रधान ने कहा कि जितनी जमीन सरकार ने यहां से पट्टा करने को मंजूर हुई थी उतने का पट्टा किया गया। प्रार्थी ने कहा कि जितनी जमीन कच्चे १२ बी० का करार किया था उसके आधे। कच्चा ६ बी० का पट्टा किया गया है। सरकार से हमारा आधा रुपया वापस करा दो। प्रधान ने कहा कि जो रुपया सरकार में जमा हो जाता है वह वापस

नहीं मिलता। तब प्रार्थी ने रुपया की रसीद मांगी। प्रधान ने कहा कि रुपया की रसीद तहसील साहब के पास है उनसे लाकर दे दूंगा। प्रार्थी ने कई दफा रसीद मांगी तब जवाब दिया कि रसीद तहसीलदार साहब के पास थी खो गई। प्रार्थी को प्रधान की बातों में धोखा साबित होता है आज तक १,१०० रुपये की रसीद नहीं दी। इससे श्रीमान जी के यहां दरख्वास्त दे रहा हूं कि उपरोक्त मामले की जाच की जावे। प्रधान से १,१०० रुपये का हिसाब लिया जावे तथा अगर प्रधान न हिसाब दे उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जावे।

मेरठ मुद्रण संस्थान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२३ एल० ए०—१९६४—(प्रो०)—८६०।